महानगर नई दिल्ली सोमवार 10 फरवरी, 2020, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

62.59 % का अंतिम आंकड़ा आने तक उलझी रही दिल्ली

2015 के विस चुनाव के मुकाबले करीब पांच फीसद कम पड़े वोट | **02** फीसद ज्यादा है लोकसभा चुनाव के मुकाबले | **71.6** फीसद वोट पड़े बल्लीमारन में

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के आंकड़ों को लेकर मतदान खत्म होने के 24 घंटे बाद तक असमंजस और ऊहापोह की स्थिति कायम रही। पल-पल बदलते आंकड़ों की तस्वीर को लेकर जहां सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को गहरी साजिश की आशंका दिखाई देने लगी, वहीं इन आंकड़ों से बेपरवाह भाजपा अपनी जीत के पक्के दावे करती रही। मतदान के अंतिम आंकड़े जारी करने में देरी पर चौतरफा आलोचना के बाद दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने रविवार शाम बताया कि राजधानी के कुल 62.59 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

पल-पल बदलते आंकड़ों की तस्वीर को लेकर जहां सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को गहरी साजिश की आशंका दिखाई देने लगी, वहीं इन आंकड़ों से बेपरवाह भाजपा अपनी जीत के पक्के दावे करती रही

दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी रणवीर सिंह ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि चुनाव के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक 62.59 फीसद मतदान हुआ। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव में 67.47 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक बल्लीमारान बाकी पेज 8 पर

दिल्ली मतदान

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी रणवीर सिंह।

45.4 फीसद दिल्ली कैंट में मतदान

71.22 फीसद मतदान सीलमपुर में

62.55 फीसद मतदान महिलाओं ने किया

62.62 फीसद मतदान पुरुषों ने किया

आंकड़ों में देरी पर आप को साजिश की आशंका

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

आम आदमी पार्टी ने (आप) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद मतदान के आंकड़े जारी करने में चुनाव आयोग की देरी पर सवाल उठाते हुए किसी गहरी साजिश की आशंका जताई है। पार्टी का कहना है कि देश की आजादी के 70 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव संपन्न हो जाने के इतना वक्त गुजर जाने के बाद आयोग ने मतदान के अंतिम आंकड़े तक नहीं जारी किए।

मतदान फीसद का अंतिम तौर पर एलान करने में देरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह चौंकाने वाला करार देते हुए रविवार को सवाल किया कि मतदान खत्म होने के कई घंटों बाद भी आयोग आकंड़े जारी बाकी पेज 8 पर

तीन तथ्य महत्त्वपूर्ण

“दिल्ली चुनाव 2020 को लेकर तीन महत्त्वपूर्ण तथ्य जिनकी चर्चा नहीं हुई। पहला, अंतिम दो घंटों में 17 फीसद मतदान। दूसरा, ईवीएम को लेकर आम आदमी पार्टी का विमर्श और तीसरा मतदान बाद सर्वे के नतीजे। क्या हम यहां पर कुछ भूल रहे हैं। क्या कुछ ताकतें एक मतदान बाद सर्वे से अलग भी अनुमान लगा रही हैं। –बीएल संतोष

दो बच्चों की हत्या कर बेरोजगार पिता ने की खुदकुशी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक व्यक्ति ने रविवार रात अपने दो बच्चों की गला घोंटकर हत्या करने के बाद खुद हैदरपुर मेट्रो स्टेशन पर जाकर मेट्रो के आगे कूदकर जान दे दी। पिता ने अपनी 14 साल की बेटी और छह साल के बेटे की हत्या और खुदकुशी से पहले कोई पत्र लिखकर नहीं छोड़ा है। लेकिन शुरुआती जांच में मामला तनाव और बेरोजगारी का बताया जा रहा है। पुलिस ने उसकी पत्नी से पूछताछ के बाद मामले की जांच शुरु कर दी है।

जिला पुलिस उपायुक्त विजयंता आर्या ने बताया कि रविवार रात करीब सात बजे पीसीआर को सूचना मिली कि पूर्वी शालीमार बाग इलाके के बी जी ब्लाक-48 में रहने वाले मधुर नामक एक व्यक्ति ने अपने बच्चों की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां 14 साल की उसकी बेटी समीक्षा और छह साल का बेटा श्रेयांश अलग-अलग बिस्तरों पर मृत मिले। पुलिस ने पाया कि बच्चों के पिता मधुर मलानी घर से लापता हैं। यह भी पता चला कि मधुर तनाव में थे और फिलहाल बेरोजगार थे। बच्चे की मां रुपाली घरेलू महिला हैं। यह परिवार किराए के घर में रहता है। बताया जा रहा है कि वारदात के समय रुपाली घर में नहीं थी।

पुलिस के अनुसार बेरोजगारी व अवसाद की वजह से दिया घटना को अंजाम

वारदात को अंजाम देने से पहले कोई चिट्ठी नहीं छोड़ी 50 वर्षीय पिता ने

“रविवार रात करीब सात बजे पीसीआर को सूचना मिली कि पूर्वी शालीमार बाग इलाके के बी जी ब्लाक-48 में रहने वाले मधुर नामक एक व्यक्ति ने अपने बच्चों की हत्या कर दी है। –**विजयंता आर्या**, जिला पुलिस आयुक्त

छानबीन के दौरान पुलिस को घंटे भर बाद ही एक अन्य सूचना मिली कि हैदरपुर मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे छलांग लगाकर 50 साल के एक व्यक्ति ने जान दे दी है। जांच करने पर पता चला कि ट्रेन के आगे कूदकर जान देने वाला व्यक्ति मधुर मलानी ही है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल में रखवाने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है।

जिनपिंग को मोदी ने की मदद की पेशकश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पत्र लिखकर कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने में भारत की ओर से मदद की पेशकश की। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, पत्र में प्रधानमंत्री ने चीन में वायरस के प्रकोप के मद्देनजर चीनी राष्ट्रपति और वहां के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में चीन के ह्युवेई प्रांत में फंसे 650 भारतीयों को विमानों से भारत लाने में मदद के लिए जिनपिंग की तारीफ की। कोरोना वायरस से ह्युवेई प्रांत ही सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस प्रांत की राजधानी वुहान में बहुत बुरी स्थिति है। लोगों को एहतियातन उनके घरों में ही एक तरह से कैद करना पड़ा है, ताकि वायरस से प्रसार को रोका जा सके।

चीनी अधिकारियों की तरफ से जारी नए डेटा के मुताबिक, कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 811 बाकी पेज 8 पर

कोरोना वायरस

प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने में भारत की ओर से मदद की पेशकश की।

टीका विकसित करने में जुटे वैज्ञानिक

सिंगापुर, 9 फरवरी (एएफपी)।

चीन में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने के लिए जल्द से जल्द इसका टीका विकसित करने के लिए चलाए जा रहे कई लाख डॉलर के महत्त्वाकांक्षी अभियान के तहत अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के वैज्ञानिक नवीनतम प्रौद्योगिकी का बाकी पेज 8 पर

अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के वैज्ञानिक प्रयास में जुटे

सरकार को 12 फीसद राजस्व वृद्धि का भरोसा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

अगले वित्त वर्ष 2020-21 में कर संग्रह में 12 फीसद की वृद्धि के लक्ष्य को कुछ लोग महत्वाकांक्षी मान रहे हैं, लेकिन राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय इसे हासिल होने योग्य लक्ष्य मानते हैं। पांडेय ने कहा कि अर्थव्यवस्था की बाजार मूल्य आधारित वृद्धि दर 10 फीसद रहने का अनुमान है। उसे देखते हुए यह लक्ष्य हासिल हो सकता है।

इस समय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कुल मिलाकर 11 साल के निचले स्तर पर आ गई। कंपनी या कारपोरेट कर की दर में कटौती की वजह से सरकार के कर संग्रह के लक्ष्य से भारी अंतर से चूकने की आशंका है। कर संग्रह में कमी की वजह से सरकार लगातार तीसरे साल राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से चूक सकती है। पांडेय ने पत्रकारों से 2020-21 में 24.23 लाख रुपए के कर संग्रह के लक्ष्य को हासिल करने का भरोसा जताया।

पांडेय ने कहा कि 2020-21 में बाजार मूल्य आधारित जीडीपी की वृद्धि दर 10 फीसद रहने का अनुमान बाकी पेज 8 पर

इस समय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कुल मिलाकर 11 साल के निचले स्तर पर आ गई।

“बाजार मूल्य आधारित जीडीपी की वृद्धि दर 10 फीसद रहने का अनुमान –राजस्व सचिव

जीएसटी दरें साल में एक बार संशोधित की जाएं : सीतारमण

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कोलकाता में कहा कि केंद्र सरकार ने देश को 2024-25 तक पांच हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बजट में उपभोग बढ़ाने की जमीन तैयार करने के साथ-साथ ढांचागत सुविधाओं के विकास में सरकारी निवेश की सुनिश्चित व्यवस्था की है। वित्त मंत्री ने माल व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में दरों के स्थायित्व की आवश्यकता पर भी बल दिया। दरों में हर तीन महीने के बजाय साल में केवल एक बार संशोधित किए जाने की वकालत की है।

सीतारमण ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमने उपभोग बाकी पेज 8 पर

राज्यों को जल्द मिलेगा जीएसटी मुआवजा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

केंद्र सरकार माल व सेवा कर (जीएसटी) के कारण राज्यों को राजस्व में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए जल्द 35,000 करोड़ बाकी पेज 8 पर

जरूरत होने पर और बैंकों के विलय को तैयार : ठाकुर

नई दिल्ली, 9 फरवरी (भाषा)।

सरकार जरूरत के हिसाब से और बैंकों के विलय को भी तैयार है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बाकी पेज 8 पर

राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक 19 फरवरी को

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण व उसकी देखरेख के लिए बनाए गए ट्रस्ट ‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ की पहली बैठक 19 फरवरी को दिल्ली में बुलाई गई है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव किए जाने की बाकी पेज 8 पर

मुख्य एजंडे में ट्रस्ट के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष का चयन शामिल

सेना ने मार गिराए चार पाकिस्तानी सैनिक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना ने लगातार दूसरे दिन रविवार को भी मोर्टार दागे। रक्षा प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। पाकिस्तानी सेना की ओर से नियंत्रण रेखा पर की गई गोलाबारी का करारा जवाब देते हुए सेना ने उसकी आधा दर्जन से अधिक चौकियों को तबाह बाकी पेज 8 पर

पुंछ में जवान की शहादत का लिया बदला

पीओके में 41 सिंध रेजीमेंट को भारी नुकसान

उमर-महबूबा की हिरासत की वजह घाटी में उनका प्रभाव

श्रीनगर, 9 फरवरी (भाषा)।

पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में लिए जाने के समर्थन में जिन बातों का जिक्र किया गया है उनमें लोगों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता, चुनाव बहिष्कार के बाकी पेज 8 पर

जनसुरक्षा कानून डॉजियर में कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है दोनों की नजरबंदी का आधार

दरअसल

स्मरण | 83 वर्ष की उम्र में हृदय गति रुकने से निधन | अंतिम संस्कार आज सुबह दस बजे होगा

गिरमिटिया और गांधी का साझा रचने वाले गिरिराज का निधन

मृणाल वल्लरी
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

हिंदुस्तानी माटी का खून-पसीना, औपनिवेशिक शोषण, अहिंसक आंदोलन और इतिहास की बारीकियों के साथ लिखा एक अक्षर दस्तावेज ‘पहला गिरमिटिया’ रचने वाले गिरिराज किशोर का रविवार सुबह कानपुर में उनके आवास पर हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। वे कानपुर में रहते थे। तीन महीने पहले गिरने के कारण उनके कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया था जिसके बाद से वे लगातार बीमार चल रहे थे। उन्होंने अपना देहदान किया है। उनका अंतिम संस्कार सोमवार सुबह दस बजे होगा।

हिंदी साहित्य में गिरिराज किशोर का लेखन अपना सार प्रस्तुत करते हुए कहता है कि साहित्य सुविधा की चीज नहीं है। उसके लिए खुद को तपाना पड़ता है। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक चेतना से लैस होना होता है। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रचाव और विन्यास को पारदर्शी तरीके से समझने की बड़ी चुनौती का सामना किया। इस तरह वे आजाद भारत के संघर्ष का नया सर्ग, अक्षर दस्तावेज तैयार कर पाए। अपने विपुल रचना संसार के बीच उनकी पहचान ‘पहला गिरमिटिया’ से वैसी ही बनी, जैसे विश्व में गांधी से भारत की पहचान बनी। यह उपन्यास गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर आधारित है।

औपनिवेशिक गुलामी की दास्तां से आगे बढ़कर दलित चेतना पर ‘परिशिष्ट’ और ‘यथाप्रस्तावित’ उपन्यास रचकर साबित करते हैं कि गांधीवादी चेतना के औजार से हाशिए को केंद्र में रचा जा सकता है। ‘ढाई घर’ के बाद तो वे हिंदी समाज में घर-घर के लेखक हो गए। वर्ष 1991 में प्रकाशित इस कृति को 1992 में ही ‘साहित्य अकादेमी पुरस्कार’ से सम्मानित कर दिया गया था।

गिरिराज किशोर का जन्म आठ जुलाई 1937 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था। उनके पिता जमींदार थे। उन्होंने कम उम्र में ही घर छोड़ दिया और स्वतंत्र लेखन किया। जुलाई 1966 से 1975 तक कानपुर विश्वविद्यालय में सहायक और बाकी पेज 8 पर

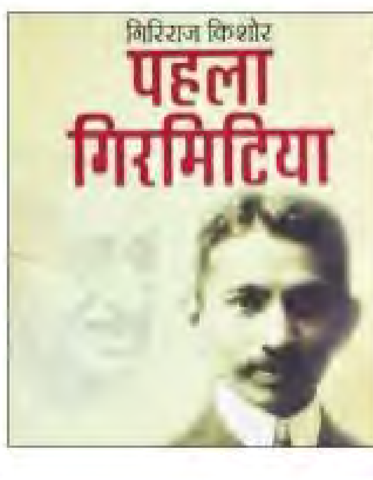

महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीकी अनुभव पर आधारित महाकाव्यात्मक उपन्यास ‘पहला गिरमिटिया’ ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान दिलाई।

गिरिराज किशोर का जन्म आठ जुलाई 1937 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था। उनके पिता जमींदार थे। उन्होंने कम उम्र में ही घर छोड़ दिया और स्वतंत्र लेखन किया।

www.readwhere.com

COURT NOTICE
Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Sh. Vijay Kumar -I Judicial Magistrate - Ist Class Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and Judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO:PBLD03-001504-2019
NEXT DATE: 12-03-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Jareef Khan
Notice To: Jareef Khan, R/o H.no. 10, Vill. Mittarpur Aharau Sahabad Rampur, Rampur-244901 (up)
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 12-03-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days the date of publication of this proclamation. take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
Criminal courts, ludhiana
In the court of Sh. Vijay kumar -I Judicial Magistrate -Ist class Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and Judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO:PBLD03-001497-2019
NEXT DATE: 12-03-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Shamshad Ali
Notice To: Shamshad Ali R/o H.no 624, Near Madina Masjid Pasonda-4 Paswada, Ghaziabad- 201005 (up)
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you, should appear personally before this court on 12-03-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Sh. Vijay Kumar-I Judicial Magistrate- Ist Class Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO:PBLD03-001485-2019
NEXT DATE: 12-03-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Sachin Bhati
Notice To: Sachin Bhati, R/o 183, Tilavata Karanavas An 0 Dadri Gautam Budh Nagar, Noida-203207 (up)
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 12-03-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation . Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Sh. Vijay Kumar-I Judicial Magistrate- Ist Class Ludhiana
Next date, purpose of case orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO: PBLD03-001499-2019
NEXT DATE: 12-03-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Sajjan Badalu
Notice To: Sajjan Badalu, R/o H. No. 187, Vill. Lamba Kheda-2, Tehsil Tanda Distt. Rampur-244001 (up)
Whereas it has prove to the satisfaction of this court that you, the above named accused / accused persons can't be served in the ordinary way of service. hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 12-03-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your Absence. for details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

Criminal Courts, Ludhiana
COURT NOTICE
In the court of Sh. Vijay Kumar-I judicial Magistrate- Ist class Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO:PBLD03-001503-2019
NEXT DATE: 12-03-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Dhruv Kohli
Notice To: Dhruv Kohli, R/o H.no.90 A 1, Modal Town Ps Baradari, Tehsil Bareily Distt. Bareily-234005
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused / accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 12-03-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

Criminal Courts, Ludhiana
COURT NOTICE
In the court of Sh. Vijay Kumar- I judicial Magistrate- Ist class ludhiana
Next date, purpose of case orders and Judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO:PBLD03-001500-2019
NEXT DATE: 12-03-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Arundeep Sidhu
Notice To: Arundeep Sidhu, R/o H.no.600, Sec -17, Haryana, Gurgaon - 122001- Haryana.
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 12-03-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Mohan Vineet, S/o Rajendra Prashad Bhutani, R/o B-342, Sector-20, Noida, G.B. Nagar, U.P., 201301, have changed my name to Mohan Vineet Bhutani.
0040530912-1

I, Francis Rayappan, DOB: Oct 10,1960, S/O Late Mr. Rayappan, resident: Kh149/1, OldBlck A-1, Ajit Vihar, Burari, ND 84 declare the above name to be used for all purposes.
0050162128-1

I Rajesh Ranjan S/O, Dr A K Verma R/o T-1/1044, Ats Pristine, Sec-150, Noida have changed my name to Raajesh Ranjan for all purposes
0040531101-1

I ,Mamta Gupta D/O late Shri Rajendra Kumar Gupta R/o C/D-15, Kavi Nagar , Ghaziabad-201002, have changed my name to Mamta Agrawal after marriage on 1st May, 1986 with Ashok Kumar Agrawal for all purposes
0040530866-1

I Charanjit Singh Lamba S/O, Balbir Singh Lamba R/o D28 A Tilak Vihar, Tilak Nagar, New Delhi-18 have changed my name to Charanjeet Singh for all purposes.
0040530910-1

व्यक्तिगत

मैं, अब्दुल दिनाज के पुत्र, एस के सफिउल अहमद उर्फ सेख/शेख सफिउल अहमद, निवासी ई 816, पीयुष हाईटस्, सेक्टर 89, फरीदाबाद, हरियाणा, फरीदाबाद में दिनांक 27/12/2019 प्रस्तुत हलफनामें द्वारा अपना नाम शेख सफिउल अहमद कर लिया है। 0050162110-1

सूचना

मै मो. सुलेमान खान पता c/o असलम खान, कृष्णा पाली क्लीनिक के पीछे गुलिश्तान-ए-शेर नवाबगंज बाराबंकी 225001 उ.प्र. ने अपना नाम बदल कर सुलेमान खान कर लिया है।

Criminal Courts, Ludhinana
COURT NOTICE
In the court of Sh. Vijay Kumar- I judicial Magistrate- Ist class ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO: PBLD03-001483-2019
NEXT DATE: 12-03-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Akavar Ali
Notice To: Akavar Ali, R/o H.no 203, Vill. Lamba Kheda-2, Tehsil Tanda Rampur- 244301 (UP)
Notice to: whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 12-03-2020 at 10.00a.m.or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that , in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to :- https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

Criminal courts, ludhiana
COURT NOTICE
In the court of Sh. Vijay Kumar-I judicial Magistrate- Ist class Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO:PBLD03-001761-2017
NEXT DATE: 12-03-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Ashok Chandila
Notice To: Ashok Chandila S/o Budda R/o 269/2, Indra Gandhi Sec 21b, Nit Faridabad -121001, Haryana
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 12-03- vs 2020 at 10.00 a.m. At 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in Your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Sh. Vijay Kumar-I judicial Magistrate- Ist Class Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and Judgenents as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO:PBLD03-001493-2019
NEXT DATE: 12-03-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Ram Lal
Notice To: Ram Lala S/o Ram Bahadur 94, Seda Senda Tehsil Bareilly Distt. Bareilly -243202 (up)
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 12-03-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notic&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

राजस्थान : 30 आइएएस अधिकारियों का तबादला

जयपुर, 9 फरवरी (भाषा)।

राजस्थान सरकार ने नौकरशाही में फेरबदल के तहत रविवार को 30 आइएएस अधिकारियों का तबादला किया। पदस्थापन आदेश का इंतजार कर रहे वरिष्ठ आइएएस अधिकारी सुधांश पंत को वन और पर्यावरण विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया जबकि इस पद पर कार्यरत श्रेया गुहा को पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है।

सुधांश पंत वन और पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव नियुक्त

संदीप वर्मा को राजस्व, उपनिवेशन और सैनिक कल्याण विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया और उनकी जगह राजेश कुमार यादव को पीएचईडी और भूजल विभाग के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।अजमेर में राजस्व बोर्ड के सदस्य प्रवीण गुप्ता को जयपुर में विभागीय जांच आयुक्त नियुक्त किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रधान सचिव अजिताभ शर्मा को ऊर्जा विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें डिस्कॉम और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया।

कुंजी लाल मीणा को खान और पेट्रोलियम विभाग का प्रभार दिया गया। वह ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव थे। उमरदीन खान, नम्रता वृष्णि और हिमांशु गुप्त को क्रमशः झुंझुनू, डूंगरपुर और जालोर का जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया।

घुसपैठियों को बाहर निकालने के समर्थन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को मुंबई में निकाली रैली।

बदलते मौसम से बढ़ रहा कई देशों में टिड्डियों का प्रकोप

नई दिल्ली, 9 फरवरी (भाषा)।

भारत और अफ्रीकी देशों में लगभग 25 साल बाद टिड्डी दलों के फसलों पर प्रकोप के लिए मौसम विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन को संभावित वजह बताते हुए भविष्य में भारत सहित पूर्वी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के लिए टिड्डी के प्रकोप का खतरा बढ़ने की आशंका जताई है। विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप मौसम की चरम गतिविधियां बढ़ी हैं और इसका असर यह हुआ कि हिंद महासागर एवं अरब सागर का तापमान पिछले दो साल में बढ़ा जो कि टिड्डियों के पनपने की वजह हो सकती है।

गौरतलब है कि कृषि मंत्रालय ने भी पिछले दिनों संसद को भारत में गुजरात और राजस्थान के पांच जिलों में फसलों को पिछले महीने टिड्डी दल से हुए नुकसान की जानकारी से अवगत कराया है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि टिड्डी के प्रकोप की वजह और इसके प्रभाव का अध्ययन जारी है।

चौधरी ने बताया कि टिड्डियों से फसल को हुये नुकसान का आंकलन करने के लिए केंद्र सरकार का दल भेजा गया है। गुजरात सरकार से मिले प्रतिवेदन में 18,727 हेक्टेयर और राजस्थान सरकार के प्रतिवेदन में 1,49,821 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रभावित हुई है। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की हाल ही में जारी रिपोर्ट में मौसम की चरम और असामान्य गतिविधियों को टिड्डियों के पनपने की वजह बताया गया है। रिपोर्ट में मौसम की चरम गतिविधियों के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात की असामान्य गतिविधियां भी प्रमुख वजह मानी जा रही हैं।

रिपोर्ट में मौसम विज्ञानियों के हवाले से आगाह किया गया है कि अगर कार्बन उत्सर्जन में वैश्विक स्तर पर कमी नहीं आयी तो भविष्य में इस तरह के खतरे बढ़ेंगे। रिपोर्ट में टिड्डियों के प्रकोप से जुड़े एफएओ के विशेषज्ञ कीथ क्रेसमेन के हवाले से कहा गया है कि टिड्डियों का पनपना पूरी तरह से प्राकृति से जुड़ी घटना है। रोचक पहलू यह है कि इनकी संख्या और प्रकोप का क्षेत्र, मौसम और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

क्रेसमेन के मुताबिक हिंद महासागर और अरब सागर में चक्रवातीय गतिविधियों के कारण बारिश के इजाफे से, तटीय क्षेत्रों में नमी के बढ़ने से महासागरों के तापमान में इजाफा होना स्वभाविक है। उनकी दलील है कि पश्चिमी हिंद महासागर और अरब सागर क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में ग्रीष्म ऋतु से पहले और बाद में चक्रवात की घटनायें तेजी बढ़ीं। रिपोर्ट में पुणे स्थित भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के महासागरीय जलवायु विशेषज्ञ डा. रॉक्सी कोल मैथ्यू के हवाले से कहा गया है कि पिछले दो सालों के दौरान अरब सागर और पश्चिम हिंद महासागर, सामान्य से अधिक गर्म थे। मैथ्यू ने वैश्विक ताप वृद्धि को समुद्र के बढ़ते तापमान का कारण बताया है।

उन्होंने दलील दी कि मानसून के उत्तरार्ध में भारत के पश्चिमी तट (राजस्थान सहित) पर लंबे समय तक भारी बारिश होना और मानसून के बाद चक्रवात पश्चिम हिंद महासागर के तापमान में बढ़ोतरी की संभावित वजह हो सकती है। 1993 में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में इन टिड्डी दलों ने नुकसान पहुंचाया था। टिड्डी चेतावनी संगठन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। संगठन कृषि और खाद्य संगठन के साथ अन्य देशों से भी जुड़ा है और टिड्डी दलों की स्थिति की अद्यतन जानकारी रखता है। कृषि मंत्रालय ने टिड्डी दलों से बचाव के लिए राजस्थान में आठ और गुजरात में दो टिड्डी परिमंडल कार्यालय बनाए हुए हैं जिनका नियंत्रण जोधपुर में टिड्डी चेतावनी संगठन के पास है। भारत में टिड्डी चेतावनी संगठन की स्थापना 1946 में की गई।

बिजली के तार से बस में आग लगी, पांच की मौत

ब्रह्मपुर (ओड़ीशा), 9 फरवरी (भाषा)।

ओड़ीशा में गंजाम जिले के गोलंतारा में रविवार को सड़क ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार के संपर्क में आने से एक बस में आग लग गई। इस दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य जख्मी हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है।

पुलिस ने बताया कि जंगलपाडु से चिकरादा जा रही यह बस 11 किलो वॉट की बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के संपर्क में आ गई जिससे उसमें आग लग गयी और लोग हताहत हुए। इस बस से लोग एक नज़दीकी गांव में सगाई समारोह में शिरकत करने जा रहे थे।

स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने बस के अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। पुलिस और दमकलकर्मी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने यात्रियों को बचाया। घायलों को ब्रह्मपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुख्य दमकल अधिकारी सुकंत सेठी ने बताया कि आग को बुझा दिया गया है और पारेषण लाइन से बिजली की आपूर्ति काटकर गाड़ी के अंदर से सभी लोगों को निकाल लिया गया है।

आरएसएस प्रचारक पी. परमेश्वरन का निधन

प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक

कोच्चि, 9 फरवरी (भाषा) ।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वयोवृद्ध विचारक और लेखक पी. परमेश्वरन का शनिवार देर रात निधन हो गया। वह 93 वर्ष के थे। उनको 2018 में देश के दूसरे सबसे बड़े असैन्य सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने आरएसएस के सबसे वरिष्ठतम प्रचारकों में शामिल परमेश्वरन के निधन पर शोक व्यक्त किया।

संघ परिवार के सूत्रों ने बताया कि केरल वासियों में राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए 'भारतीय विचार केंद्रम' के संस्थापक निदेशक परमेश्वरन का केरल के पलक्कड़ जिले के ओट्टाप्पलम में आयुर्वेदिक उपचार चल रहा था। यहीं पर देर रात 12 बजकर 10 मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार सोमवार दोपहर को अलप्पुझा के मुहम्मा में किया जाएगा।

पूर्ववर्ती भारतीय जन संघ के नेता रहे परमेश्वरन को 2018 में देश के दूसरे सबसे बड़े असैन्य सम्मान पद्म विभूषण से और 2004 में पद्म श्री से नवाजा गया था। उन्होंने जन संघ के दिनों में दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और एलके आडवाणी जैसे नेताओं के साथ किया था। उपराष्ट्रपति नायडू ने ट्वीट किया, परमेश्वरन जी के निधन से बेहद दुखी हूं। वह एक बेहतरीन लेखक, कवि, अनुसंधानकर्ता और 'भारतीय विचार केंद्रम' के संस्थापक एवं निदेशक थे। मोदी ने कहा कि परमेश्वरन भारत के एक महान और सर्मिपत पुत्र थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, उनका जीवन भारत की सांस्कृतिक जागरूकता, आध्यात्मिक उत्थान और गरीब लोगों की सेवा करने के लिए सर्मिपत रहा। परमेश्वरन जी की सोच महान और लेखनी कमाल थी। वह अपने विचारों पर हमेशा अडिग रहे। परमेश्वरन ने 'भारतीय विचार केंद्रम', 'विवेकानंद केंद्र' जैसे प्रख्यात संस्थानों को अपनी सेवाएं दीं। मोदी ने कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे उनसे बातचीत के कई अवसर मिले। वह एक बुद्धिजीवी थे। मैं उनके निधन से दुखी हूं। ओम शांति।

पुलवामा में आतंकियों ने ठेकेदार की हत्या की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

आतंकवादियों ने रविवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल क्षेत्र में एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आतंवादियों ने पेशे से ठेकेदार गुलाम नबी मीर (55) को उनके घर के बाहर शाम 7.30 बजे गोली मार दी। मीर को एक अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों उन्हें मृत घोषित कर दिया। किसी भी आतंकी संगठन ने अभी तक हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है।

मुखबिर होने के संदेह में ग्रामीण को मार डाला

दंतेवाड़ा, 9 फरवरी (भाषा)।

जिले में नक्सलियों ने पुलिस का मुखबिर होने के संदेह में एक ग्रामीण की हत्या कर दी।

पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि स्थानीय लोगों ने बारसूर पुलिस थाना क्षेत्र के मंगनार मार्ग पर एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना हमें दी।

उन्होंने बताया कि दंतेवाड़ा के कोकेरनार गांव के एक निवासी के अनुसार शव के पास से पर्ची मिली जिसमें लिखा था कि प्रतिबंधित भाकपा(माओवादी) के आमदयी क्षेत्र समिति ने हत्या की जिम्मेदारी ली है।

महिला पुलिसकर्मी को धमकी, भाजपा नेता और आरटीआइ कार्यकर्ता पर मामला दर्ज

रायपुर, 9 फरवरी (भाषा)।

छत्तीसगढ़ पुलिस ने रायपुर में एक महिला पुलिस अधिकारी को धमकी देने के आरोप में सरकारी संचार अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष और भाजपा के एक प्रवक्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि डीडी नगर पुलिस थाना की अधिकारी मंजूलता राठौर की ओर से दायर शिकायत के आधार पर शनिवार को कबीर संचार शोधपीठ के अध्यक्ष कुणाल शुक्ला और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। शुक्ला एक आरटीआइ कार्यकर्ता भी हैं। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आरिफ शेख ने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया कि शुक्ला और श्रीवास छह फरवरी की रात डीडी नगर पुलिस थाना आए थे और कथित रूप से उन्होंने रितेश ठाकुर (40) नामक व्यक्ति को छोड़ने के लिए अधिकारी पर दबाव डाला था। ठाकुर को चेक बाउंस होने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।शिकायत का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि जब राठौर ने उन्हें कहा कि ठाकुर को अदालत के आदेश के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, तो शुक्ला और श्रीवास ने पुलिस अधिकारी के चैम्बर में जाकर उन्हें कथित रूप से धमकी दी कि अगर उन्होंने ठाकुर को नहीं छोड़ा तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और उनकी छवि खराब कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि शनिवार को राठौर के पुलिस शिकायत दायर करने के बाद शुक्ला और श्रीवास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। शेख ने बताया कि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और मामले में जांच जारी है।

The Indian EXPRESS Classifieds
FROM NOTHING TO EVERYTHING
EXPRESS EDUCATION
M. PURI
ONLINE
GS PAPER 2
ADMISSIONS OPEN in the latest batch
100+ LECTURES UPDATED WITH LATEST CURRENT AFFAIRS
A course without which your GS Paper 2 preparation is incomplete
Stellar IAS ACADEMY
Your Ambition Our Guidance
www.stellariasacademy.online
CALL: 99152-14599
Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

पिछड़ रहे शहरों की मदद करेंगे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 20 शहर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी करेगी अमृतसर का सहयोग

नई दिल्ली, 9 फरवरी (भाषा) ।

स्मार्ट सिटी के रूप में चुने गए 100 शहरों में कुछ शहरों के पिछड़ जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी मिशन के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अमृतसर की और अमदाबाद, चंडीगढ़ की मदद करेगा।

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 20 शहरों को पायदान में नीचे के 20 शहरों के साथ जोड़ा है और वे 'सहयोगी शहरों' के तौर पर काम करेंगे।

आंतरिक रैंकिंग के मुताबिक अमदाबाद (प्रथम रैंक), नागपुर, रांची, भोपाल, सूरत, कानपुर, इंदौर, विशाखापट्टनम, वेल्लोर, वडोदरा, नासिक, आगरा, वाराणसी, दावणगेरे, कोटा, पुणे, उदयपुर, देहरादून और अमरावती सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

● केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 20 शहरों को पायदान में नीचे के 20 शहरों के साथ जोड़ा है और वे 'सहयोगी शहरों' के तौर पर काम करेंगे।

करने वाले 20 शहरों में शामिल है। एक अधिकारी ने बताया कि 20-20 फार्मूले के तहत रांची और पुणे क्रम से शिमला और धर्मशाला के साथ काम करेंगे और उनका प्रदर्शन सुधारने के लिए उनके साथा विचार साझा करेंगे।

मंत्रालय ने इसी संबंध में एक परामर्श जारी किया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले 20 शहरों और निचले पायदान वाले 20 शहरों को 20 फरवरी से पहले एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा है। अधिकारी के मुताबिक, शहरों की जोड़ी उन्हीं शहरों के साथ बनाई गई है जो एक जैसी परिस्थितियों वाले हैं एवं जिनकी संस्कृति मिलती-जुलती है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए वाराणसी एक धार्मिक नगरी है और उसे अन्य धार्मिक नगर अमृतसर के साथ जोड़ा गया है जिसे मिशन के तहत अपना प्रदर्शन सुधारने की जरूरत है।

www.readwhere.com

STUDY IN JAPAN WITH SCHOLARSHIPS (EJU EXAMINATION)

Japan Student Services Organization, (JASSO: Head Office, Tokyo) & MOSAI will conduct an examination **under supervision** of **Embassy of Japan** for admission and scholarship to Under Graduate, Graduate & Post-Graduate courses in all subjects in Japanese Universities.
Minimum Qualification : 11th Pass
Online Application available at : www.mosai.org.in
Application Period: 12th February 2020 to 08th March 2020
Exam Venue: New Delhi, Date: 21st June 2020 (Sunday)
Email id: mosai.india@gmail.com
Phone : 011- 23752964 / 23313524

गार्गी कॉलेज की छात्राओं का आरोप

प्राचार्य ने कहा, डर लगता है तो फेस्ट में क्यों आती हो

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज की कई छात्राओं ने आरोप लगाया है कि छह फरवरी को कॉलेज फेस्ट में शराब पीकर जबरदस्ती घुसे कई सौ हुड़दंगियों ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की थी। इसकी वजह से कई छात्राएं मानसिक रूप से परेशान हैं। ऐसे वक्त में ये एक–दूसरे को फोन कर उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। कॉलेज की छात्राएं सोमवार को इस घटना के विरोध में कॉलेज परिसर में 'हल्ला बोल' कार्यक्रम आयोजित करेंगी और अपने साथ हुए इस व्यवहार के लिए जवाब मांगेंगी।

कॉलेज के फेस्ट में मौजूद एक छात्रा ने बताया कि उस दिन बाहर से आए हुड़दंगी लड़कों ने हर सीमा को पार कर दिया। इनमें से

फेस्ट में घुसे हुड़दंगियों की हरकत से छात्राएं मानसिक तनाव में

एक–दूसरे का मनोबल बढ़ा रही हैं छात्राएं
सोमवार को कॉलेज में छात्राएं करेंगी विरोध

अधिकतर लड़के शराब के नशे में थे और बिना रोकटोक लड़कियों के साथ छेड़खानी और अभ्रदता कर रहे थे। वे लड़कियों के साथ जो मन हो रहा था वो कर रहे थे। छात्रा ने बताया कि कॉलेज में छह फरवरी की शाम को जब यह स्थिति बनी तो हम कुछ छात्राएं प्राचार्य के पास गईं और कहा कि कॉलेज में जो भी कुछ हो रहा है, हमें उसे डर लग रहा है। उनका आरोप है कि इस पर प्राचार्य ने कहा कि अगर आपको डर लग रहा है तो आप कॉलेज के फेस्ट में आई ही क्यों हैं? छात्रा ने बताया कि इसके बाद प्राचार्य ने खानापूर्ति के लिए हुड़दंगियों को देखने के लिए किसी को भेजा लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी रही।

छात्रा ने बताया कि हम सोमवार को कॉलेज परिसर में 'हल्ला बोल' कार्यक्रम करेंगे और अपने साथ हुए इस व्यवहार का कॉलेज प्रशासन से जवाब मांगेंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी एक साथ बैठकर तय करेंगे कि हमें पुलिस में किस तरह से शिकायत दर्ज करनी है। प्राचार्य से अपनी सुरक्षा के लिए बात करनी है। भविष्य में ऐसी घटना न हो इसका भी आश्वासन प्राचार्य से लेना है। छात्रा ने बताया कि पिछले साल भी ऐसी ही घटना हुई थी, इसके बाद भी कॉलेज प्रशासन की ओर से कुछ भी कदम नहीं उठाए गए।

पुष्पांजलि संत रविदास जयंती पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पुष्पांजलि अर्पित करते हुए।

पीसीआर ने दो बच्चों को परिवार से मिलाया

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट ने तीन और दस साल के दो बच्चे को उसके माता–पिता से मिलाने में अहम भूमिका अदा की। मामला कापसहेड़ा और द्वारका सेक्टर–आठ इलाके का है। पीसीआर के उपायुक्त के मुताबिक शनिवार शाम को तीन साल का एक बच्चा कापसहेड़ा के एफएमटी कालेज के पास घूम रहा था। बच्चा अपने माता–पिता का कोई ठोस ठिकाना नहीं बता पा रहा था। पुलिस को मोहम्मद रसूल और उनकी पत्नी बेटे के गायब होने की सूचना मिली। दंपति ने गाड़ी में बैठे बच्चे को अपने बेटे के रूप में पहचान की और फिर पुलिस ने औपचारिकताएं पूरी कर बच्चे को सौंप दिया। दूसरे मामले में शनिवार रात साढ़े आठ बजे द्वारका सेक्टर–आठ बागडोला गांव के राधे कृष्ण मंदिर के पास एक बच्चा मिला। यहां भी पुलिस ने बच्चे को द्वारका के एशियन भवन के पास रिश्ते में चाचा से मिलवाया। (**जसं**)

अमन विहार में दो ने की आत्महत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

अमन विहार थाना क्षेत्र में दो युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इनकी पहचान डालंचद और सतीश के तौर पर हुई है। पुलिस को दोनों ही घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला हैं। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

जानकारी के मुताबिक डालचंद अमन विहार इलाके में परिवार के साथ रहते थे। परिजनों ने सुबह देखा कि डालचंद पंखे से लटके हुए थे। परिजनों ने उसे तुरंत नीचे उतारा और अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को परिवार वालों ने बताया कि डालचंद पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर परेशान था। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

वहीं, सतीश, सेक्टर–20, रोहिणी की एमसीडी कॉलोनी में परिवार के साथ रहते थे। यहां भी मृतक के परिजनों ने उसे पंखे से लटका हुआ पाया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को यहां भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।

31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ–महीने के लिए वित्तिय परिणामों का सारांश (रु. करोड़)

क्र. सं.	विवरण	एकल					समेकित				
		31.12.2019 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31.12.2018 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31.12.2019 को समाप्त नौ–महीने (अलेखापरीक्षित)	31.12.2018 को समाप्त नौ–महीने (अलेखापरीक्षित)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.12.2019 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31.12.2018 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित एवं समीक्षा के अधीन नहीं)	31.12.2019 को समाप्त नौ–महीने (अलेखापरीक्षित)	31.12.2018 को समाप्त नौ–महीने (अलेखापरीक्षित एवं समीक्षा के अधीन नहीं)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्रचालन से कुल आय	23496.35	24120.36	70453.51	69085.04	90307.43	25412.39	25491.04	75803.20	72852.22	95742.03
2	कर पूर्व निवल लाभ (अपवादात्मक मदों से पूर्व)	3422.04	3489.54	10082.15	9135.35	12672.52	3627.94	3722.76	10728.07	9536.29	13627.94
3	कर पूर्व निवल लाभ (अपवादात्मक मदों से पश्चात)	3422.04	3489.54	10082.15	9135.35	12672.52	3627.94	3722.76	10728.07	9536.29	13627.94
4	कर पश्चात् लाभ	2995.14	2385.41	8860.37	7399.57	11749.89	3197.73	2608.18	9446.93	7774.42	12633.45
5	कर पश्चात् निवल लाभ स्वामियों के संरक्षक के योगदान योग्य						3179.06	2597.95	9417.02	7792.80	12640.02
6	कर पश्चात् कुल व्यापक आय	2942.19	2419.36	8680.62	7413.66	11548.02	3147.55	2627.84	9274.54	7803.06	12442.18
7	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)	9894.56	8245.46	9894.56	8245.46	9894.56	9894.56	8245.46	9894.56	8245.46	9894.56
8	तुलन–पत्र के अनुसार पुर्नमूल्यांकित आरक्षित को छोडकर अन्य इक्विटी					97513.61					100142.43
9	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹10/-) (अ–वार्षिकीकृत) (नियामक आस्थगित खाता शेष में शुद्ध संचलन सहित) मूल एवं मिश्रित (₹ में)	3.03	2.41	8.95	7.48	11.88	3.21	2.63	9.52	7.88	12.77
10	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹10/-) (अ–वार्षिकीकृत) (नियामक आस्थगित खाता शेष में शुद्ध संचलन के अतिरिक्त) मूल एवं मिश्रित (₹ में)	1.41	1.94	5.95	4.92	15.76	1.60	2.16	6.51	5.32	17.02

नोट:
1 उपरोक्त अवतरण, सेबी (सूचीकरणए बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। कम्पनी के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप हमारी वेबसाइट https://www.ntpc.co.in के निवेश खंड पर और बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट https://www.bseindia.com एवं https://www.nseindia.com के कॉर्पोरेट खंड के अन्तर्गत उपलब्ध है।
2 जहां आवश्यक समझा गया है, वहां पिछली अवधियों के आंकड़ो को पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 7 फरवरी, 2020

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
हस्त/–
(ए. के. गौतम)
निदेशक (वित्त)

एनटीपीसी NTPC एन टी पी सी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)
विद्युत क्षेत्र में अग्रणी
पंजीकृत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
सीआईएन: L40101DL1975GOI007966 | ई–मेल: ntpccc@ntpc.co.in | वेबसाईट: www.ntpc.co.in
Follow us on : /ntpc1 /ntpclimited /ntpcltd1 /company/ntpc /ntpclimited

मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी का खुलासा, एक गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने नशीले पदार्थ की तस्करी के एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह के पर्दाफाश का दावा किया है। यह गिरोह मनोवैज्ञानिक पदार्थों की बिक्री और खरीद के लिए प्रयोग डार्कनेट बाजार का इस्तेमाल करता था। गिरोह के भंडाफोड़ में दो महीने का समय लगा और इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं ने बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।

आरोप है कि गिरफ्तार दीपू सिंह नामक तस्कर दो डार्कनेट बाजारों का इस्तेमाल करता था। दिल्ली जोनल यूनिट ने 22 हजार मनोवैज्ञानिक (साइकोट्रोपिक पदार्थों) टैबलेट ट्रामाडोल, जोलपीडम, अल्प्राजोलम बरामद की जबकि मुंबई जोनल यूनिट ने इसी प्रकार की 33 हजार गोलियां बरामद की। गिरोह के सदस्यों ने अपने नेटवर्क से करीब छह सौ पार्सल और आर्डर को पूरा किया। भारत के अलावा अमरीका, ब्रिटेन, रोमानिया, स्पेन और अन्य यूरोपीय देशों में जाल फैला रखा था। ब्यूरो के उप महानिदेशक राजेश नंदन श्रीवास्तव के मुताबिक इस पूरे मामले के भंडाफोड़ के लिए विशेष रूप से संयुक्त खुफिया टीमें लगाई गई थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पोस्टल, एक्सप्रेस मेल और समुद्री मार्ग से होने वाले कूरियर पर नजर रखी जा रही थी। दो दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच बरामद दवाईयों ज्यादा भेजी गई थी। मुंबई जोनल यूनिट ने भारतीय कस्टम विभाग के साथ मिलकर मुंबई के विदेशी पोस्ट आफिक से 9 हजार ट्रामाडोल के टैबलेट बरामद किए। इसे ब्रिटेन भेजा जाना था। ब्रिटेन के एजंसी को भी इस बाबत सूचित और सतर्क रहने कहा गया। फिर भारत से समुद्री मार्ग से ब्रिटेन भेजे गए दो मनोवैज्ञानिक दवाईयों के पैकेट बरामद हुए।

कई हथियारों के साथ दो आरोपी तस्कर गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो को हथियार तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। तस्कर दिल्ली और आसपास के बदमाशों को अवैध हथियारों की आपूर्ति करते थे। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 21 पिस्तौल और 50 कारतूस जब्त किए हैं। तस्करों की पहचान मध्य प्रदेश निवासी मुरैना निवासी संतोषी (50) और प्रीतम सिंह (20) के तौर पर हुई है। इन दोनों को पुलिस ने दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन बदमाशों ने बताया है कि उसके गांव में पड़ोसी से लड़ाई के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। बाद में वह जिला जेल में बंद रहा। इसी दौरान उसकी मुलाकात अवैध हथियारों की तस्करी करने वालों से हुई, जिसके बाद वह तस्करी की वारदात को अंजाम देने लगा।

स्पेशल सेल के उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि बीती सात फरवरी को एक गिरोह दिल्ली में हथियारों की खेप लेकर आने वाला है।

बस में लूटपाट करते दबोचा गया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

खजूरी खास थाना क्षेत्र में एक निजी बस के अंदर बदमाशों ने दो युवकों का फोन लूट लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने युवकों को धक्का दिया और मौके से फरार होने लगे। इसी बीच पीड़ित एक युवक ने बहादुरी का परिचय देते हुए एक बदमाश को दबोच लिया, जबकि दूसरा बदमाश फोन लेकर भाग गया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान कमरे आलम (22) है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर फरार आरोपी का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

जानकारी के मुताबिक रोहित (18) शिव विहार में परिवार के साथ में रहता है। शनिवार शाम करीब छह बजे वह घर जाने के लिए खजूरी बस स्टैंड पर खड़ा था। एक निजी बस आने के बाद वह बस में लगा। इस दौरान गेट पर तीन–चार युवक खड़े थे। बस में अंदर घुसने के दौरान युवकों ने उसकी जेब से फोन लूट लिया।

सत्यमेव जयते
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
भारत सरकार
Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत

अपने कौशल के अनुसार, चुनो अपना रोज़गार
कौशल भारत के रोज़गार मेले में पंजीकरण कराएं और रोज़गार पाकर अपना भविष्य संवारें
पात्रता: 8वीं, 10वीं, 12वीं पास और आईटीआई, डिप्लोमा धारक व ग्रेजुएट

कौशल महोत्सव

कौशल प्रदर्शनी, रोज़गार मेला, कौशल प्रमाणपत्र वितरण
दिनांक : 12–13 फरवरी, 2020
स्थान : पं. दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल, बड़ा लालपुर, चांदमारी, ऐढे, वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221003
समय : सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

पंजीकरण के लिए स्कैन करें
हैल्पलाइन नं. 8800055555

रोज़गार मेले में आवश्यक दस्तावेज़ :
(1) बायोडाटा की 3 प्रतियां (2) सभी मार्कशीट्स की 3 प्रतियां {10वीं, 12वीं, डिप्लोमा, अण्डर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट (बी.ए., बी. कॉम., बी.एस.सी., बी.टेक इत्यादि)} (3) फोटो आईडी (आधार/ड्राइविंग लाइसेंस आदि) (4) 3 पासपोर्ट साइज़ की फोटो

10 से अधिक कार्य क्षेत्रों जैसे कि पॉवर, रिटेल, टेलीकॉम, बैंकिंग व फाइनैंस, आई.टी. – आई.टी.ई.एस., सिक्योरिटी, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, हैल्थकेयर आदि में नौकरी के अवसर
50 से अधिक नियोक्ताओं (इन्डस्ट्री एवं कम्पनियां) की मेले में भागीदारी

गरिमामयी उपस्थिति: डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, भारत सरकार
12 फरवरी : दोपहर 3 बजे | 13 फरवरी: दोपहर 1 बजे

www.readwhere.com

दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे : कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने रविवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन पिछले साल के हरियाणा विधानसभा चुनावों की तुलना में बेहतर होगा। चुनाव परिणाम चौकाने वाले होंगे। एग्जिट पोल में हरियाणा में भी कांग्रेस को मामूली सीटें दी जा रही थी, लेकिन जब परिणाम आए तो कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की। इसी प्रकार एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस दिल्ली में तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है। पर चोपड़ा को उम्मीद है कि परिणाम आने के बाद साबित हो जाएगा कि दिल्ली में कांग्रेस ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। चोपड़ा ने कहा कि चुनाव परिणाम जो भी आए। उनका गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। यदि परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए तो आला कमान से विचार-विमर्श कर आगे की रणनीति बनाएंगे।

वहीं, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने कहा कि दिल्ली के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और पार्टी के उम्मीदवारों ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। उम्मीद है कि पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। दोपहर बाद दिल्ली में मतदान का फीसद बढ़ा था।

चुनाव परिणाम आने तक दिल्ली पुलिस मुस्तैद

त्रिस्तरीय सुरक्षा में बंद उम्मीदवारों का भाग्य

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दल भले ही अपनी हार-जीत का चुनावी गणित लगा रहे हों लेकिन दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों का इम्तिहान अभी बाकी है।

दिल्ली पुलिस के विभिन्न यूनिटों के दस हजार तैनात जवानों और अधिकारियों के साथ-साथ अर्द्धसैनिक बलों की करीब 50 कंपनियां चुनाव में ईवीएम की सुरक्षा से लेकर, स्ट्रांग रूम में रखे गए संदूक और जीत के जश्न के जलसों तक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही चैन की सांस ले सकेगी। करीब दो हफ्ते से मुस्तैद सुरक्षा बलों के लिए शाहीन बाग की वजह से चुनाव में कोई बड़ा व्यवधान न उत्पन्न हो जाए इसलिए उनकी नींद उड़ी हुई थी। चुनाव सुरक्षा के बाबत बनाए गए उपायुक्त शरत कुमार सिंहा ने बताया कि पुलिस 24 घंटे सातों दिन सुरक्षा में मुस्तैद होती है। चुनाव में अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाती है लिहाजा यहां अतिरिक्त बलों के साथ हम कानून के मुताबिक कार्य करते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी। फोटो : अरुष चोपड़ा

चौकसी

बार्डर इलाके में विशेष गश्त और तैनाती गई है ताकि संदिग्धों की धड़पकड़ तुरंत हो सके। आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों के मद्देनजर राजधानी दिल्ली हमेशा सुरक्षा के बाबत मुस्तैद रहता है। अन्य चुनाव की तरह ही इस बार भी विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस के एक उपायुक्त को चुनाव सेल का उपायुक्त बनाकर आला अधिकारी की निगरानी में पूरी चुनाव प्रणाली को शांति पूर्ण ढंग से निबटाने की जिम्मेवारी सौंपी गई। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद अवैध शराब की बरामदगी से लेकर नगदी और अन्य करंसी के लेन देन पर पुलिस की विशेष नजर रखी गई थी। पुलिस ने अपनी खुफिया सूत्रों को सतर्क और मुस्तैद कर चुनावी प्रक्रिया के दौरान अभियान चलाया था। उपायुक्त शरत कुमार सिंहा ने बताया कि दिल्ली पुलिस के जिले में तैनात पुलिस बलों के करीब सात हजार जवानों और अधिकारियों के अलावा यातायात यूनिट, पीसीआर, स्पेशल ब्रांच, अपराध शाखा के साथ स्पेशल सेल की टीमें पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं। तीन सतहों पर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं से भी कोई चूक नहीं हो जाए लिहाजा पुलिस के आला अधिकारियों की निगरानी में गठित टीमें मुस्तैद की गई है। रविवार और सोमवार को ईवीएम सहित स्ट्रांग रूम में रखे संदूक की निगरानी और फिर मंगलवार को होने वाली मतगणना स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर काम शुरू कर दिया गया। अवरोधक लगाकर दिल्ली आने जाने वाले हर उस सीमा पर नजर रखी जा रही है जहां से किसी भी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है। परिणाम के बाद जीत के जश्न में विरोधी पार्टियों के साथ कोई अशोभनीय व्यवहार न हो और संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाके में किसी भी प्रकार का उपद्रव न फैले इस बाबत विशेष रूप से जवानों को सतर्क और प्रशिक्षण देकर तैनात किया गया है।

ऐ भाई...

प्रेस कान्फ्रेंस करते आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह।

दो युवकों को प्रदर्शनकारियों ने पकड़ा, पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर लगातार शाहीन बाग की खबरें देखकर शाहीन बाग घूमने पहुंचे दो युवकों को प्रदर्शनकारियों ने पकड़ लिया। इन युवकों के नाम मनीष और बिट्टे बताया जा रहा है। प्रदर्शकारियों का आरोप है कि वे हिंदू सेना और बजरंग दल के सदस्य हैं। बाद में दोनों को पुलिस को सौंप दिया गया। हालांकि, जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने इस बात से साफ-साफ इंकार किया है। उनका कहना था कि दोनों से बातचीत के बाद उन्हें तुरंत छोड़ दिया गया और वह किसी भी संगठन से नहीं जुड़े हैं, बल्कि दिल्ली में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं की गई है। पुलिस ने बताया कि मनीष और बिट्टू कुमार आजादपुर इलाके में किराए पर रहते हैं। दोनों ने स्नातक की पढ़ाई की हुई है। इन दिनों दोनों नौकरी की तलाश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों लगातार न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर खबरें देख रहे थे। इससे वह भी प्रभावित थे और खुद वहां पर जाकर प्रदर्शन को देखना चाहते थे। इसी के मद्देनजर शुक्रवार रात दोनों शाहीन बाग पहुंचे और वहां पर प्रदर्शकारियों का फोटो खींचने लगे। इस बात पर नाराज प्रदर्शनकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनका मोबाइल भी ले लिया।

एक्सपो मार्ट में सुरक्षा का संदेश

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 9 फरवरी।

एक्सपो मार्ट में देशी-विदेशी चमचमाती, महंगी और अत्याधुनिक मोटरसाइकिल- कारों का मेला, ऑटो एक्सपो में जहां पहुंचने वाले युवाओं की भीड़ नया कीर्तिमान बना रही है। वहीं, एक्सपो मार्ट के गेट नंबर पांच के बाहर खड़ी कार और उसके ऊपर फूलों से सजी हेलमेट की अर्थी, स्कूली बच्चों के बस्ते और मटकी बरबस ही लोगों का ध्यान खींच रही है। कार पर फूलों से सजी अर्थी के दोनों तरफ लटके बच्चों के पुराने स्कूल बैग, यह संदेश दे रहे हैं कि माता-पिता को अपने चिराग की रक्षा स्वयं करनी है। सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति और भविष्य में अपने बच्चों के साथ गाड़ी में चले, तो आप भी हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। हेलमेट मैन के रूप में प्रसिद्ध राघवेंद्र कुमार का यह अभियान ऑटो एक्सपो में आने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

पीके की रणनीति से 'आप' की जगी उम्मीद

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

प्रधानमंत्री की कुर्सी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के बाद से सियासी गलियारों में प्रमुख चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अपनी धाक जमाने वाले प्रशांत किशोर (पीके) का राजनीतिक कौशल दिल्ली के दंगल में भी दांव पर लगा हुआ है। चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले किशोर दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली आम आदमी पार्टी (आप) के सलाहकार हैं और उनको यह जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही यह चर्चा जारी है कि क्या वे दिल्ली में केजरीवाल की जीत की हैट्रिक के सूत्रधार साबित होंगे।

चुनाव खत्म होने के बाद शनिवार शाम जब विभिन्न चुनावी सर्वेक्षणों के आधार पर चैनल 'आप' की बंपर जीत का एलान कर रहे थे, बताते हैं कि उस वक्त केजरीवाल किशोर के साथ बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि ईवीएम की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाए। इस बैठक में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। पिछले कई महीनों से किशोर केजरीवाल को एक-एक बारीकियां समझाते रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि 'आप' के कई विधायकों के टिकट किशोर की टीम के सर्वे के आधार पर ही काटे गए।

2014 के आम चुनाव में भाजपा के साथ जुड़कर चुनावी रणनीति बताने वाले प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चमके और 2015 के चुनाव में बिहार में महागठबंधन बनाकर भाजपा को शिकस्त मिलने के बाद उनकी चमक दोगुनी हो गई। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी समय से उनके मुरीद हो गए। किशोर को बाद में उन्होंने अपनी पार्टी में नंबर-दो तक का ओहदा दे दिया। हालांकि एक ताजा विवाद के बाद किशोर अब जनता दल (एकी) से बाहर कर दिए गए हैं। किशोर के नाम 2017 के पंजाब चुनाव में कैप्टन अमरिंदर को सत्ता दिलाने का रिकार्ड भी दर्ज है जबकि 2019 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा सभा चुनाव में वाइएसआर प्रमुख जगनमोहन रेड्डी की बंपर जीत के सूत्रधार भी किशोर कहे गए। यह अलग बात है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के पक्ष में 'चाय पे चर्चा' से खासी चर्चा बटोरने वाले किशोर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बेड़ा नहीं पार लगा पाए और 'खटिया पर चर्चा' का उनका फार्मूला बिल्कुल उल्टा साबित हुआ। 'आप' के पक्ष में आए चुनावी सर्वेक्षणों के बाद कहा जा रहा है कि ये अनुमान सच साबित हुए तो किशोर का रणनीतिक कौशल एक बार फिर सही साबित हो जाएगा। वे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और तमिलनाडु में द्रमुक के लिए काम कर रहे किशोर की मांग में इजाफा हो सकता है। हालांकि जानकार कहते हैं कि चाहे 2014 के नरेंद्र मोदी हों या 2015 के नीतीश कुमार, 2017 के कैप्टन अमरिंदर हों या 2019 में जगनमोहन रेड्डी, इन सभी नेताओं की जीत वैसे भी पक्की थी, प्रशांत किशोर की रणनीति ने उस जीत को पुख्ता करने में भले योगदान दिया हो।

मतदान के बाद नेताओं ने ली फुरसत की सांस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

करीब महीने भर से दिन-रात एक करने वाले तमाम नेताओं में से कुछ ने मतदान के बाद रविवार को गुनगुनी धूप में आराम फरमाकर थकान मिटाई तो किसी ने पार्टी की स्थितियों व मतदान के रुझान पर विचार-विमर्श किया। किसी ने हर दिन की तरह पार्टी का कामकाज देखा तो किसी ने दोस्तों व परिवार के साथ गपशप में वक्त बिताया।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने मनीष सिसोदिया ने अपने घर पर खिली धूप में बच्चों के साथ खेलते हुए वक्त बिताया।

आप नेता सत्येंद्र जैन ने भी कमोबेश इसी अंदाज में वक्त निकाला, जबकि भाजपा नेता मनोज तिवारी पार्टी कार्यकर्ताओं व लोगों के साथ हल्के-फुल्के माहौल में घर पर ही रहे। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी भी काफी दिनों बाद काफी फुरसत में नजर आईं। वे रविवार को घर पर ही रहीं व दिल्ली की राजनीति पर आपस में बातें की।कुछ अन्य पार्टी नेताओं के साथ विजय गोयल भी बैठकी लगाए नजर आए। कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्पा या मसाज लेकर अपनी थकान मिटाई।

दिल्ली मेरी दिल्ली

अनुवाद में झोल

राष्ट्रभाषा को लेकर जगरूकता सप्ताह मनाने का चलन तो है पर भाषा को लेकर रस्म अदायगी ही ज्यादा रहती है। वास्तव में भाषा ज्ञान को लेकर लोगों में समझ कम ही दिखाई पड़ती है। खासकर अनुवाद में यह कमी जरूर मिलती है। दिल्ली में एक ऐसी ही बानगी बेदिल को देखने को मिली। मौका था कोरोना वायरस को लेकर रिपोर्टिंग का। एक सरकारी ब्यूरो ने बीमारी में नए मरीज की पुष्टि के मामले में जो अनुवाद किया वह था कि इस बीमारी के एक और मरीज की जांच रिपोर्ट सकारात्मक आई है।

संदेश से हैरानी

मतदान में बढ़चढ़ की हिस्सेदारी कराने के लिए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के अभियान का एमटीएनएल से आए संदेश से पलीता लगता नजर आया। नेटवर्क को लेकर अपने ग्राहकों का फजीहत कराने में आगे रही यह सरकारी कंपनी दिल्ली वालों को 8 फरवरी 2020 की जगह, '8 फरवरी 2029 में ''जरूर' वोट देने की अपील कर रहा है। इस बाबत आए एसएमएस से बेदिल सहित कई चौंके। किसी ने एमटीएनएल की गलती बताई तो किसी ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी की। दरअसल यह संदेश एमटीएनएल के नंबर पर एमटीएनएल की ओर से भेजा गया लेकिन इसकी अपील दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के नाम से ही हुई है। देखना होगा कि गलती सुधारता कौन है? क्यों दोनों सरकारी विभागों में कोई निगरानी भी करने वाला है कि नहीं। लेकिन संतोष यह है कि दिल्ली वाले सजग निकले, उन्होंने गलतियों को भांप लिया और सही समय पर मतदान किया।

योजना फेल

नोएडा की सड़कों पर रेहड़ी, पटरी या ठेली लगाने वालों को व्यवस्थित करने के लिए शुरू हुई वेंडर जोन योजना अभी तक परवान नहीं चढ़ सकी है। जितने लोगों को वेंडर जोन में जगह दी जा सकी है, उससे करीब तीन गुना अधिक लोग सड़कों से हटने को तैयार नहीं है। प्राधिकरण ने वेंडर जोन योजना लागू करने के साथ सड़कों पर अपात्र के रूप में रेहड़ी-पटरी लगाने वालों को खदेड़ने की चेतावनी दी थी। जिससे लोगों के मन में डर पैदा हो गया था। अलबत्ता हाल ही में शुरू हुई पुलिस आयुक्त प्रणाली के बाद सड़कों से रेहड़ी पटरी हटाने का काम पुलिस के पास चला गया है। इससे न केवल वर्षों के बाद साकार होने वाली वेंडर जोन नीति के नाकाम होने के आसार हो गए हैं। बल्कि सड़कों पर अतिक्रमण संबंधी दिक्कतें ज्यादा होने की भी आशंका हो गई है।

टूटता मनोबल

दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस भले ही दमदार प्रदर्शन करने का दावा करती रही। पर पार्टी के कई प्रवक्ताओं का मनोबल मतदान से कुछ दिन पहले ही कमजोर होने लगा था। एक प्रवक्ता ने कहा कि लग ही नहीं रहा कि उनकी पार्टी इस बार दम से चुनाव लड़ रही है। प्रवक्ता की शिकायत थी कि कांग्रेस के कुछ गिने-चुने स्टार प्रचारक ही मैदान में नजर आ रहे हैं। इससे कहीं अधिक परेशान करने वाली बात उनके लिए यह थी कि उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं होती थी कि कौन से स्टार प्रचारक किस उम्मीदवार के लिए प्रचार करने वाले हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि प्रचारक प्रचार कर चले गए और बाद में उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि उन्होंने प्रचार किया है कि नहीं। यही कारण है कि कई प्रवक्ता थे, जिनका मतदान से कुछ दिनों पहले ही मनोबल टूटने लगा था। हैरानी की बात यह है कि कुछ प्रवक्ताओं ने कांग्रेस के दो बड़े स्टार प्रचारकों की दिल्ली में होने वाली जनसभा की जानकारी उनके ट्विटर अकाउंट से पता चली।

चुनाव में सेल्फी

दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में तरह-तरह के दृश्य सामने आए। इनमें बिंदापुर में बना युवाओं को सेल्फी प्वाइंट सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा था। उसमें कुछ स्कूली बच्चे कई मॉडल बनकर सेफ्ली ले रहे थे। चुनाव आयोग का यह पहला पोलिंग बूथ था जहां मतदाताओं के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। अपना मत देने आए मतदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े इसलिए क्यू सिस्टम में अपने नंबर का इंतजार कर रहे मतदाताओं के लिए बैठने के लिए कुर्सी, पीने के पानी, कॉफी और बिस्कुट के साथ सेल्फी प्वाइंट बनाया गया था।

जमानत राशि

दिल्ली के चुनावी दंगल में कुछ ऐसे कांग्रेसी भी किस्मत आजमा रहे हैं जिनको लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि वे अपनी जमानत राशि भी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन दिलचस्प यह है कि चुनावी टिकट मिलने और कांग्रेस उम्मीदवार होने का ठप्पा लगने के बाद इन्होंने अपने जूनियरों पर अभी से रौब झाड़ना शुरू कर दिया है। अपनी हार-जीत का रिजल्ट आने से पहले ही ये नेता दावे कर रहे हैं कि अब नगर निगम का टिकट तो उनको ही बांटना है। ऐसे दावे करने वालों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में पहली बार किस्मत आजमाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है।

-बेदिल

यूपी बोर्ड : कोड युक्त प्रवेश पत्र से फर्जी परीक्षार्थियों पर रहेगी नजर

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 9 फरवरी।

18 फरवरी से शुरू हो रहे यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली अपनाई जा रही है। इस बार परीक्षार्थियों को बार कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। इसे स्कैन करते ही परीक्षार्थी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे में कोई अन्य छात्र किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा नहीं दे सकेगा।

गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा 47 केंद्रों पर होगी। जहां 37643 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सभी स्कूलों के छात्र- छात्राओं को प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं। प्रवेश पत्र में परीक्षार्थी के फोटो के नीचे एक बार कोड बनाया गया है। परीक्षा के दौरान किसी परीक्षार्थी पर संदेह होने पर सचल दल इस बार कोड को स्कैन करेगा। स्कैन करने पर परीक्षार्थी का नाम, फोटो, अनुक्रमांक, कॉलेज, परीक्षा केंद्र के साथ पंजीकरण संख्या, जनपद एवं कॉलेज कोड भी प्रदर्शित होगा।

पति ने भाजपा नेता को अवैध संबंध के शक में गोली मारी, फरार

चंडीगढ़, 9 फरवरी (भाषा)।

हरियाणा में गुरुग्राम की एक भाजपा नेता की उनके पति ने अवैध संबंध के संदेह में कथित रूप से गोली मारकर हत्या कर दी। गुरुग्राम के सेक्टर 10-ए थाने के एक अधिकारी ने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के हवाले से बताया कि भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश सचिव यह नेता शनिवार शाम फोन पर अपनी बहन से बात कर रही थीं, उसी दौरान उसके पति सुनील ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से उस पर गोली चला दी।

भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश सचिव फोन पर बहन से बात कर रही थीं, तभी पति ने चलाई गोली

अधिकारी ने कहा, 'उनके पति को संदेह था कि उनका (भाजपा नेता का) अवैध संबंध है। सुनील पूर्व सैनिक है और एक निजी कंपनी में सुरक्षा अधिकारी की नौकरी करता है।' पुलिस अधिकारी के अनुसार इस घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया। गुरुग्राम के सेक्टर-10 के थाने में महिला के पति और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

यूको बैंक
अंचल कार्यालय, एन सी आर प्लाजा, न्यू कैन्ट रोड, देहरादून
कब्जा सम्बन्धी नोटिस
(नियम 8(1) अचल सम्पत्ति हेतु)

सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 (2002 का एक्ट नं0 54) तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम 2002 नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गए खाते में उसके नाम के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणियों/गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्तियों का कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया गया है। ऋणियों/गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन **यूको बैंक, सम्बन्धित शाखा** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। **(कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है)**

क्र. सं.	शाखा, ऋणी एवं गारन्टर का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	कब्जा नोटिस की तिथि
1.	**शाखा: गोविन्दपुरी, हरिद्वार** **ऋणी:** 1. श्रीमती सुमन देवी पत्नी राजेश कुमार, निवासी: हरिद्वार, ग्रीन प्रोजैक्ट, फ्लैट नं0 302, तृतीय तल, टॉवर, जी-12, अन्नकी हेतापुर, हरिद्वार-249402, उत्तराखण्ड। 2. श्री राजेश कुमार पुत्र रामस्वरूप, निवासी: हरिद्वार, ग्रीन प्रोजैक्ट, फ्लैट नं0 302, तृतीय तल, टॉवर, जी-12, अन्नकी हेतापुर, हरिद्वार-249402, उत्तराखण्ड।	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड हरिद्वार ग्रीन सिटी फ्लैट नं0 302 तृतीय तल, टॉवर जी-12/303, आवासीय पार्क, अन्नकी हेतापुर, परगना- रूड़की, तहसील एवं जिला- हरिद्वार- 249402, उत्तराखण्ड। माप क्षेत्रफल 1700 वर्ग फीट, सुपर क्षेत्र (157.99 वर्ग मीटर), सब- रजिस्ट्रार ऑफिस हरिद्वार, बुक नं0 1, जिल्द 2334, पेज नं0 379 से 414, विलेख नं0 6959 दिनांक 29.07.2015 पर पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती सुमन देवी पत्नी राजेश कुमार। **सीमायें:**-पूर्व: फ्लैट नं0 जी-12ए, पश्चिम: फ्लैट नं0 जी 12/301, उत्तर: 7.5 मीटर चौड़ा रास्ता, दक्षिण: ग्रीन क्षेत्र।	24.09.2019	रु0 **37,60,448/-** + ब्याज दिनांक 31.08.2019 एवं अन्य खर्चे	**05.02.2020**
2.	**शाखा: गोविन्दपुरी, हरिद्वार** **ऋणी:** नसीम पुत्र श्री जर्मील अहमद, निवासी: मकान नं0 185 डी, ग्राम- दादूपुर, गोविन्द्रपुर, भदवाद, हरिद्वार-249402	(सभी दृष्टिबंधक सम्पत्तियों, अर्थात् स्टॉक सहित वर्तमान सम्पत्ति, बुक ऋण, उपभोज्य भंडार एवं पुर्जों एवं दृष्टिबंधक यंत्र एवं मशीनरी आदि का दस्तावेज में उल्लेख किया गया है।) वास्तविक विक्रेय विलेख दिनांक 11.05.2011 क्र0सं0 3165 बही नं0 1, जिल्द नं0 278 पेज नं0 27 से 38 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस हरिद्वार पर पंजीकृत है। स्थित खसरा नं0 65/1, कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट दादूपुर ग्राम- गोविन्दपुर परगना रूड़की, तहसील एवं जिला- हरिद्वार। **सीमायें:**- पूर्व: अन्य व्यक्ति का मकान, पश्चिम: जूली का मकान, उत्तर: 14 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: विक्रेता का मकान।	02.08.2019	रु0 **12,18,351.50/-** + ब्याज दिनांक 30.06.2019 एवं अन्य खर्चे	**05.02.2020**
3.	**शाखा: मेन, हरिद्वार** **ऋणी:** श्री मौहम्मद अमजद पुत्र श्री मंजूर अहमद एवं श्रीमती यासमीन पत्नी मौहम्मद अमजद	बंधक भूमि एवं भवन, स्थित खसरा नं0 606, मकान नं0 295 मौहल्ला, कैथवाडा ज्वालापुर, हरिद्वार- 249407, परगना ज्वालापुर, जिला- हरिद्वार, कुल भूमि क्षेत्रफल 55.25 वर्ग मीटर (594.5 वर्ग फीट) सब- रजिस्ट्रार ऑफिस- हरिद्वार बुक नं0 1, जिल्द नं0 1064, पेज नं0 337 से 356 क्र0सं0 11778 दिनांक 23.11.2012 पर एवं वर्तमान विक्रेय विलेख दिनांक 18.04.2016 बुक नं0 1, जिल्द नं0 3669, पेज नं0 17 से 26 क्र0 सं0 2406 दिनांक 18.04.2016 पर पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामी श्री नैईम एवं श्रीमती यासमीन पत्नी मौहम्मद अमजद। **सीमायें:**- पूर्व: मस्जिद, पश्चिम: 6 फीट चौड़ी गली, उत्तर: 10 फीट चौड़ी गली, दक्षिण: अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति।	20.11.2018	रु0 **28,22,946/-** + ब्याज एवं अन्य खर्चे	**05.02.2020**
4.	**शाखा: मेन, हरिद्वार** **ऋणी:** श्री नौशाद पुत्र स्व0 श्री दिलशाद एवं श्रीमती बिल्किश पत्नी स्व0 श्री दिलशाद, मौहल्ला नीलखुदाना, निकट पीएनबी बैंक, ज्वालापुर, हरिद्वार।	बंधक आवासीय भवन, भूमि माप क्षेत्रफल पूर्व 20 फीट, पश्चिम 18.5 फीट, उत्तर 28 फीट एवं दक्षिण 27 फीट कुल क्षेत्रफल 524 वर्ग फीट अर्थात् 48.69 वर्ग मीटर, खसरा नं0 1588/1, स्थित पांडेवाला, ज्वालापुर (हरिद्वार नगर निगम की सीमा) तहसील एवं जिला- हरिद्वार। विक्रेय विलेख बुक नं0 1, पेज नं0 45 से 64 क्र0सं0 3356, दिनांक 09.06.2017। सीमायें:- पूर्व: 22 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम: श्री राकेश सैनी का मकान, उत्तर: मकान नं0 02, दक्षिण: अन्य व्यक्ति की सम्पतित।	21.10.2019	रु0 **24,30,246/-** + ब्याज एवं अन्य खर्चे	**05.02.2020**

दिनांक 07.02.2020 स्थान: देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

एडलवेइस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन क. लि.
CIN: U67100MH2007PLC174759
Edelweiss
एडलवेइस हाउस, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई-400098

परिशिष्ट-II-ए तथा IV-ए [देखें नियम 6 (2) नियम 8 (6) का प्रावधान]
मै. एडवांस इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के ''प्रतिभूत परिसंपत्ति'' की ई-नीलामी बिक्री

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका ईएआरसी ट्रस्ट एससी-30 के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत एडलवेइस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की ई-नीलामी बिक्री के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित है। ऋणधारक द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायत के लिये मै. एडवांस एम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड (यहां के बाद ''ऋणधारक'' वर्णित) द्वारा गिरवी रखी गई निम्न प्रतिभूत परिसंपत्ति की उक्त तिथि के बाद भारतीय स्टेट बैंक (ईएआरसी के एसाइनर)/ ईएआरसी (यहां के बाद ''ईएआरसी'' वर्णित) द्वारा वसूल की गई राशि घटाकर उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य खर्चे/ लागतों के साथ 18 मई, 2016 को मै. एडवांस एम्पेक्स प्रा. लि. द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायता के लिए रु. 1,15,63,65,635/- (रुपए एक सौ पंद्रह करोड़ तिरेसठ लाख पैंसठ हजार छह सौ पैंतीस मात्र) की वसूली के लिए 2 मार्च, 2020 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है आधार'', ''जो कुछ भी वहां है आधार'' तथा ''कोई उपचार नहीं आधार'' पर बिक्री की जाएगी।
आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान इस प्रकार होगा:

लॉट	आरक्षित मूल्य (रु. करोड़)	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) (रु. करोड़)	बोली वृद्धि (रु. करोड़)
1.	15.48	1.55	0.05
2.	5.50	0.55	0.01

संपत्ति का विवरण इस प्रकार है:
लॉट I. भूमि तथा भवन (यूनिट 1) माप 12764 वर्ग मी.) (यूनिट 1) के साथ खसरा नं. 475, 476, 484 में फैक्ट्री भूमि तथा भवन, चौहद्दी: उत्तर: दिल्ली हापुर रोड, दक्षिण: अन्य सम्पत्ति, पूर्व: अन्य सम्पत्ति, पश्चिम: अन्य सम्पत्ति।
लॉट II. खसरा नं. 690 एवं 693 पर फैक्ट्री भूमि तथा भवन, ग्राम खेरा देहात, पिलखवा, गाजियाबाद, उ.प्र., माप 13,955 वर्ग मी. (यूनिट II), चौहद्दी: उत्तर: रोड, पूर्व: रोड, दक्षिण: महाराजा अग्रसेन कॉलेज, पश्चिम: खाली भूमि।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् https://www.edelweissarc.in में दी गई लिंक कृपया देखें।

तिथि: 10 फरवरी, 2020 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: मुम्बई एडलवेइस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

www.readwhere.com

दक्षिण बिहार केंद्रीय विवि के पास पैसे का टोटा, वेतन रोका

सुशील राघव
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

● एचआरडी मंत्रालय और यूजीसी की ओर से जारी नहीं हुआ फंड
● विवि प्रशासन ने कर्मचारियों से मानसिक रूप से तैयार रहने की अपील की

दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएसबी) के पास अपने शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को वेतन देने के लिए धन नहीं है। फरवरी में मिलने वाला वेतन अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिला है। इसमें अभी एक से दो हफ्ते का समय लग सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सभी कर्मचारियों से मानसिक रूप से तैयार रहने की अपील की गई है।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कर्नल आरके सिंह (सेवानिवृत्त) की ओर से सभी कर्मचारियों को लिखित अपील की है और कहा है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से फंड नहीं मिलने की वजह से फरवरी माह में वेतन मिलने में देरी हो सकती है। इस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। रजिस्ट्रार की ओर से लिखा गया है कि अगले कुछ महीनों के दौरान भी वेतन में एक से दो हफ्ते तक देरी हो सकती है जिसके लिए सभी कर्मचारी मानसिक रूप से तैयार रहें।

विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फंड की दिक्कत सिर्फ हमारे विश्वविद्यालय में ही नहीं है बल्कि नए खुले सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में है। उन्होंने बताया कि एचआरडी मंत्रालय की ओर से फंड नहीं मिलने से यह समस्या पैदा हुई है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि इस समस्या का समाधान जल्द ही निकाल लिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय के दबाव में विश्वविद्यालय ने लगातार शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर भर्ती की है लेकिन हमारा बजट जितना अप्रैल 2019 में था, उसे बढ़ाया नहीं गया। इस वजह से यह वित्तीय संकट हमारे सामने आया है। इससे पहले 13 सितंबर 2019 को डिप्टी रजिस्ट्रार प्रतीश कुमार दास की ओर से जारी नोटिस में सभी कर्मचारियों का अवकाश यात्रा भत्ता (एलटीसी), अर्जित अवकाश के नकदीकरण और वेतन के बकाए को देने पर रोक लगा दी थी। यह रोक विश्वविद्यालय की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाई गई थी। नोटिस में कहा गया था कि जैसे ही विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा यह रोक हटा ली जाएगी। अधिकारी के मुताबिक यह रोक अभी भी जारी है।

दाऊद का पूर्व सहयोगी तारिक परवीन जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार

मुंबई, 9 फरवरी (भाषा)।

मुंबई पुलिस की जबरन वसूली रोधी प्रकोष्ठ (एईसी) ने भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पूर्व सहयोगी तारिक परवीन को एक कारोबारी से जबरन वसूली करने के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परवीन को दक्षिण मुंबई के डोंगरी से गिरफ्तार किया गया।

संयुक्त पुलिस आयुक्त संतोष रस्तोगी ने बताया, 'एमआरए मार्ग पुलिस थाने में जबरन वसूली का मामला दर्ज होने के बाद हमने परवीन को आज गिरफ्तार किया। एक कारोबारी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।' उन्होंने बताया, 'पुलिस ने प्राथमिकी में दाऊद इब्राहिम के पूर्व सहयोगी एजाज लाकड़वाला और सलीम फर्नीचरवाला उर्फ सलीम महाराज का नाम भी बतौर आरोपी दर्ज किया है।' रस्तोगी ने बताया, 'लकड़वाला और फर्नीचरवाला पहले से हमारी हिरासत में है।' लाकड़वाला (50) के खिलाफ मुंबई में 25 मामले दर्ज हैं और आठ जनवरी को उसे बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार किया गया था।

गोवा : कोरोना के कारण चीनी प्रतिनिधिमंडल का दौरा टला

पणजी, 9 फरवरी (भाषा)।

चीन के फोटोग्राफर, मॉडल, ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग विशेषज्ञ तथा मार्केटिंग रणनीतिकारों के प्रतिनिधिमंडल को रविवार को यहां पहुंचना था।

गोवा में पर्यटन उद्योग के साझेदारों ने चीन के प्रतिनिधिमंडल के राज्य दौरे को फिलहाल टाल दिया है। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि पड़ोसी देश में कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर यह दौरा स्थगित किया गया है।

गोवा के ट्रैवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन (टीटीएजी) के अध्यक्ष सावियो मेसियास ने बताया कि चीन के फोटोग्राफर, मॉडल, ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग विशेषज्ञ तथा मार्केटिंग रणनीतिकारों के प्रतिनिधिमंडल को रविवार को यहां पहुंचना था। मेसियास ने कहा, 'लेकिन चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनके दौरे को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। यह प्रतिनिधिमंडल चीन से आगंतुकों को यहां आने के लिए आकर्षित करने की गोवा पर्यटन उद्योग के साझेदारों की मार्केटिंग रणनीति का हिस्सा था।' गोवा अपने कमजोर पड़ते अंतरराष्ट्रीय पर्यटन उद्योग को बचाने के लिए चीन के बाजार पर नजर बनाए हुए है। तटीय राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले महीने चीन के चेंगदू शहर में यात्रा बाजार में हिस्सा लिया था।

मेसियास ने कहा कि चेंगदू, शंघाई, बीजिंग और गुआंगझोउ जैसे प्रमुख चीनी शहरों में गोवा को पर्यटन स्थल के तौर पर प्रचारित करने की भी योजना थी। उन्होंने कहा, 'लेकिन योजनाओं को तब तक के लिए टाल दिया है, जब तक वहां कोरोना वायरस का खतरा है। खतरा खत्म होने के बाद, हम चीन में प्रचार शुरू करेंगे।'

मंदिरों-मस्जिदों से होगा एलान, बकाया बिजली बिल का करें भुगतान

मेरठ, 9 फरवरी (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) ने बकाया बिजली बिलों की भुगतान वसूली के लिए एक नया उपाय निकाला है, जिसके तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में मंदिरों और मस्जिदों से एलान करते हुए लोगों से बिजली बिलों के भुगतान की अपील की जाएगी।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में बिजली बिलों के भुगतान के लिए मंदिरों और मस्जिदों के माध्यम से अपील की जाएगी। उन्होंने बताया कि आसान किस्त योजना के तहत लोगों से बिजली बिलों की वसूली के लिए गांव-गांव में शिविर लगाए जाएंगे और लोगों को प्रेरित करने के लिए मंदिरों -मस्जिदों से एलान किया जाएगा। इस अभियान के तहत गांवों में डुग्गी-मुनादी कराए जाने के साथ ही उपभोक्ता एवं ग्राम प्रधानों से वार्ता कर ग्रामीण उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा कराने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रबंध निदेशक के अनुसार वह खुद गांव-गांव जाकर शिविरों में लोगों से बिल अदायगी की अपील कर रहे हैं और लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि जिस इलाके में अच्छा भुगतान होगा, वहां बिजली की आपूर्ति सुधरेगी। उन्होंने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को अपने जनपद मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए गए हैं।

नागरिकता की पेशकश पर आधा बांग्लादेश खाली हो जाएगा : केंद्रीय मंत्री

हैदराबाद, 9 फरवरी (भाषा)।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने रविवार को कहा कि अगर बांग्लादेश के नागरिकों को भारतीय नागरिकता की पेशकश की जाए, तो वहां की आबादी आधी रह जाएगी।

संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में रखे गए एक कार्यक्रम में रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को यह साबित करने की चुनौती दी कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) किस प्रकार से भारत की 130 करोड़ आबादी के खिलाफ है।

उन्होंने पूछा, 'अगर बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिकता देने की पेशकश की जाए तो आधा बांग्लादेश खाली हो जाएगा। अगर उन्हें नागरिकता देने का वादा किया जाए तो आधे बांग्लादेशी भारत चले आएंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केसीआर? या राहुल गांधी?' रेड्डी ने कहा, 'वे घुसपैठियों के लिए नागरिकता चाहते हैं। भारत सरकार सीएए की समीक्षा के लिए तैयार है।'

उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए मुसलिमों को भी नागरिकता देने की मांग कर रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) और उसकी 'सहयोगी पार्टी' एआइएमआइएम पर तंज कसते हुए रेड्डी ने आरोप लगाया कि टीआरएस वोट बैंक की राजनीति कर रही है।

'खुशी' के दिल में लगाया गया पेसमेकर, भारत में अपनी किस्म का पहला मामला

नई दिल्ली, 9 फरवरी (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में साढ़े सात साल की कॉकर स्पेनियल नस्ल की कुतिया के दिल में पेसमेकर लगाया गया है। पशु चिकित्सकों का कहना है कि यह देश में किसी पशु का इस तरह का पहला ऑपरेशन है।

दिल्ली के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि 'खुशी' नाम की कुतिया के दिल में बच्चों को लगाया जाने वाला पेसमेकर फिट किया गया है। यह ऑपरेशन इसलिए किया गया है कि खुशी के दिल की हालत बहुत खराब हो गई थी और दिल की धड़कन 20 बीट प्रति मिनट तक गिर गई थी, जबकि सामान्य तौर पर यह 60-120 होनी चाहिए। ग्रेटर कैलाश स्थित निजी अस्पताल के डॉ भानुदेव शर्मा ने कहा, 'उसका दिल उस गति से नहीं धड़क रहा था जो हृदय के सामान्य तौर पर काम करने लिए जरूरी होता है। दिल से निकलने वाले रक्त की मात्रा भी खासी घट गई थी और खुशी कई बार बेहोश भी हो गई थी।'

उन्होंने बताया कि पिछले साल फरवरी में कान के ऑपरेशन के दौरान वह मरने को थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचा लिया था। इसके बाद खुशी को निगरानी में रखा गया और ईसीजी से पता चला कि रुकावट के कारण उसका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा था। डॉ भानु और डॉ कुणाल देव शर्मा ने इस मामले को लेकर यूरोपीय सहयोगियों के साथ चर्चा की और कुतिया के दिल में पेसकर लगाने के लिए ऑपरेशन की योजना बनाई। ऐसा ऑपरेशन भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। पिछले साल 15 दिसंबर को उसके दिल में पेसमेकर लगाया गया था। इस ऑपरेशन में डेढ़ घंटे का वक्त लगा था।

जिस किसी का भी इससे संबंध हो

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि एएलपी ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड तथा एएलपी पॉलीमर पार्क प्राईवेट लिमिटेड, इंडिया (संयुक्त रूप से ''एएलपी'' वर्णित) ने एएलपी एफपीआई पार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड (''कम्पनी'') जिसका पंजीकृत कार्यालय ''खसरा नं. 173/2/2/1 ग्रामः बिजवासन, ओबराय फार्म्स के निकट, नई दिल्ली-110061 में तथा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ग्रामः गुगलकोटा, नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान में है, में धारित अपनी सम्पूर्ण 55% (पचपन प्रतिशत) शेयरधारिता को फॉर्च्यून पार्ट्स इंडस्ट्री पब्लिक कम्पनी लिमिटेड (एफपीआई), थाइलैण्ड को संयुक्त रूप से बिक्री तथा अंतरित कर दी है।

स्वामित्व में यह परिवर्तन 21 जनवरी, 2020 से प्रभावी है। यहां के बाद प्रभावी तिथि से कम्पनी के क्रियाकलापों का प्रबंध एकाकी रूप से एफपीआई थाइलैण्ड द्वारा किया जा रहा है। प्रभावी तिथि अर्थात् 21 जनवरी, 2020 से एएलपी तथा उसके प्रवर्त्तकों का कम्पनी के प्रबंध तथा प्रशासन में कोई नियंत्रण नहीं है तथा वह कम्पनी तथा उसके प्रबंधन के कार्यों अथवा त्रुटियों के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।

एएलपी ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
निदेशक

एएलपी ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
निदेशक

तिथिः 10 फरवरी, 2020 स्थानः नई दिल्ली

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

बाघौली शुगर एंड डिस्टलरी लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1	कार्पोरेट देनदार का नाम	बाघौली शुगर एंड डिस्टलरी लिमिटेड
2	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	21/04/2006
3	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-कानपुर
4	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U15424UP2006PLC031662
5	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	गांव - बीकापुर पीएस बाघौली, जिला - हरदोई, उत्तर प्रदेश
6	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	07/02/2020
7	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	05/08/2020
8	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम-विवेक रहेजा पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00055/2017-18/10133
9	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	पंजीकृत पता : जेडी 2सी, दूसरी मंजिल, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034 ईमेल : vivek@vpgs.in
10	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	पत्राचार के लिए पता : ओसरिक रेसोलुशन प्राइवेट लिमिटेड 908, 9वीं मंजिल, डी मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034 पत्राचार के लिए ईमेल : cirp.baghaulisugar@gmail.com
11	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	21/02/2020
12	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 6 उप-धारा (क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	कुछ नहीं
13	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	(क) वेबलिंक : https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने दिनांक 07 फरवरी 2020 को बाघौली शुगर एंड डिस्टलरी लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

बाघौली शुगर एंड डिस्टलरी लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण 21 फरवरी 2020 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर प्रविष्टि 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/-
विवेक रहेजा
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00055/2017-18/10133

दिनांक : 10 फरवरी 2020
स्थान : नई दिल्ली

सत्ताइस साल के लालू बन सकते हैं देश के पहले मूक-बधिर सरपंच

इंदौर, 9 फरवरी (भाषा)।

इसे लोकतंत्र की खूबसूरती कह लीजिए या नसीब का एकाएक चमक उठना कि आगामी ग्राम पंचायत चुनावों में जिले के 27 वर्षीय मूक-बधिर युवक का देश का पहला मूक-बधिर सरपंच बनना लगभग तय माना जा रहा है।

अनुविभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) प्रतुल सिन्हा ने बताया कि इंदौर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर डांसरी गांव को कुछ समय पहले ही ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया है। करीब 1,000 लोगों की आबादी वाले इस गांव की नवगठित पंचायत के आगामी चुनावों के लिए सरपंच का पद चक्रानुक्रम (रोटेशन) पद्धति के मुताबिक लॉटरी निकाल अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया है।

बहरहाल, इस आरक्षण से डांसरी गांव के मूक-बधिर युवक लालू (27) की किस्मत अचानक खुल गई है। वैसे राज्य में ग्राम पंचायत चुनावों के कार्यक्रम की फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन डांसरी के निवासियों का कहना है कि जल्द संभावित चुनावों में लालू का निर्विरोध सरपंच निर्वाचित होना लगभग तय है क्योंकि इस गांव में वह एसटी वर्ग का इकलौता मतदाता है। वह चुनावी मैदान में उतरने का मन भी बना चुका है।

अब तक अविवाहित लालू के माता-पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वह पिछले 20 साल से डांसरी के एक परिवार के साथ रहकर खेती-बाड़ी कर रहा है। मूक-बधिर समुदाय के अधिकारों के लिए सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानेंद्र पुरोहित ने इशारों की जुबान में लालू से हुई बातचीत के हवाले से बताया, 'खुद पर भरोसे से लबरेज लालू का कहना है कि वह आगामी पंचायत चुनावों में सरपंच पद के लिए निश्चित तौर पर पर्चा दाखिल करेगा।' पुरोहित ने बताया कि सरपंच बनने के बारे में सोचकर उत्साहित लालू खासकर किसानों के हित में काम करना चाहता है। इसके साथ ही, अपने गांव में नई सड़कें बनवाकर विकास में योगदान करना चाहता है।

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि टेलिक फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड (''कम्पनी'') नई दिल्ली में भा.रि.बै. के अचल कार्यालय द्वारा 6 जनवरी, 2003 को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. B-14.002822 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एक गैर-डिपॉजिट प्राप्त करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (''एनबीएफसी'') है जिसका CIN: U74899DL1995PTC067267 तथा पंजीकृत कार्यालय शॉप नं. 202, 2रा तल, 101/9, विवेकानंद बिल्डिंग, रिशी नगर, अचल हॉल के निकट, शकूर बस्ती, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 में है।

कम्पनी के वर्तमान शेयरधारक अब एक नये शेयरधारक मै. फ्लिप-फ्लॉप हाउसिंग लिमिटेड जिसका CIN: U70200DL2017PLC313767 है (''अंतरिती'') को कम्पनी (''अंतरक'') की 49.5% शेयरधारिता की बिक्री तथा अंतरण के लिये इच्छुक हैं।

अंतरिती कम्पनी का स्वामित्व, प्रबंधन तथा नियंत्रण अर्जित करने के लिये इच्छुक हैं क्योंकि वे कम्पनी के एनबीएफसी व्यवसाय को अपनाने तथा फैलाना चाहते हैं। अंतरिटी अधोलिखित तीन निदेशकोंः i) श्री सिद्धार्थ बनर्जी, ii) श्री शुभम अग्रवाल तथा iii) श्री भन्देरी जय अशोक कुमार की नियुक्ति द्वारा कम्पनी के विद्यमान निदेशक मंडल की पुनर्सरचना करेंगे।

शेयरधारिता तथा प्रबंधन में उपरोक्त परिवर्तन सभी लागू होने वाले कानूनों, नियमों तथा विनियमनों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना की तिथि 30 दिनों की समाप्ति के बाद किया जायेगा।

भा.रि.बैं. के सर्क्युलर तिथि 9 जुलाई, 2015 के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी के प्रबंधन तथा शेयरधारिता में परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक, अंचल कार्यालय, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, दिल्ली के पास आवेदन किया है। अपने पत्र तिथि 5.2.2020 के माध्यम से भा.रि.बैं. ने कम्पनी के नियंत्रण में प्रस्तावित परिवर्तन के लिये अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी क्रेडीटर अथवा किसी अन्य पार्टी सहित किसी भी व्यक्ति का हित कम्पनी के नियंत्रण में प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होता हो तथा यदि उक्त परिवर्तन के प्रति उन्हें कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के 30 दिनों के भीतर उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को तथा साथ ही नई दिल्ली में गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित अंचल कार्यालय को लिखें।

यह सार्वजनिक सूचना कम्पनी, प्रस्तावित निदेशकों तथा अधिग्रहण-कर्ता द्वारा संयुक्त रूप से अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी) 029/सीजीएम (सीएसडी-2015) तिथि 9 जुलाई, 2015 के पैरा 5 तथा लागू होने वाले अन्य सभी संबंधित सर्क्युलर्स तथा विनियमनों के अनुपालन में जारी की जा रही है।

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 7.2.2020

1. द्वारा जारीः कम्पनी
हस्ता./-
(भण्डेरी जय अशोक कुमार)
निदेशक
टेलिक फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड के लिये

2. द्वारा, अधिग्रहणकर्ता
हस्ता./-
(भण्डेरी जय अशोक कुमार)
निदेशक
फ्लिप-फ्लॉप हाउसिंग लिमिटेड के लिये

प्रस्तावित निदेशकों द्वाराः

3. श्री भण्डेरी जय अशोक कुमार
हस्ता./-

4. श्री शुभम अग्रवाल
हस्ता./-

5. श्री सिद्धार्थ बनर्जी
हस्ता./-

RAAMA PAPER MILLS LIMITED
(Formerly known as Rama Paper Mills Limited)
(CIN: L27104UP1985PLC007556)
Regd. Off.:4 Th Km Najibabad Road Kiratpur District Bijnor Uttar Pradesh 246731 Tel: +91 8006030315/16
Corporate Office: 26/6 Ground Floor, East Patel Nagar, New Delhi -8 Tel: 011-45642642 Website: www.ramapaper.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled on Thursday, **13th day of February, 2020** at **04:00 P.M.** at our Corporate Office i.e 26/6 Ground Floor, East Patel Nagar, New Delhi-110008

1. To consider and approve the Unaudited Financial Results for the Quarter ended as on 31st December, 2019

2. Any other matter as permitted by the Chair.

Further, as per the Company's Code of Conduct for prevention of Insider Trading, the trading window for dealing in securities of the Company are closed for all directors/ officers/ designated employees of the Company with immediate effect and will open 24 hours after the announcement of financial results for the Quarter ended as on 31st December, 2019.

By Order of The Board
For **Raama Paper Mills Limited**
sd/-
Himanshu Duggal
Company Secretary

Dated : 07.02.2019
Place : Najibabad

रक्षा विश्वविद्यालय परियोजना को मंजूरी का इंतजार

नई दिल्ली, 9 फरवरी (भाषा)।

भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी परियोजना मंजूरी के लिए अभी प्रधानमंत्री कार्यालय के विचाराधीन है। रक्षा मंत्रालय ने संसद की एक समिति को यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा प्रबंधन और रक्षा प्रौद्योगिकी के संबंध में मित्र राष्ट्रों के साथ समन्वय कायम करने एवं रक्षा क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी परियोजना मंजूरी के लिए अभी प्रधानमंत्री कार्यालय के विचाराधीन है। रक्षा मंत्रालय ने संसद की एक समिति को यह जानकारी दी। समिति ने पिछले दिनों संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की थी।

रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने समिति को बताया, 'रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में जमीन की पहचान हो गई है और हमने चारदीवारी बनाई है। भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी परियोजना मंजूरी के लिए फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय के पास है। इसकी स्वीकृति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।' लोकसभा में पिछले हफ्ते पेश रक्षा संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने रक्षा विश्वविद्यालय की प्रगति के बारे में जानना चाहा था।

गौरतलब है कि राष्-ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार सर्वप्रथम 1967 में सामने आया था। बाद में 2000 में कारगिल समीक्षा समिति और मंत्रियों के समूह ने भी इसे स्थापित करने की सिफारिश की थी। रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए हरियाणा के गुड़गांव जिले में भूमि का अधिग्रहण किया था।

इस उद्देश्य के लिए 'भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक -2015' का प्रारूप भी तैयार किया गया था । इस विधेयक में रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महत्व का एक स्वायत्तता प्राप्त विश्व स्तरीय संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। बहरहाल, रिपोर्ट के अनुसार संसदीय समिति ने पाया कि रक्षा विश्वविद्यालय हेतु परियोजना विचाराधीन है। इसके तहत तीनों रक्षा सेवाओं (थल, जल और वायु) की वर्तमान संस्थाओं को इस विश्वविद्यालय से सबद्ध करने की बात कही गई है । यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा प्रबंधन और रक्षा तकनीक से संबंधित उच्च शिक्षा को बढ़ावा देगा।

इसके अलावा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर नीति आधारित अनुसंधान को भी यह विश्वविद्यालय बढ़ावा देगा। दूर-दराज क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए मुक्त एवं दूरस्थ पाठ्यक्रम चलाने का भी प्रावधान इस विधेयक में है। विश्व के अन्य देशों में मौजूदा रक्षा विश्वविद्यालयों की तरह राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को खुद के नियमों द्वारा संचालित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय मित्र राष्ट्रों सहित अन्य सरकारी एजंसियों के बीच समन्वय स्थापित करेगा। प्रस्तावित मसौदा विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति इसके कुलाध्यक्ष होंगे।

मैसर्ज पेट्रोल्यूब इंडिया लिमिटेड परिसमापन प्रक्रिया

पता: सी-17, ग्राउंड तल, शिवाजी पार्क, नई दिल्ली-110026, भारत। ई-मेल : liquidatorpetrolube@gmail.com

ई-नीलामी की सूचना

(माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण दिल्ली बेंच द्वारा दिनांक 23 सितंबर 2019 को पारित आदेश)
दिवाला व दिवालियापन कोड, 2016 और रेगुलेशन के तहत आम तौर पर जनता को अधोहस्ताक्षर द्वारा नोटिस दिया जाता है कि नीचे दी गई तालिका में बताई गई संपत्तियों को ई-नीलामी द्वारा सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (नीलामी टाइगर) के माध्यम से वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से बेचा जाएगा।

कॉर्पोरेट देनदार की सम्पत्ति "जैसा है जहां है" "जहां भी है" तथा "बिना आधार के" और ऐसा कहा गया कि किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के विवाद के बिना बेचा जा रहा है।

1.	नीलामी की तिथि और समय	मंगलवार, 06.03.2020, पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 2:00 बजे के बीच "5 मिनट" की असीमित छूट के साथ अर्थात् यदि नीलामी के अंतिम समापन से पहले अंतिम 5 मिनट के भीतर बोली लगाई जाती है तो ई-नीलामी का अंतिम समय प्रत्येक बार 5 मिनट बढ़ाया जाएगा।		
2.	EMD और दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 04.03.2020 को शाम 4:00 बजे से पहले		
3.	नांगलोई साइट के लिए निरीक्षण की तारीख और समय शिवाजी पार्क साइट के लिए निरीक्षण की तारीख और समय	दिनांक 24.02.2020 को दोपहर 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक दिनांक 25.02.2020 को दोपहर 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक संपर्क व्यक्ति (श्री राजीव रंजन सिंह, 91-98109-35425 और विष्णु अग्रवाल, 91-98284-11021)		
		स्थान	आरक्षित मूल्य (रु.)	बयाना राशि
4.	5 भंडारण टैंक खसरा नंबर 19/3 कमरुद्दीन नगर, अबादी /कॉलोनी न्यू राम नगर, जल बोर्ड वाली गली, बटरफ्लाई स्कूल, नांगलोई, नई दिल्ली -110041 के पास स्थित हैं।	नई दिल्ली	16,50,000.00	1,65,000.00
5.	अन्य परिसंपत्तियां जिनमे व्यापक रूप से फर्नीचर और फिक्चर, कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर और एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और अन्य सामान शामिल हैं जो सी -17, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित हैं।	नई दिल्ली	83,000.00	8,300.00
6.	ईएमडी भुगतान के लिए बैंक विवरण	डीडी / एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से "पेट्रोल्यूब इंडिया लिमिटेड-इन लिक्विडेशन" के खाते में खाता संख्या 24460200000861, बैंक ऑफ बड़ौदा, यशवंतपुर, बेंगलुरु -560022, शाखा का नाम: APMC YAP BRANCH, IFSC: BARB0APMCYA (5वीं वर्ण शून्य है)		
7.	ई-नीलामी निविदा दस्तावेज, जिसमें ई-नीलामी बोली फॉर्म, घोषणा, शब्द और ई-नीलामी की शर्तें, पात्रता मानदंड और अन्य विवरण शामिल हैं।	पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया ज्ञापन का संदर्भ https://ncltauction.auctiontiger.net पर तथा पेट्रोल्यूब इंडिया लिमिटेड के परिसमापन के लिए वेबसाइट http://petrolubeliquidation.com		

ई-नीलामी विवरण के लिए, श्री नीरव त्रिवेदी से संपर्क करें +91-91-6351896834 / 079 61200 580/554/594/598, ईमेल : nirav.trivedi@auctiontiger.net

दिनांक : 10.02.2020
स्थान : नई दिल्ली

अश्वनी कुमार गुप्ता
मैसर्स पेट्रोल्यूब इंडिया लिमिटेड के मामले में परिसमापक
आईबीबीआई रजिस्टर्ड नं.: IBBI/IPA-001/IP-P00626/2017-18/11082
संपर्क सूत्र, +91-83692-62358 +91-81080-97518 ईमेल- liquidatorpetrolube@gmail.com
पंजीकृत कार्यालय- सी-402, कावेरी सोसाइटी, 10/1-1, रघुवेंद्र एक्सटेंशन, तुमकुर रोड, यशवंतपुर, बेंगलोर-560022
पत्राचार का पता :- डी-116, पॉकेट-डी, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076

अनुसूची II
फसर्म बी

सार्वजनिक उद्घोषणा

(इनसोलवैन्सी एवं दिवालियापन (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12)

पवन बिल्डवैल प्राईवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

क्र० सं०	व्यौरा	विवरण
1.	कारपोरेट देनदार का नाम	**पवन बिल्डवैल प्राईवेट लिमिटेड**
2.	कारपोरेट देनदार की निगमन तिथि	13.04.2005
3.	कारपोरेट देनदार जिस अथारीटी के अन्दर निगमित/पंजीकृत है	कम्पनीज पंजीयक, दिल्ली
4.	कारपोरेट देनदार की पहचान संख्या /सीमित देयता पहचान संख्या	U70101DL2005PTC134933
5.	कारपोरेट देनदार का पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो)	59 - ए, सैनिक फार्म्स, नई दिल्ली - 110068
6.	इनसोलवैन्सी संकल्प प्रक्रिया बंद होने की तिथि	04.07.2019
7.	कारपोरेट देनदार की परिसमापन प्रारम्भ तिथि	05.02.2020
8.	समापक के रूप में कार्यरत इनसोलवैन्सी पेशेवर का नाम एवं पंजीकरण संख्या	नाम : अरूण चढ़डा IP Regn No: IBBI/IPA-001/IP-P00165/2017-18/10334
9.	बोर्ड में पंजीकृत परिसमापक का पता एवं ई-मेल	पता: 727, ब्रह्मपुरी, मेरठ सिटी, उत्तर प्रदेश - 250002 ई-मेल: chadharun@yahoo.com **पत्राचार के लिए पता** ई-95/2, नारायणा विहार, नई दिल्ली - 110028
10.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	06.03.2020

माननीय नेशनल कम्पनी लॉ अधिकरण, नई दिल्ली के बैंच - II के आदेश द्वारा एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि पवन बिल्डवैल प्राईवेट लिमिटेड की समापन प्रक्रिया 05.02.2020 को प्रारम्भ की गई ।

पवन बिल्डवैल प्राईवेट लिमिटेड के हितधारकों को एतद्द्वारा उनके दावों के प्रमाणों को परिसमापक को मद संख्या 09 के सामने उल्लखित पते पर 06.03.2020 या उससे पहले प्रस्तुत करें।

वित्तीय लेनदार अपने दावों के प्रमाण केवल इलेक्ट्रानिक मायने द्वारा प्रस्तुत करें। सभी अन्य लेनदार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रानिक मायने द्वारा प्रस्तुत करें।

दावों के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करना दंडनीय होगा।

हस्ता०/-
अरूण चडढा
परिसमापक
IP Regn No. IBBI/IPA-001/IP-P00165/2017-18/10334

तिथि: 08.02.2020
स्थान: मेरठ

www.readwhere.com

जनसत्ता

10 फरवरी, 2020

कर का दायरा

नए बजट में सरकार ने पुराने कर ढांचे में बदलाव करने के बजाय आयकर में एक वैकल्पिक ढांचा पेश किया है। आयकरदाता स्वतंत्र हैं कि वे पुराने या नए कर ढांचे में से किसी एक का चुनाव करें। पुराने कर ढांचे में पांच लाख तक की आमदनी पर कोई कर नहीं था। उसमें भविष्य निधि, जीवन बीमा, बचत-पत्र की खरीद आदि पर छूट मिलती थी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति घर की किश्त चुकाता हो, तो उस पर भी छूट मिलती थी। नए कर ढांचे में निवेश पर भी कर लगा दिया गया है, पर आय का स्तर कुछ बढ़ा दिया गया है। यह करदाता पर छोड़ दिया गया है कि वह नई व्यवस्था के तहत कर चुकाना चाहता है या पुरानी व्यवस्था में शामिल रहता है। सरकार को उम्मीद है कि लोग नए कर ढांचे को अपनाएंगे। वित्त मंत्रालय का दावा है कि अस्सी फीसद लोग नई कर व्यवस्था को अपनाएंगे, सिर्फ वही लोग पुरानी व्यवस्था में रह जाएंगे, जिन्हें कागजी कार्रवाई झंझट जान पड़ती है। मंत्रालय का तर्क है कि कंपनियों के लिए जब इसी तरह वैकल्पिक नई कर प्रणाली लागू की गई थी, तो ज्यादातर लोगों ने नई प्रणाली को अपनाया था।

हर बजट में वेतनभोगी लोगों को उम्मीद रहती है कि सरकार आयकर ढांचे में बदलाव करेगी और कम आय वाले लोगों को राहत देगी, पर इस बार सीधे-सीधे ऐसा कुछ नहीं किया गया। एक वैकल्पिक व्यवस्था दी गई, जिसे वे अपनी सुविधा के मुताबिक चुन सकते हैं। मगर सामान्य आयकरदाता के सामने मुश्किल यह होती है कि उसे कर संबंधी पेचीदगियां ज्यादा समझ नहीं आतीं, इसलिए ज्यादातर लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से अपना कर भुगतान करते हैं। नया कर ढांचा इसलिए भी उन्हें पेचीदा लग रहा है। हालांकि वित्त मंत्रालय का यह भरोसा बेमानी नहीं कहा जा सकता कि जैसे-जैसे लोगों को अपनी आय में बचत का आसान रास्ता समझ आएगा, वे उसे अपनाएंगे।

सरकार कर सुधारों की दिशा में बढ़ रही है। फिर देश राजस्व घाटे से भी जूझ रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व में बढ़ोतरी की जैसी उम्मीद की गई थी, वह पूरी होती नजर नहीं आ रही। अभी तक लक्ष्य से पीछे ही कर उगाही हो पा रही है। ऐसे में वेतनभोगियों पर अतिरिक्त कर लगा कर इस घाटे की भरपाई एक रास्ता बनता था। पर पुराने कर ढांचे में कटौती का अर्थ था कि सरकार पर अंगुलियां उठनी शुरू हो जातीं। इसलिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करना उचित समझा गया। मगर इस व्यवस्था में खतरा यह है कि अगर ज्यादा लोग नई प्रणाली को अपनाएंगे, तो उतनी ही मात्रा में लोग निवेश से विमुख भी होंगे। यानी बचत-पत्रों की खरीद, बीमा, भविष्य निधि आदि में बचत कम करना शुरू करेंगे। जाहिर है, इसका असर राष्ट्रीय बचत पर पड़ेगा। हालांकि इसका एक नतीजा यह भी होगा कि लोग जो पैसा बचत के लिए दूसरी जगहों पर निवेश करते थे, वह वे बैंकों में रखने लगेंगे, जिससे बैंकों का कारोबार बढ़ेगा। मगर यह भी एक कयास भर है। राष्ट्रीय बचत से सरकारी योजनाओं को गति मिलती है, इसलिए अगर वह प्रभावित होगी, तो जन कल्याण के काम भी प्रभावित होंगे। फिर बहुत सारे लोगों को यह लोभ रहता है कि वे सेवा निवृत्त हों तो उनके खाते में बचत के कुछ पैसे हों, जिससे बुढ़ापे में गुजारा हो सके। इसलिए भी उनके मन में दुविधा बनी रहेगी कि वे पुरानी कर व्यवस्था में रहें या नई।

राजपक्षे का दौरा

इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का भारत दौरा दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करेगा। क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर भारत के बढ़ते महत्त्व को श्रीलंका अच्छी तरह समझ-बूझ रहा है। शनिवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजपक्षे के बीच तमिलों के मुद्दे से लेकर आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार व निवेश बढ़ाने जैसे मुद्दों पर व्यापक वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच मछुआरों का मुद्दा भी ध्यान खींचने वाला है। ये सभी मुद्दे ऐसे हैं जो दोनों ही देशों के लिए न सिर्फ जरूरी हैं, बल्कि इन पर साथ काम करने की जरूरत भी है। जहां तक तमिलों के मुद्दे को लेकर सवाल है, तो इस पर भारत की नीति शुरू से ही स्पष्ट रही है। भारत ने हमेशा श्रीलंकाई तमिलों की सुरक्षा और अधिकारों के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है। श्रीलंका के उत्तरपूर्व में तमिल आबादी बहुतायत में है और अलग तमिल ईलम (प्रांत) की मांग को लेकर वहां लंबे समय तक सरकार और तमिल संगठनों के बीच टकराव चला, जिसका अंत लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) के सफाए के रूप में हुआ। पर श्रीलंका में आज भी तमिलों को वे सब अधिकार नहीं मिल पाए हैं जिनके लिए वे लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए भारत तमिलों की सुरक्षा के लिए हमेशा से चिंतित रहा है। भारत की यही चिंता प्रधानमंत्री मोदी और राजपक्षे की बैठक में नजर आई है।

भारत चाहता है कि श्रीलंका में तमिल आबादी को सुरक्षा, न्याय, समानता, सम्मान और वे सारे संवैधानिक अधिकार मिलें, जो सिंहल और बौद्धों को मिले हुए हैं। श्रीलंकाई तमिलों पर से अलगाववाद का ठप्पा हटना चाहिए। यही वह सबसे बड़ी समस्या है जो तमिलों को वहां बराबरी का दर्जा देने में बाधक बनी हुई है। इसलिए भारत ने श्रीलंका से साफ कहा है कि तमिलों के लिए उसे शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है। पर सवाल है कि क्या श्रीलंका इसे आसानी से सुनने वाला है? प्रधानमंत्री राजपक्षे एक दशक तक श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रहे हैं और एलटीटीई के सफाए का श्रेय उन्हीं को जाता है। अब उनके छोटे भाई गोतबाया राजपक्षे देश के राष्ट्रपति हैं। जाहिर है, राजपक्षे परिवार की सत्ता पर मजबूत पकड़ है। ऐसे में तमिलों के मुद्दे पर श्रीलंका सरकार अपनी नीतियों और रुख में कितना बदलाव लाएगी, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है।

सामरिक लिहाज से भी श्रीलंका भारत के लिए महत्त्वपूर्ण देश है। यह कोई छिपी बात नहीं है कि श्रीलंका चीन के प्रभाव में है और चीन का यह दखल महिंदा राजपक्षे के राष्ट्रपति रहने के दौरान ही बढ़ा। श्रीलंका को आर्थिक और सैन्य मदद की आड़ में चीन हिंद महासागर में पैर पसारने की नीति पर चल रहा है। इसीलिए उसने हंबनटोटा बंदरगाह की परियोजना को तेजी से बढ़ाया था। श्रीलंका के जरिए हिंद महासागर में अपनी पैठ बनाने की चीन की रणनीति भारत के लिए चिंता का बड़ा कारण रही है। श्रीलंका ने पिछले साल ईस्टर के मौके पर जिस तरह के आतंकी हमले झेले, वे क्षेत्रीय शांति के लिए बड़े खतरे का संकेत था। इसीलिए आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देशों की चिंताएं समान हैं। समुद्री सीमाओं में पता नहीं चलने की वजह से दोनों देशों के बीच मछुआरों का मुद्दा भी प्रमुखता से बना हुआ है। हालांकि ये सब मुद्दे बातचीत से हल हो सकते हैं। राजपक्षे की सत्ता चीन के प्रभाव से कितनी मुक्त हो पाती है और भारत के हितों को प्राथमिकता देती है, भविष्य के रिश्ते इसी पर ज्यादा निर्भर करेंगे।

कल्पमेधा

मनुष्य को अंधविश्वासजन्य नैतिकता
से मुक्त होना चाहिए।
-बर्ट्रेंड रसेल

राममंदिर ट्रस्ट : स्वीकार्यता और अंदेशे

शीतला सिंह

पांच फरवरी को दिल्ली में राममंदिर ट्रस्ट के गठन की औपचारिकता तो पूरी कर दी गई, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए संसद ने उक्त कानून स्वीकार किया था, वह धरा का धरा रह गया लगता है। इस कारण जहां मुसलमानों के एक धड़े का मत है कि जो भी हुआ, विवाद से तो छुट्टी मिली, वहीं दूसरे धड़े का कहना है कि देश को हिंदू-मुसलिम के आधार पर विभाजित करने की कोशिशों के रहते उनका संकट बढ़ेगा ही।

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नए ट्रस्ट के गठन और उसके सदस्यों के चयन के साथ ही अब उसकी स्वीकार्यता को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। साधु-संतों और संगठनों में इस बात को लेकर तो पहले से ही असंतोष जताया जा रहा है कि ट्रस्ट में अयोध्या के राम मंदिर के लिए संघर्षरत रहे संतों-महंतों का प्रतिनिधित्व नहीं है, पर अब इस बात को लेकर भी आपत्ति उठी है इस ट्रस्ट का दफ्तर अयोध्या में हो या फिर दिल्ली में।

ऐसे में यह सवाल फिर सिर उठा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और उस पर अमल विवाद का वास्तविक हल निकालने में सफल रहा या नहीं? यह भी सवाल है कि 22-23 दिसंबर, 1949 की रात बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखे जाने (जिसे मंदिर समर्थक रामलला का प्राकट्य बताते हैं) से लेकर 1990 के कारसेवा आंदोलन और छह दिसंबर, 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस तक के प्रकरण धार्मिक अनिवार्यताओं से जुड़े थे या राजनीतिक आवश्यकता का परिणाम थे? जो भी हो, विवाद का समाधान आपसी सुलह-समझौते पर आधारित होता तो कटुताएं भी घटतीं और उसकी स्वीकार्यता भी व्यापक और उत्साहित करने वाली होती।

अब कोई इसे कानून की विसंगति कहे या बाध्यता कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखे जाने को अनुचित और उसके विध्वंस को अपराध करार देकर इससे जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अपेक्षा की, लेकिन उसी का परिणाम है कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रायोजित रामजन्म भूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास और चम्पत राय को नए ट्रस्ट में शामिल नहीं किया जा सका। फिलहाल, वे बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के अभियुक्त हैं, जिस पर अदालत का फैसला आना शेष है।

थोड़ा पीछे लौट कर देखें तो विवाद को सुलह समझौते से निपटाने की कोशिशें तो सन 1986 में सफल होते-होते रह गई थीं, 1983 से विश्व हिंदू परिषद के इस विवाद में शामिल और आंदोलित होने के तीन ही साल बाद। तब मुस्लिम पक्ष इस बात पर सहमत हो गया था कि सन् 1885 में हिंदू जिस स्थल को जन्मभूमि बता कर मुकदमा हार गए थे, वहीं से मंदिर का निर्माण आरंभ हो और बाबरी मस्जिद को ग्यारह फीट ऊंची दीवारों से घेर दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में हुई बैठक में इसे स्वीकार भी किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दोनों मुखपत्रों 'पांचजन्य' और 'ऑर्गनाइजर' ने हिंदुओं की विजय कह कर इसका स्वागत किया था, लेकिन तत्कालीन सरसंघ चालक भाऊराव देवरस को यह समझौता रास नहीं आया था। तब उन्होंने विहिप नेताओं को उसका स्वागत करने के लिए भरपूर डांट पिलाई थी। यह कह कर कि 'देश में आठ सौ राम मंदिर हैं, इस समझौते से एक और बन जाएगा तो उनकी संख्या आठ सौ एक हो जाएगी, लेकिन उसके बाद बनाने वाले की पहचान की जरूरत नहीं रह जाएगी। हमने अपना आंदोलन इसके लिए नहीं, इस विवाद को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त कर दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने के लिए शुरू किया है। इसलिए हमें सुलह के इस समझौते से हट जाना चाहिए।'

गौरतलब है कि उनका यह दृष्टिकोण तब था, जब रामजन्म भूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्यगोपाल दास को उक्त समझौते के आधार पर बनने वाले ट्रस्ट का भी अध्यक्ष स्वीकार कर लिया गया था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य मुख्तार अहमद किदवई उसके एकमात्र मुसलिम सदस्य थे। लेकिन अंततः देवरस की डांट रंग लाई और विश्व हिंदू परिषद ने इस समझौते को नकार दिया। फिर उसका आंदोलन बाबरी मस्जिद के ध्वंस तक जा पहुंचा, तो तत्कालीन नरसिंह राव सरकार ने अयोध्या विशेष क्षेत्र अधिग्रहण अधिनियम बनाया-'लंबे समय से चले आ रहे विवाद के सर्वधर्म समभाव पर आधारित समाधान के लिए'। इसके तहत अधिग्रहीत भूमि पर मंदिर-मस्जिद के साथ वाचनालय, पुस्तकालय, संग्रहालय और जन-सुविधाओं से जुड़े निर्माण की बात थी। सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस वेंकेटचेलैया की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यों के संविधान पीठ ने इसे संविधान-सम्मत भी स्वीकार कर लिया था।

लेकिन इस अधिग्रहण कानून में विवाद से संबंधित मुकदमों की समाप्ति के प्रावधान को लेकर न्यायालय का तर्क था कि सरकार को भले ही मुकदमे समाप्त करने का अधिकार है, लेकिन संबंधित पक्षों को न्याय पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उसने कहा कि चूंकि उक्त प्रावधान में न्याय की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए वह असंवैधानिक है। उसकी इस व्यवस्था की परिणति विवाद के पुनर्जीवन के रूप में हुई, जो हाईकोर्ट के रास्ते सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा तो उसका फैसला भी अनेक साधारण लोगों की समझ से परे रहा। उसने बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखने को अनुचित और मस्जिद के विध्वंस को आपराधिक बताया और यह भी कहा कि इस स्थल के उत्खनन से मिले सबूतों से मंदिर गिरा कर मस्जिद का निर्माण साबित नहीं होता। लेकिन इसके साथ ही रामलला के पक्ष में फैसला देकर सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में महत्त्वपूर्ण जगह पर पांच एकड़ भूमि देने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भूमि लखनऊ रोड पर अयोध्या से बाईस किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में दी है। अभी उस भूमि पर हरीभरी फसलें लहरा रही हैं और उसके स्वामी किसानों का कहना है कि उसे उनसे छीन कर जीवन के आधार से वंचित किया जा रहा है। देखना है कि वे इसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार?

बहरहाल, अयोध्या विवाद समाप्त हो, यह प्रायः सभी की इच्छा है। लेकिन इससे जुड़ी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएं अभी भी इसमें सहयोगी नहीं हो रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहीत 67.7 एकड़ भूमि अयोध्या विशिष्ट क्षेत्र अधिग्रहण अधिनियम बनने पर केंद्र के कब्जे में आ गई थी। प्रावधानों के अनुसार उसे नए ट्रस्ट को ही दिया जा सकता था। पांच फरवरी को दिल्ली में राममंदिर ट्रस्ट के गठन की औपचारिकता तो पूरी कर दी गई, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए संसद ने उक्त कानून स्वीकार किया था, वह धरा का धरा रह गया लगता है। इस कारण जहां मुसलमानों के एक धड़े का मत है कि जो भी हुआ, विवाद से तो छुट्टी मिली, वहीं दूसरे धड़े का कहना है कि देश को हिंदू-मुसलिम के आधार पर विभाजित करने की कोशिशों के रहते उनका संकट बढ़ेगा ही।

गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय भी विवाद का परस्पर सहमति पर आधारित निपटारा चाहता था, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ कट्टरवादियों का मानना था कि मंदिर निर्माण हिंदू शौर्य का प्रतिपादक न हो तो उसका क्या फायदा? परमहंस रामचंद्र दास ने तो स्कन्द पुराण में निर्धारित जगह पर राममंदिर बनाने के प्रस्ताव को यह कह कर नकार दिया था कि यदि भगवान राम स्वयं प्रकट होकर कहें कि हमारी जन्मस्थली पृथक है, तब भी हम उनसे यही कहेंगे कि 'चलो, उधर बैठो, जहां हम बता रहे हैं, वही तुम्हारी जन्मस्थली है।' ऐसे में शांति और सौहार्दपूर्वक समाधान के आग्रह पर हिंदू शौर्य के दुराग्रह को हावी होना ही था। इसी कारण अनेक लोग अभी भी यही मानते हैं कि यह विवाद सिर्फ मंदिर-मस्जिद या राम जन्मस्थल का न होकर मुसलमानों को समाज की मुख्य धारा से काटने के मंसूबे से जुड़ा है और इसके समाधान में सफलता हासिल करके भी हम भविष्य में ऐसे विवादों से मुक्त नहीं हो पाएंगे।

बदल रहा मेरा गांव

अश्विनी कुमार

दुनिया मेरे आगे

बात तब की है जब बहुत छोटा हुआ करता था। हम गांव के बच्चों के बीच 'लकड़सुंघा बाबा' और 'सारंगी बाबा' का बड़ा खौफ था। लकड़सुंघा बाबा को हमने कभी देखा नहीं था, लेकिन उसके बारे में मिथ था कि उनके हाथ में एक विशेष तरह की लकड़ी होती है, जिसे वह बच्चों को चुपचाप सुंघा देता है और बच्चा उसके पीछे-पीछे चलने लगता है। मिथ यह भी था कि मेरे गांव से थोड़ी दूर स्थित कोसी नदी पर बने कुर्सेला पुल के खंबे के नीचे उन बच्चों को मार कर उनका खून डाला जाता है, ताकि बाढ़ न आए, क्योंकि कोसी 'मैया' को इंसान और जानवर का खून चाहिए। जुलाई-अगस्त के महीने में जब बाढ़ नहीं आती, तब बचपन की हमारी मित्रमंडली यही सोचा करती कि इस साल भी लकड़सुंघा बाबा ने अपना करतब दिखा दिया। हम डर से सहमे रहते। विद्यालय जाने के समय हम रास्ते में आमतौर पर समूह में रहते, ताकि अकेले देख कर बाबा हमें लकड़ी न सुंघा दे! कमोबेश यही हालत सारंगी बाबा को लेकर भी थी। हम बच्चों का मानना था कि सारंगी वाले बाबा के पास सारंगी के अलावे एक बड़ा थैला होता है, जिसमें वह तरह-तरह के फल और मिठाई रखता है और जब कोई बच्चा उसके पास सारंगी का गाना सुनने आता है तो वह चुपके से थैले से निकाल कर कोई फल या मिठाई उसको प्रसाद के तौर पर खाने को देता है और बच्चा चुपचाप उसके पीछे हो लेता है। फिर बाबा उस बच्चे को अपने आश्रम में रखकर काम कराता है।

खैर, बड़ा हुआ तो इन बाबाओं का खौफ मन से दूर हुआ। हमारे बचपन की मित्रमंडली भी आज जहां-तहां बिखर चुकी है रोजी-रोजगार के कारण। गांव छोड़ कर कोलकाता महानगर में बसे भी मुझे लगभग चौदह साल हो गए। इन दस सालों में बहुत कुछ बदल गया। साल में दिवाली में एक बार ही गांव जा पाता हूं। गांव जाने पर आज भी गांव को एक परोक्ष आतंक से घिरा पाता हूं। हालांकि मेरे गांव में अब उन लकड़सुंघा या सारंगी बाबाओं का आतंक नहीं है। फिर भी हर साल गांव के पंद्रह-बीस बच्चे 'गायब' हो जा रहे हैं! कक्षा दस पास करते-करते बच्चे किसी न किसी शहर में जाकर पढ़ाई या फिर रोजगार के लिए बस जा रहे हैं। फिर वे गांव की तरफ रुख भी नहीं करते। मेरी तरह साल में एक बार दिवाली में जमा होते हैं। इस मौके पर ही सबसे मिलना-जुलना हो जाता है। बातचीत थोड़ी औपचारिक तो थोड़ी अनौपचारिक।

मेरे मन में कितनी बातें होती है उन लोगों से करने की, पर वे ज्यादा देर तक घर से बाहर रहना नहीं चाहते। बहुत बाद में अनुभव किया कि वे डरते हैं। किसी लकड़सुंघा या सारंगी बाबा से नहीं, बल्कि गांव के असामाजिक तत्त्वों से। अब गांव में उनका ही आतंक हैं। आमतौर पर अपहरण और फिरौती मांगने की घटनाएं घटती रहती हैं। लोग डर के मारे गांव आने से कतराते हैं। छीना-झपटी और लूटपाट का तो कहना ही क्या। ऐसा नहीं है कि शहर सुरक्षित है, लेकिन पता नहीं क्यों वे अपने को शहरों में ही सुरक्षित मानते हैं।

गांव अब कई दूसरे स्तर पर भी बदल गया है। हर तरफ कंक्रीट के मकान बन रहे हैं। बगीचे लगातार काटे जा रहे हैं। पहले कई कुएं थे, अब मुश्किल से दो-तीन बचे हैं, लेकिन उसका पानी भी पीने लायक नहीं बचा। केवल धार्मिक अनुष्ठान के कार्य ही मजबूरीवश निपटाए जाते हैं। खेती की जमीन लगातार खत्म की जा रही है। उन पर छोटे-मोटे उद्योग लगाए जा रहे हैं। कई जमीन तो भविष्य में बनने वाले कारखाने के हवाले किए जाने की बात हो रही है। वैसे गांव के लोगों की नजर में यह 'विकास' है। गांव में खेती की कुछ जमीन एक बड़ी निमार्णाधीन सड़क के हवाले कर दी गई। जिनकी जमीन फिलहाल उस सड़क के किनारे बची है, उनमें से कई अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, क्योंकि उनकी जमीन की बाजार कीमत अब बढ़ने वाली है। मगर जिनकी जमीन चली गई, वे मुआवजे के लिए ठेकेदारों और दलालों के पीछे दौड़ रहे हैं। गांव में सरकार विद्यालय खोल कर शिक्षा के क्षेत्र में इसे विकास मान रही है। उन विद्यालयों में शिक्षा का कोई स्तर नहीं है। विद्यालय के भवन अक्सर गांव के बारातियों के ठहरने के काम में आती है।

बहरहाल, गांव में बदलाव जारी है। हर हाथ में मोबाइल फोन और टैब है। वाट्सऐप और फेसबुक अब युवाओं की दुनिया है। तुरंता भोजन यानी फास्ट फूड अब गांव में भी उपलब्ध है। लोगों की नजर में यह सब 'विकास' है। बावजूद इसके गांव से बच्चों और युवाओं का पलायन जारी है। हमारे इलाके में बाढ़ भी आ ही जाती है। पलायन के पीछे अच्छी शिक्षा और रोजगार का नहीं होना बताया जाता है। नशा की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। छोटे-छोटे बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं। हर साल गांव जाता हूं और सोचता हूं कि मेरा गांव कितनी तेजी से बदल रहा है।

संदेश और सवाल

बीसवीं सदी के महान संचार विज्ञानी मार्शल मैकलुहान ने कभी कहा था कि 'माध्यम ही संदेश है' और इसके पीछे यह तर्क दिया था कि हम संदेश के तत्व और उसमें अंतर्निहित भाव को बाद में विश्लेषित करते हैं, पहले हम उस माध्यम के बारे में सोचते हैं जिसके द्वारा वह संदेश प्राप्त हुआ है, और कई बार तो हम माध्यम की छवि के हिसाब से संदेश ग्रहण करने से पहले ही अपने मन में धारणा बना चुके हैं और संदेश का प्रभाव पहले ही तय कर लेते हैं। तब उनके इस कथन के दौरान आज की तरह संचार के साधनों में इंटरनेट और मोबाइल इत्यादि नहीं थे। पर उन्होंने उस दौर में ही वैश्विक गांव की कल्पना कर ली थी और इक्कीसवीं सदी आते-आते उनका मानना पूरी तरह सच भी दिखने लगा। विश्व के कोने-कोने में इंटरनेट और मोबाइल पहुंच गया और धीरे-धीरे संचार के सबसे प्रबल साधनों में फेसबुक , ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स का कब्जा हो गया।

कहते हैं कि जब कोई चीज आम लोगों की पहुंच में आसानी से उपलब्ध हो जाती है तो उससे गुणवत्ता की उम्मीद उतनी कम हो जाती है। इसी तरह आजकल सोशल नेटवर्किंग साइटों पर भी हर कोई अपने अपने हिसाब से ज्ञान बघारता नजर आ जाता है, ज्ञान बांटना और किसी भी मुद्दे पर अपना मत रखना अच्छी बात है, पर जब ये बात तथ्यों से छेड़छाड़ और भ्रम फैलाने से जुड़ जाती है, तो ये ही माध्यम घातक भी होने लगते हैं। इस प्रकरण को मैकलुहान के कथन से जोड़ कर देखा जाए तो समझ आता है कि लोग आजकल व्हाट्सएप पर आए किसी भी संदेश की प्रामाणिकता को बिना जांचे और बिना कुछ सोचे उस पर खुशी और चिंता व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। आए दिन लोग सरकार पर, उसकी नीतियों पर प्रतिक्रिया देते हुए फेसबुक, ट्विटर, वाट्सऐप पर दिख जाते हैं और उसी के साथ कितना कितना झूठ उसके सहारे परोसा जाता है, यह बहुत चिंताजनक है। आम लोग जो किसी दस्तावेज या सरकारी आदेश को पढ़ने की जहमत नहीं करना चाहता, वह वाट्सऐप पर आए संदेशों और फेसबुक और लिखी किसी बात को ही सच मान लेता है।

● जुगल किशोर, बीएचयू, वाराणसी

लोकतंत्र को खतरा

क्या उस देश को लोकतांत्रिक कहा जाना चाहिए जिसके पास ऐसा बेरहम कानून हो जो किसी को भी, कभी भी गिरफ्तार कर ले? उसकी कोई न्यायिक जांच भी न हो। ऐसा ही एक कानून हमारे देश में आज भी मौजूद है। अंग्रेजों ने इसे 1915 में भारत रक्षा अधिनियम नाम से आजादी की मांग करने वालों को सबक सिखाने लिए बनाया था। इसी को 1955 दक्षिण अफ्रीकी रंगभेदी हुकूमत ने 'पब्लिक सेफ्टी एक्ट' के नाम अश्वेतों के दमन के लिए लागू किया था। यहां भारत में कश्मीर के लिए इसी कानून का प्रावधान किया गया 1978 में। आज भी ये घाटी में लागू है। बिना किसी कानूनी मदद के इस काले कानून के चलते कई चुने हुए जान प्रतिनिधियों को गिरफ्तार रखा गया है। उन पर कोई पुख्ता आरोप भी नहीं है। अगर होता तो फिर कैसे उनमें से कुछ लोग सांसद / विधायक होते? भ्रम फैलाया जा रहा है कि देश खतरे में है। असल में लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि 'डेमोक्रेसी इंडेक्स' यानी लोकतंत्र के सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में भारत दस पायदान गिर कर इक्यावन वें स्थान पर आ गया है।

● जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी (जमशेदपुर)

जनप्रतिनिधियों का आचरण

बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ! मामला यहां तक बढ़ गया कि सांसदों के बीच धक्का-मुक्की तक हो गई। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन में जनप्रतिनिधियों का ऐसा आचरण देश को शर्मिंदा कर देने वाला है। एक समय था, जब संसद में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर सकारात्मक बहस होती थी, लेकिन अब हर संसद सत्र हंगामे और शोरशराबे की भेंट चढ़ जाता है। बहुत सारे सदस्य सदन की गतिविधियों में हिस्सा ही नहीं लेते और सर्वसम्मति के अभाव में देशहित से जुड़े अनेक महत्त्वपूर्ण मसले लंबे-लंबे समय तक लटके रहते हैं। ऐसा लगता है मानो सभी दलों के सदस्यों के लिए इन सत्रों का अर्थ यही रह गया है कि सदन में ज्यादा से ज्यादा हंगामा करो, टीवी चैनलों पर अपना चेहरा दिखाओ, हंगामे करके सदन की बैठकें दिनभर के लिए स्थगित कराओ और मजे करो। हर राजनीतिक पार्टी के नेताओं द्वारा रोजाना संविधान की दुहाई दी जाती है। क्या यही है संविधान?

● प्रदीप कुमार दुबे, देवास

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

घूंघट से मुक्ति

वर्तमान परिदृश्य में भारतीय सामाजिक परिवेश में घूंघट की कुप्रथा महिलाओं के लिए सिरदर्द बनी हुई है। बदलते परिवेश के साथ समाज में बदलाव जरूरी है। इसलिए महिलाओं को घूंघट से बाहर निकालने के लिए राजस्थान सरकार का घूंघट हटाओ अभियान सराहनीय कदम है। इससे न केवल महिलाओं का उद्धार होगा, बल्कि उन्हें नई चेतना, आत्मविश्वास, नई उमंग, समानता और गरिमामय जीवन जीने की आजादी मिलेगी। इससे न केवल समाज का विकास होगा, बल्कि राष्ट्रीय विकास को भी गति मिलेगी। लेकिन महिलाओं को घूंघट से मुक्ति दिलाने के लिए पुरुष प्रधान समाज को सकारात्मक सोच विकसित करने की जरूरत भी है।

● सुबटी बढिया मेघवाल, बाड़मेर

बदहाली का अर्थ

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अर्थव्यवस्था की दुर्दशा के पीछे केंद्र सरकार की तीन बड़ी गलतियों को जिम्मेदार माना है, जो सही भी प्रतीत होता है। इसमें नोटबंदी के रूप में ऐतिहासिक गलती और अनियोजित ढंग से जीएसटी का लागू करना और बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव का बढ़ना, ये मोटे कारण रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा है। इसलिए केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए अब नए सिरे से प्रयास करने चाहिए। लोगों के पास रोजगार और आय का जरिया नहीं होगा, उनकी क्रयशक्ति निम्न रहेगी, तब तक अर्थव्यवस्था में सुधार की ठोस उम्मीद कम ही होगी।

● अली खान, जैसलमेर

www.readwhere.com

खबर कोना

कोलकाता में हाफ मैराथन में दौड़ने वाले प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करतीं अभिनेत्री व तृणमूल कांग्रेस की सांसद नूसरत जहां।

पश्चिम बंगाल में मिली सदियों पुरानी सुरंग

वर्द्धमान (पश्चिम बंगाल), 9 फरवरी (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्द्धमान जिले में एक मकान के निर्माण के दौरान जमीन की खुदाई करते समय सदियों पुरानी सुरंग मिली है। जिला अधिकारियों ने बताया कि भटार ब्लॉक के महता गांव में शनिवार को जियारुल मलिक की जमीन पर मकान की नींव रखते समय सदियों पुरानी सुरंग का पता चला जिसके मुंह की ऊंचाई सात फुट और चौड़ाई चार फुट है। उन्होंने बताया कि 'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण' (एएसआइ) के दल के रविवार को यहां पहुंचने की उम्मीद है। इतिहासकार सरबजीत यश ने बताया कि यह सुरंग संभवतः 250-300 साल पुरानी है और इसके कुछ हिस्से जैन वास्तुकला से मेल खाते हैं। उन्होंने बताया कि यह सुरंग किसी शाही परिवार की हो सकती है, जिसका निर्माण ब्रितानी शासन के दौरान किया गया होगा। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, 'इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और पुलिस की एक टुकड़ी को वहां तैनात किया गया है क्योंकि महता गांव में सुरंग को देखने के लिए जिले भर से लोग आए हैं।'

जावडेकर ने कलाम पर फिल्म की पहली तस्वीर जारी की

नई दिल्ली, 9 फरवरी (भाषा)।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने रविवार को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पर आधारित बायोपिक फिल्म का पहला लुक जारी किया। जावडेकर ने बताया कि 'एपीजे अब्दुल कलामः द मिसाइल मैन' नामक यह फिल्म हालीवुड और तेलुगु फिल्म उद्योग की संयुक्त परियोजना है। यह फिल्म 2020 के अंत तक रिलीज हो जाएगी। मंत्री ने अपने ट्वीटर पेज पर पोस्टर विमोचन की एक तस्वीर साझा की। उन्होंने ट्वीट किया, 'आज नई दिल्ली में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की बायोपिक फिल्म का पहला लुक जारी किया। हालीवुड और टालीवुड के संयुक्त प्रयास से जनता के प्रिय भारत राष्ट्रपति के जीवन पर बन रही यह फिल्म इस वर्ष के अंत तक रिलीज हो जाएगी।' जगदीश दानेटी, सुवर्ण पप्पू और मार्टिनी फिल्म्स के जॉनी मार्टिन के सहनिर्माण में बन रही इस फिल्म में मुख्य भूमिका में दक्षिण के लोकप्रिय अभिनेता अली हैं। जावडेकर ने यह भी घोषणा की कि अमेरिका की मार्टिनी फिल्म्स और पिंक जगुआर इंटरटेनमेंट अन्य के साथ मिलकर भारत में पांच फिल्म निर्माण परियोजनाओं में एक अरब अमेरिकी डॉलर निवेश करेगा।

नौ साल की बच्ची ने चिढ़ाने की शिकायतों के लिए बनाया ऐप

शिलांग, 9 फरवरी (भाषा)।

स्कूल में बार-बार चिढ़ाए जाने से परेशान, शिलांग में नौ साल की बच्ची ने ऐसा मोबाइल ऐप्लिकेशन विकसित की है जो एक व्यक्ति को गुमनाम रूप से ऐसी घटनाओं की शिकायत अधिकारियों के पास करने की सुविधा देगी। चौथी कक्षा की छात्रा मेइदइबहुन मजॉव ने कहा कि चिढ़ाए जाने से उसका स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा था, जिसके बाद उसने इस समस्या का समाधान निकालने की जिम्मेदारी खुद ले ली। मजॉव ने बताया, 'मुझे नर्सरी से स्कूल में चिढ़ाया जाता था। मैं बहुत प्रभावित रही। मुझे इससे इतनी नफरत थी कि मैं हमेशा इसका समाधान ढूंढती रहती थी। किसी दूसरे बच्चे के साथ यह नहीं होना चाहिए।' यह ऐप जल्द ही गूगल प्ले पर उपलब्ध होगी जो पीड़ितों को अपनी शिकायतें और परेशान करने वाले व्यक्तियों की जानकारी अपनी पहचान उजागर किए बिना शिक्षकों, परिजन और दोस्तों को देने में मदद करेगा।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद

घाटी में बंदूक उठाने वाले युवाओं की संख्या में कमी

श्रीनगर, 9 फरवरी (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को पिछले साल अगस्त में रद्द किए जाने के बाद से कश्मीर में आतंकवाद में शामिल होने वाले युवाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यही नहीं पथराव की घटनाओं में भी कमी दर्ज की गई है। आंसू गैस, पैलेट गन के इस्तेमाल में स्वाभाविक रूप से कमी आई है।

सुरक्षा एजंसियों द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल पांच अगस्त से औसतन पांच युवक प्रत्येक महीने आतंकवाद में शामिल हुए, जबकि इससे पहले प्रति महीने यह दर 14 थी। पांच अगस्त के पहले और इसके बाद के आतंकवाद से जुड़े घटनाक्रमों की तुलना करने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादियों की अंत्येष्टि में भारी भीड़ एकत्र होनी भी अतीत की बातें हो गई हैं क्योंकि अब कब्रगाहों पर सिर्फ मुट्ठी भर करीबी रिश्तेदार ही देखे जाते हैं।

गौरतलब है कि आतंकवादियों के अंतिम संस्कार के समय काफी संख्या में युवक आतंकवाद का रास्ता चुनते थे।

रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल पांच अगस्त से औसतन पांच युवक प्रत्येक महीने आतंकवाद में शामिल हुए, जबकि पहले यह आंकड़ा 14 था

स्थिति पथराव की घटनाओं, आंसू गैस, पैलेट गन के इस्तेमाल में स्वाभाविक रूप से आई गिरावट

रिपोर्ट में कहा गया है, ये ऐसे दृष्टांत हैं जब आतंकवादी महज दर्जन भर करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में दफन किए जाते हैं। इससे पहले सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में भारी भीड़ जुटा करती थी। कई बार 10,000 से अधिक लोग जमा हो जाते थे। आतंकवाद में शामिल होने के लिए स्थानीय युवाओं को एक आतंकी द्वारा अपने परिवार के सदस्यों से की गई आखिरी अपील भी प्रेरित करता था। इस तरह की आवाज की रिकार्डिंग कुछ युवाओं को बंदूक उठाने के लिए प्रेरक के तौर पर काम करती थी। हालांकि, पांच अगस्त 2019 के बाद इस तरह की कोई अपील दर्ज नहीं की गई। ऐसा संचार माध्यमों में पर पाबंदी और बदले हुए परिदृश्य के चलते आंशिक रूप से हुआ। इसमें कहा गया है कि पथराव की घटनाओं में भी कमी दर्ज की गई है। आंसू गैस, पैलेट गन के इस्तेमाल में स्वाभाविक रूप से कमी आई है। गौरतलब है कि पिछले साल पांच अगस्त को पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों —लद्दाख और जम्मू कश्मीर— में विभाजित करने की घोषणा के बाद राज्य में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थीं।

आस्था इलाहाबाद में संगम के तट पर रविवार को एक माह से जारी माघ मेले के समापन के अवसर पर पूजा अर्चना करता श्रद्धालु।

गोवा के आर्कबिशप ने सरकार से सीएए वापस लेने की अपील की

पणजी, 9 फरवरी (भाषा)।

गोवा और दमन के आर्कबिशप फादर फिलिप नेरी फेराओ ने केंद्र सरकार से तत्काल एवं बिना किसी शर्त संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) वापस लेने और असहमति जताने के अधिकार को दबाना बंद करने की अपील की है।

आर्कबिशप ने सरकार से राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) को देशभर में लागू ना करने की अपील भी की है। गोवा गिरजाघर की एक शाखा 'सोसाइटी फॉर सोशल कम्युनिकेशंस मीडिया' ने एक बयान में कहा, 'आर्कबिशप और गोवा का कैथोलिक समुदाय सरकार से भारत के लाखों लोगों की आवाज सुनने, असहमति जाहिर करने के अधिकार को ना दबाने और इन सबसे अधिक संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को वापस लेने और एनआरसी एवं एनपीआर को लागू ना करने की अपील करता है।'

गिरजाघर ने कहा कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण है और यह निश्चित तौर पर हमारे जैसे बहु-सांस्कृतिक लोकतंत्र पर नकारात्मक और हानिकारक प्रभाव डालेगा। वहीं, गोवा भाजपा के महासचिव नरेंद्र सावरकर ने आर्कबिशप से पूछा है कि वह सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं जब करोड़ों लोग उसका समर्थन कर रहे हैं।

दक्षिण गोवा से लोकसभा के पूर्व सदस्य सावरकर ने ट्वीट किया, आर्कबिशप का कहना है कि सीएए को वापस ले लेना चाहिए क्योंकि उसकी आलोचना की जा रही है। मेरा सवाल है क्यों? जब गोवा के लोगों सहित करोड़ों सीएए का समर्थन कर रहे हैं।' गोवा विधानसभा ने कानून बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा करने के लिए हाल ही में एक धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया था।

उत्तर प्रदेश की गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी

प्रयागराज, 9 फरवरी (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के गो-सेवा आयोग ने प्रदेश की गोशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में आगामी 14 फरवरी को राजधानी लखनऊ में पूरे प्रदेश के गौपालकों की एक बैठक बुलाई है।

आयोग के विधिक सलाहकार योगेश कुमार मिश्रा ने एजंसी को बताया कि आठ साल बाद यह बैठक होने जा रही है, जिसमें पूरे राज्य से गोशाला संचालकों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि पशुपालन निदेशालय के प्रेक्षागृह में होने वाली इस बैठक के लिए 68 गोशालाओं के संचालकों ने अभी तक अपनी स्वीकृति दी है। इस बैठक में गोपालकों के समक्ष आ रही समस्याओं को सुना जाएगा और सरकार अपने स्तर पर इनके समाधान का रास्ता निकालेगी। मिश्रा ने बताया कि जिन गोशालाओं ने इस बैठक के लिए अपनी स्वीकृति दी है उनमें वाराणसी की कान्हा गोशाला, मिर्जापुर की डगमगपुर रामेश्वरम गोशाला, वाराणसी की भवती गौशाला,

लखनऊ में 14 फरवरी को होगी गोपालकों की बैठक

अमरोहा की वृंदावन गोशाला, कानपुर की भवती गोशाला शामिल हैं। प्रदेश में कुल 385 गोशालाएं पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में विभिन्न आदर्श गोशालाओं के संचालक अपने क्रियाकलापों से अवगत कराएंगे। जैसे नागपुर के देवलापार गौ अनुसंधान केंद्र का अकेले गोबर और गोमूत्र उत्पादों से वार्षिक टर्नओवर छह करोड़ रुपए से अधिक है।

मिश्रा ने बताया कि बैठक में गो-सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम नंदन सिंह के साथ ही पशुधन मंत्री, पशुधन सचिव और पशुधन निदेशक भी शामिल होंगे।

गो-सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम नंदन सिंह ने कहा कि प्रदेश में गौशाला संचालकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस बैठक का उद्देश्य उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और समाधान निकालना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं विकास में गौवंश का अत्यंत महत्व है।

गोशाला संचालक अपनी गोशाला के विकास, स्वावलंबन की दिशा में प्रगति, गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन के क्रियाकलापों जैसे पंचगव्य उत्पादों का विपणन, जैविक खेती, गोबर गैस प्लांट की स्थापना आदि से सरकार को अवगत करा सकते हैं।

खेती-किसानी महाराष्ट्र के कराड में उबली हुई हल्दी को खेत में सुखाता किसान। इस तरह से हल्दी को सुखाने में 10-15 दिन लगते हैं।

आखिरकार बरेली को मिल ही गया 'झुमका'

बरेली, 9 फरवरी (भाषा)।

अर्सा पहले आई बॉलीवुड फिल्म मेरा साया के गीत 'झुमका गिरा रे...' से मशहूर हुए बरेली को आखिरकार 'झुमका' मिल ही गया। दरअसल बरेली में एक तिराहे की छतरी के तौर पर विशाल झुमका लगाया गया है।

केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने शनिवार शाम को इस झुमका तिराहे का लोकार्पण किया। महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला झुमका अब बरेली की शान बढ़ा रहा है।

गंगवार ने झुमका चौराहे के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, संसद में अक्सर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद मजाकिया लहजे में मुझसे पूछते थे कि बरेली में झुमका मिला या नहीं। अब आखिरकार बरेली को झुमका मिल ही गया। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि बरेली को झुमका मिल गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, झुमका चौराहा ऐसी जगह पर है, जहां तीन विधायकों के कार्यक्षेत्र आपस में जुड़ते हैं। इससे इलाके के बेहतर विकास में भी मदद मिलेगी।

आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया, बरेली विकास प्राधिकरण के सहयोग से बरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 स्थित जीरो प्वाइंट पर बनाए गए झुमका तिराहे पर एक विशाल झुमका लगाया गया है। प्राधिकरण की यह योजना काफी पहले से थी, लेकिन धन के अभाव के कारण इस पर अमल नहीं हो पा रहा था। झुमका लगाने के लिए बरेली के लोगों से सहयोग मांगा गया। लोगों ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया।

इसरो ने नौकाओं को संदेश पहुंचाकर सावधान करने वाला बनाया उपकरण **सहायता** अंतरराष्ट्रीय नौवहन सीमा रेखा लगी है श्रीलंका और पाकिस्तान से

अब अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा नहीं पार कर सकेंगे मछुआरे

नई दिल्ली, 9 फरवरी (भाषा)।

श्रीलंका और पाकिस्तान से लगे गहरे समुद्र में भारतीय मछुआरों को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने से रोकने के लिए इसरो ने ऐसा उपकरण तैयार किया है जो उनकी नौकाओं का पता लगाकर उन्हें संदेश पहुंचाकर सावधान करेगा। नौसेना के अधिकारियों ने संसद की एक समिति को यह जानकारी दी। समिति ने पिछले दिनों संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की थी।

रिपोर्ट के अनुसार, नौसेना के अधिकारियों ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति को बताया, 'हमारी अंतरराष्ट्रीय नौवहन सीमा रेखा श्रीलंका और पाकिस्तान से लगी है। उन

इसरो ने ऐसा उपकरण तैयार किया है जो उनकी नौकाओं का पता लगाकर उन्हें संदेश पहुंचाकर सावधान करेगा। नौसेना के अधिकारियों ने संसद की एक समिति को यह जानकारी दी। समिति ने पिछले दिनों संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। समिति ने पिछले दिनों संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की थी।

सभी नावों में स्वचालित पहचान प्रणाली (एआइएस) लगी होती है जो नावें 20 मीटर से ऊंची होती हैं। हालांकि कुछ शरारती लोग अंतरराष्ट्रीय नौवहन सीमा रेखा को पार कर जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो 20 मीटर से कम ऊंचाई वाली नौकाओं का प्रयोग करते हैं।'

अधिकारियों ने बताया, 'इसलिए भारतीय नौसेना ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ मिलकर एक नई पहल की है।' इसमें कहा गया है, 'इसरो ने अब एक मॉड्यूल तैयार किया है जिसके तहत एक ट्रांसपांडर युक्त व्यवस्था तैयार की गई है जो उन नौकाओं की स्थिति एवं स्थान का पता लगाने में मदद तो करता ही है, साथ ही उन्हें इस संबंध में संदेश भी पहुंचाता है।'

नौसेना के अधिकारियों ने समिति को बताया कि इसके जरिए हम उन्हें मौसम संबंधी संदेश भी दे सकते हैं और तूफान की आशंका होने पर उन्हें सतर्क भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया, 'इसमें निगरानी की एक और सुविधा है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि वे अंतरराष्ट्रीय नौवहन सीमा रेखा पार कर रहे हैं अथवा नहीं।

यदि वे सीमा पार कर रहे हैं तो उन्हें संदेश दिए जाने की भी सुविधा है।' रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने समिति को बताया, 'गुजरात और तमिलनाडु में 500 मछुआरों की नौकाओं पर इसका परीक्षण भी किया गया है। वह सफल रहा है। अब शेष को भी इसके दायरे में लाया जाएगा।'

गौरतलब है कि हमारे देश में लगभग 2,46,000 नौकाएं हैं जो 20 मीटर से कम ऊंची हैं।

लोकसभा में पिछले सप्ताह पेश रक्षा संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने भारतीय जल क्षेत्र में मछुआरों की सुरक्षा के लिये उठाये गए कदमों के बारे में जानना चाहा था।

नौसेना के प्रतिनिधियों ने समिति को यह भी बताया कि भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक गार्ड इन सभी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ गश्त कर रहे हैं ताकि इन मछुआरों को सीमा पार करने से रोका जा सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश के तटरक्षकों के साथ हमारा हाटलाइन पर संपर्क है।

www.readwhere.com

पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं व पदोन्नति में आरक्षण कोई मूल अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के पीठ ने कहा- इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य सरकारें आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं। ऐसा कोई मूल अधिकार नहीं है जिसके तहत कोई व्यक्ति पदोन्नति में आरक्षण का दावा करे।

पीठ ने अपने फैसले में कहा- अदालत राज्य सरकार को आरक्षण उपलब्ध कराने का निर्देश देने के लिए कोई परमादेश नहीं जारी कर सकती है। उत्तराखंड सरकार के पांच सितंबर 2012 के फैसले को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की। बताते चलें कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण उपलब्ध कराए बगैर सार्वजनिक सेवाओं में सभी पदों को भरे जाने का फैसला लिया था। सरकार के फैसले को उत्तराखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसने इसे खारिज कर दिया था।

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा- यह निर्धारित कानून है कि राज्य सरकार को सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश नहीं दिए जा सकते। इसी तरह सरकार पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है।

पीठ ने कहा- हालांकि अगर वे (राज्य) अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं और पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान करते हैं तो सबसे पहले उसे इस तरह के आंकड़े इकट्ठा करने होंगे जिससे यह स्पष्ट होता हो कि सार्वजनिक पदों पर किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व कम है। उत्तराखंड सरकार की सितंबर 2012 की अधिसूचना को बरकरार रखते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार पदोन्नतियों में आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट को राज्य के फैसले को अवैध नहीं घोषित करना चाहिए था। आरक्षण के बारे में संवैधानिक प्रावधान का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा- यह राज्य सरकार को तय करना है कि सरकारी पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में आरक्षण की आवश्यकता है या नहीं।

कश्मीर में बंद की गई मोबाइल इंटरनेट सेवाएं फिर शुरू

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

संसद हमले के दोषी मोहम्मद अफजल गुरु की सातवीं बरसी पर कानून व्यवस्था की किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कश्मीर घाटी में रविवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं स्थगित कर दी। हालांकि बाद में इन सेवाओं को फिर शुरू कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि रविवार तड़के मोबाइल इंटरनेट सेवा सेवाएं स्थगित कर दी गई थीं, क्योंकि प्रशासन को अलगाववादी संगठनों के बंद के आह्वान के मद्देनजर घाटी में हिंसा की आशंका थी। हालांकि बाद में शाम को ये सेवाएं बहाल कर दी गईं।

प्रशासन ने 25 जनवरी को कश्मीर में 2जी इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी थीं। पिछले साल पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद से घाटी में सभी संचार सुविधाएं बंद कर दी गई थीं।

संत रविदास को श्रद्धांजलि दी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत कवि रविदास की जयंती पर रविवार को उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए काम किया। नायडू ने ट्वीट किया- शांति व सद्भाव के मजबूत समर्थक गुरु रविदास ने अपनी शिक्षाओं से प्रेम और एकता का संदेश दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी संत रविदास को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया- महान संत गुरु रविदास को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए उन्होंने सौहार्द और भाईचारे की भावना पर बल दिया था, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। न्याय, समानता और सेवा पर आधारित उनकी शिक्षा हर युग में लोगों को प्रेरित करती रहेगी।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रविवार को संत रविदास की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और कहा कि एकता व भाईचारे का संदेश देने वाले संत रविदास जी के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भाजपा कृत संकल्पित है।

भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में संत रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर नड्डा ने संवाददाताओं से कहा- संत रविदास जी ने अपनी रचनाओं से सामाजिक बुराइयों तथा कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा- भाजपा संत रविदास जी के भव्य मंदिर निर्माण के लिए कृत संकल्पित है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि संत गुरु रविदास जी के उपदेश एकता और भाईचारे के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी लोकवाणी से समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। संत रविदास जी के बताए रास्तों पर चलकर पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ समाज को एकजुट रखे इसके लिए हम सब कटिबद्ध हैं।

सेना ने मार गिराए चार पाकिस्तानी सैनिक

पेज 1 का बाकी

कर दिया। जवाबी कार्रवाई में कम से कम चार पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी चौकियों से उठता धुआं का गुबार पुंछ शहर तक देखा गया। शनिवार को पाकिस्तानी गोलाबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया था, जबकि तीन अन्य जवान घायल हुए थे।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, रविवार को पाकिस्तानी गोलाबारी से रविवार देर शाम तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने बालाकोट और मेंढर सेक्टरों में संघर्षविराम का उल्लंघन किया, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों सेक्टरों में दोपहर करीब 12.50 बजे सीमा पार से फायरिंग और मोर्टार से गोलाबारी शुरू हो गई, जो अंतिम रिपोर्ट मिलने तक जारी थी। जवाबी कार्रवाई में दिगवार सेक्टर के सामने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के चिड़िकोट क्षेत्र में तैनात पाकिस्तानी सेना की 41 सिंध रेजीमेंट की आधा दर्जन से अधिक चौकियां तबाह हो गईं। भारतीय सेना की ओर से शनिवार शाम पौने चार बजे शुरू हुई गोलाबारी रविवार तक जारी रही।

इस कार्रवाई में चिड़िकोट में पाकिस्तानी चौकियों को खासा नुकसान पहुंचा और दुश्मन के कम से कम चार जवानों के मारे जाने की प्राथमिक सूचना भारतीय सेना को मिली है। उस पार हुए नुकसान के बारे में सैन्य खुफिया एजेंसियां और सूचनाएं जुटा रही हैं। शनिवार को पाकिस्तान की गोलाबारी में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के देगवार सेक्टर में एक भारतीय सैनिक शहीद और तीन अन्य घायल हो गए। सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद के मुताबिक, शहीद नायक राजीव सिंह शेखावत (36) राजस्थान के जयपुर जिले के रहने वाले थे। उनके परिवार में उनकी पत्नीी उषा शेखावत हैं। सेना ने रविवार को नायक शेखावत को पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। वरिष्ठ अधिकारियों ने जम्मू के वायु सेना स्टेशन में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहीद सैनिकों को पुष्पचक्र अर्पित किए। उत्तरी कमान के कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी और एलीट व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता ने भी शहीद सैनिक को सलामी दी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने असहमति जताई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

कांग्रेस ने रविवार को कहा कि वह नियुक्तियों और पदोन्नतियों में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत है। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों के अधिकार खतरे में है।

कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि पार्टी इस मुद्दे को संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें नियुक्तियों में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है तथा पदोन्नति में आरक्षण का दावा कोई मूल अधिकार नहीं है।

चीन में उठी राजनीतिक सुधार की आवाज

बेजिंग, 9 फरवरी (एएफपी)।

कोरोना वायरस के खतरे के प्रति सबसे पहले आगाह करने और इस बात को लेकर सजा पाने वाले एक डॉक्टर की मौत से चीन में राजनीतिक सुधार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग उठने लगी है। वुहान के नेत्र चिकित्सक ली वेनलियांग की शुक्रवार को मौत हो गई। उन्होंने एक महीने पहले सार्स जैसे विषाणु के बारे में खुलासा किया था।

गौरतलब है कि ली (34) उन आठ चिकित्सकों में एक थे जिन्हें वुहान पुलिस ने कोरोना वायरस के संबंध में अफवाह फैलाने के लिए दंडित किया था। ली की मौत के बाद अकादमिक जगत से जुड़े कई लोगों ने चीन में और आजादी की मांग की है। ली की मौत के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करते हुए कम से कम दो खुले पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें से एक पत्र पर वुहान के दस प्रोफेसरों ने हस्ताक्षर किए हैं।

चीन में ट्विटर जैसी सोशल मीडिया वेबसाइट 'वीबो' पर इस पत्र को सेंसर किया गया है जिसमें लिखा है कि वेन लियांग के प्रयासों ने देश और समाज के हित को बरकरार रखने का काम किया।

इस पत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश को हटाने और डॉ वेन लियांग समेत उन सात अन्य चिकित्सकों से खुलकर माफी मांगने की मांग की गई है जिन्हें दिसंबर में विषाणु के खतरे के प्रति आगाह करने के लिए दंडित किया गया था। बेजिंग के प्रख्यात शिंहुआ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के एक अनाम समूह द्वारा हस्ताक्षरित एक अन्य पत्र में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को गारंटी देने की मांग उठाई गई है। पत्र में कहा गया है, 'हम राजनीतिक सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता देने का दृढ़ता से विरोध करते हैं। यह किसी छोटे संगठन का बहुत ही स्वार्थी लक्ष्य है।' ये पत्र चीन में राजनीतिक सुधार के दुर्लभ आह्वान हैं, जहां सरकार से असहमति जताने वालों को जेल भेज दिया जाता है। रविवार को वीबो से इन पत्र का हवाला देने वाले कई अंशों को हटा दिया गया है।

गिरमिटिया और गांधी का साझा रचने वाले गिरिराज का निधन

पेज 1 का बाकी

उपकुलसचिव के पद पर सेवारत रहे तथा दिसंबर 1975 से 1983 तक आइआइटी कानपुर में कुलसचिव पद की जिम्मेदारी संभाली।

उनके कहानी संग्रहों में 'नीम के फूल', 'चार मोती बेआब', 'पेपरवेट', 'रिश्ता और अन्य कहानियां', 'शहर-दर-शहर', 'हम प्यार कर लें', 'जगत्तारनी' एवं अन्य कहानियां, 'वल्द' 'रोजी', और 'यह देह किसकी है?' प्रमुख हैं। इसके अलावा, 'लोग', 'चिड़ियाघर', 'दो', 'इंद्र सुनें', 'दावेदार', 'तीसरी सत्ता', 'यथा प्रस्तावित', 'परिशिष्ट', 'असलाह', 'अंर्तध्वंस', 'ढाई घर', 'यातनाघर', उनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं।

महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीकी अनुभव पर आधारित महाकाव्यात्मक उपन्यास 'पहला गिरमिटिया' ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान दिलाई। हिंदी साहित्य में गांधी की चिंता और चिंतन के साथ उनके सत्याग्रही मूल्यों को कथन और कथानक के बीच रचनात्मक स्वीकृति दिलाने वालों में जैनेंद्र कुमार, विष्णु प्रभाकर के बाद गिरिराज किशोर का नाम काफी यशस्वी है। उनके निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर छा गई है।

23 मार्च 2007 को साहित्य और शिक्षा के लिए गिरिराज किशोर को पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर कहा- प्रख्यात साहित्यकार, कालजयी रचना 'पहला गिरमिटिया' के लेखक, पद्मश्री गिरिराज किशोर जी के देहावसान से साहित्य जगत व संपूर्ण प्रबुद्ध समाज में एक निर्वात उत्पन्न हो गया है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें।

जरूरत होने पर और बैंकों के विलय को तैयार : ठाकुर

पेज 1 का बाकी

रविवार को यह बात कही। पिछले साल सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों का विलय कुल चार बैंकों में करने की घोषणा की थी। इस प्रक्रिया से अप्रैल से छह वैश्विक आकार के बैंक अस्तित्व में आएंगे और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जाएगी, जो 2017 में 27 थी। ठाकुर ने साक्षात्कार में कहा, 'हमने सफलता से बैंकों का विलय और पुनः पूंजीकरण किया है। दिवाला व ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आइबीसी) सफल रही है। इसके जरिये बैंकों को चार लाख करोड़ रुपए वापस मिले हैं। जरूरत के मुताबिक आगे और एकीकरण या विलय किया जाएगा।' उन्होंने कहा कि एकीकरण के जरिये वैश्विक आकार के बैंक का अस्तित्व आने से नरेंद्र मोदी सरकार के 2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। ठाकुर ने कहा कि बड़े बैंकों की पहुंच अधिक व्यापक होगी। उनकी ऋण देने की क्षमता बेहतर होगी और बढ़िया उत्पादों और प्रौद्योगिकी के जरिये वे ग्राहकों को सेवाएं दे सकेंगे। सरकार ने पिछले अगस्त में यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया और ओरियंटल बैंक आफ कामर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में करने की घोषणा की थी। विलय के बाद बनने वाला बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय करने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक आफ इंडिया में विलय किया जाना है। अप्रैल, 2019 में बैंक आफ बड़ौदा ने विजया बैंक और देना बैंक का खुद में विलय किया था।

राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक 19 फरवरी को

पेज 1 का बाकी

योजना है। भाजपा नेता और ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बैठक के एजंडे के बारे में पुष्टि की है। ट्रस्ट के दिल्ली ऑफिस में यह बैठक शाम को पांच बजे रखी गई है। बैठक में दो अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव भी किया जा सकता है। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण कब से शुरू करना है, इसे लेकर भी ट्रस्ट की बैठक में घोषणा की जा सकती है। आगामी रामनवमी (दो अप्रैल) या अक्षय तृतीया (26 अप्रैल) से राम मंदिर का निर्माण शुरू करने पर सहमति बन सकती है।

राममंदिर ट्रस्ट में फिलहाल जिन सदस्यों को जगह दी गई है, उनमें विहिप का एक भी सदस्य नहीं है। अयोध्या में विहिप की कार्यशाला में राममंदिर के लिए तराशे गए पत्थरों को लेकर भी ट्रस्ट की बैठक में चर्चा होने के आसार हैं। हाल में केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट बनाने के लिए मंजूरी दी थी। इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्यों को शामिल किया गया है। ट्रस्ट में अयोध्या केस में लंबे समय से हिंदू पक्ष की पैरवी करने वाले के परासरण को ट्रस्टी बनाया गया है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित परासारण के अलावा इस ट्रस्ट में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, जगद्गुरु माधवाचार्य स्वामी, विश्व प्रसन्नतीर्थ जी महाराज, युगपुरुष परमानंद जी महाराज और स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज भी शामिल हैं।

साथ ही, अयोध्या राज परिवार के बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, होम्योपैथी के चिकित्सक और आरएसएस के अवध प्रांत के प्रांत कार्यवाह डॉ. अनिल कुमार मिश्र, 1989 के राम मंदिर आंदोलन में पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल एवं निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास भी ट्रस्ट में शामिल हैं।

सरकार को 12 फीसद राजस्व वृद्धि का भरोसा

पेज 1 का बाकी

है। ऐसे में इस पर कर राजस्व में 12 फीसद की वृद्धि का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बजट 2020-21 में सकल कर संग्रह का लक्ष्य 24.23 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। यह चालू वित्त वर्ष के 21.63 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य से 12 फीसद अधिक है।

अगले वित्त वर्ष में व्यक्तिगत आयकर संग्रह 6.38 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। जो 2019-20 के 5.59 लाख करोड़ रुपए से 14.13 फीसद अधिक होगा। इसके अलावा कंपनी कर संग्रह के 11.63 फीसद बढ़कर 6.81 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचने का अनुमान है। इसके चालू वित्त वर्ष में 6.10 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

करीब दो लाख यात्रियों की अब तक जांच की गई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

कोरोना वायरस को लेकर भारत के 21 हवाई अड्डों पर रविवार तक 1818 उड़ानों के 1,97,192 यात्रियों को स्कैन किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को यह जानकारी दी गई। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस को देश में आने से रोकने के लिए मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। सभी राज्यों में 9452 लोगों को निगरानी में रखा गया है।

जिनपिंग को मोदी ने की मदद की पेशकश

पेज 1 का बाकी

लोगों की मौत हुई है। जबकि संक्रमण के मामलों की संख्या 37,198 पर पहुंच गई है। भारत में चीन के राजदूत स्वन वेइतोंग ने बुधवार को कहा था कि संचार और समन्वय को मजबूत करने और चीन में भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है।

62.59 % का अंतिम आंकड़ा आने तक उलझी रही दिल्ली

पेज 1 का बाकी

में 71.6 फीसद मतदान हुआ जबकि सबसे कम मतदान दिल्ली कैंट में हुआ जहां 45.4 फीसद मतदाताओं ने मतदान किया। ओखला में 58.8 और सीलमपुर में 71.22 फीसद वोटिंग हुई है। आंकड़ों के मुताबिक जहां 62.55 फीसद महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया वहीं, 62.62 फीसद पुरुष मतदाताओं ने वोट किया।

मतदान के अंतिम आंकड़े जारी करने में हुई देरी पर मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपनी सफाई में कहा कि शनिवार देर तक मतदान होता रहा। रातभर मशीन आती रही और मशीनों को स्ट्रांग रूम में जमा किया गया और रूम को सील किया। सभी अधिकारी व्यस्त थे लिहाजा, 11 बजे से आंकड़ों के मिलान का काम शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि कहीं दोपहर तीन बजे तक आंकड़ों के मिलान का काम चलता रहा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन अधिकारी सटीक आंकड़ा सुनिश्चित करने के लिए विश्लेषण में व्यस्त थे, जिससे थोड़ा समय लगा। सिंह ने कहा, 'वे अटकलें नहीं लगाना चाहते थे, बल्कि सटीक आंकड़े देना चाहते थे। निर्वाचन अधिकारियों ने डाटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए रात भर काम किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 13,000 से अधिक मतदान केंद्र थे और आयोग को हर मतदान केंद्र से आंकड़े जोड़ने थे और यह सुनिश्चित करना था कि हर वोट का हिसाब हो। सिंह ने कहा कि यह देरी या शीघ्रता की बात नहीं है, जैसे ही मतदान फीसद को अंतिम रूप दिया गया, उसे लोगों से साझा कर दिया गया। आंकड़े के हिसाब से ओखला निर्वाचन क्षेत्र में 58.54 फीसद दर्ज किया गया जहां शाहीन बाग और जामिया नगर हैं। शाहीन बाग 50 दिनों से भी अधिक समय से सीएए विरोधी प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर आयोग वोट फीसद का आंकड़ा देने में देरी क्यों कर रहा है।

आंकड़ों में देरी पर आप को साजिश की आशंका

पेज 1 का बाकी

क्यों नहीं कर रहा है? उन्होंने ट्वीट किया-पूरी तरह चौंकाने वाला। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? मतदान खत्म होने के कई घंटे के बाद भी वे मतदान प्रतिशत के आंकड़े क्यों जारी नहीं कर रहे हैं?

आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि अभी तक जब भी चुनाव हुए हैं, उसके बाद चुनाव आयोग कुल पड़े मतों के फीसद की घोषणा करता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा का मतदान संपन्न हुए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग मतदान फीसद की घोषणा करने के लिए तैयार नहीं है। यह गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि अभी तक उसने मतदान फीसद की घोषणा क्यों नहीं की है। 70 साल के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है, जब चुनाव आयोग मतदान फीसद बताने के लिए तैयार नहीं है।

दिल्ली की नई सरकार चुनने के लिए शनिवार को हुए मतदान के बाद आयोग ने अंतिम मतदान फीसद 61.46 फीसदी बताया था।

राज्यों को जल्द मिलेगा जीएसटी मुआवजा

पेज 1 का बाकी

रुपए जारी करेगी। जीएसटी के तहत राज्यों को राजस्व में 14 फीसद की वृद्धि नहीं हो पाने की स्थिति में पांच साल तक मुआवजा देने व्यवस्था है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 2017-18, 2018-19 व चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों तक मुआवजे को लेकर किसी तरह विवाद नहीं हुआ था।

हालांकि, उपकर से प्राप्त राजस्व कम रहने की वजह से केंद्र सरकार ने अगस्त से राज्यों को मुआवजे का हस्तांतरण रोक दिया है। इसके बाद राज्यों ने केंद्र के समक्ष यह मुद्दा उठाना शुरू कर दिया था। केंद्र सरकार ने अगस्त-सितंबर के लिए दिसंबर, 2019 में 35,298 करोड़ रुपए जारी किए थे। केंद्र सरकार के आला अधिकारी का कहना था कि हम जल्द ही भारत के समेकित कोष (सीएफआई) से मुआवजा मद में दो खेप में 35,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त जारी करेंगे। पहली किस्त अक्तूबर-नवंबर के लिए होगी। साल 2017-18 और साल 2018-19 में मुआवजा उपकर से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व को सीएफआइ में जमा कर दिया गया था। अब इन्हें मुआवजा कोष में हस्तांतरित किया जाएगा।

जीएसटी दरें साल में एक बार संशोधित की जाएं : सीतारमण

पेज 1 का बाकी

बढ़ाने व पूंजीगत खर्च सुनिश्चित करने की आधारशिला रख दी है। सरकार का निवेश बुनियादी संरचना में निर्माण में लगेगा, जिसका अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में असर होगा। ग्रामीण क्षेत्र की दिक्कतों को दूर करने के लिए बजट में 16 सूत्रीय कार्ययोजना की घोषणा की गई है। अतः मेरा अनुमान है कि ये कदम देश को पांच हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे ले जाएंगे। यह पूछे जाने पर कि बजट में पश्चिम बंगाल को क्या मिला, वित्त मंत्री ने कहा कि मैं नहीं जानती हूं कि किसको क्या मिला के सवाल का किस तरह से जवाब दूं। मैं वृहद आर्थिक स्थिरता और देश में संपत्ति सृजन के दृष्टिकोण से देख रही हूं। कर की घटी दरों से लोगों के हाथों में अधिक पैसा पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में जिन परियोजनाओं को लेकर घोषणाएं की गई हैं, वे परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में चल रही हैं।

उमर-महबूबा की हिरासत की वजह घाटी में उनका प्रभाव

पेज 1 का बाकी

आह्वान के बावजूद मतदान केंद्रों तक मतदाताओं को खींचने की क्षमता तथा किसी भी कार्य को लेकर जन ऊर्जा को उस दिशा में मोड़ने की ताकत रखने जैसी बातें शामिल हैं।

वहीं, उनकी राजनीतिक विरोधी एवं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता महबूबा मुफ्ती के पीएसए डॉजियर में राष्ट्र विरोधी बयान देने और राज्य के जमात-ए-इस्लामिया जैसे संगठनों को समर्थन देने का आरोप है जिन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंधित किया गया है।

49 वर्षीय उमर के खिलाफ पुलिस ने जो पीएसए डॉजियर तैयार किया है उसमें आतंकवाद के चरम पर रहने के दौरान और अलगाववादियों एवं आतंकवादियों द्वारा चुनाव के बहिष्कार के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने का जिक्र है। उमर केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं।

राज्य के पुनर्गठन की पूर्व संध्या पर अनुच्छेद 370 और 35-ए को हटाने के विरुद्ध जन मानस को भड़काने के उमर के प्रयासों को उन्हें हिरासत में रखने का आधार बनाया गया है। उमर 2009-14 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन आधारों में अनुच्छेद 370 एवं 35-ए के फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया नेटवर्क पर आम जनता को भड़काने वाली उनकी टिप्पणियों का भी जिक्र किया गया है जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी।

हालांकि पुलिस ने न तो डॉजियर में और न ही उनकी नजरबंदी के आधार के तौर पर उमर के किसी सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र नहीं किया है।उमर (49) और महबूबा (60) को पिछले साल पांच अगस्त से एहतियातन हिरासत में रखा गया है, जब केंद्र ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने और इस पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों- लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर-में बांटने की घोषणा की थी।

उनके एहतियातन हिरासत की मियाद खत्म होने से महज कुछ ही घंटे पहले उनके खिलाफ छह फरवरी की रात पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया। नियमों के अनुसार एहतियातन हिरासत को छह महीने से आगे तभी बढ़ाया जा सकता है, जब 180 दिन की अवधि पूरा होने से दो सप्ताह पहले गठित कोई सलाहकार बोर्ड इस बारे में सिफारिश करे। महबूबा ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की स्थिति में जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय को चुनौती दी थी और उनकी इन्हीं टिप्पणियों के लिए उन पर पीएसए लगाया गया।

उनके खिलाफ पीएसए के डॉजियर में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों को मार गिराए जाने पर की गई टिप्पणी का भी जिक्र किया गया है। महबूबा की पार्टी पीडीपी जून 2018 तक जम्मू-कश्मीर में भाजपा की सहयोगी थी। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जम्मू कश्मीर के जमात-ए-इस्लामिया संगठन को केंद्र द्वारा प्रतिबंधित संगठन घोषित किए जाने बाद इस संगठन को उनके समर्थन करने का भी डॉजियर में जिक्र किया गया है।

टीका विकसित करने में जुटे वैज्ञानिक

पेज 1 का बाकी

इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी टीके को तैयार करने में अमूमन वर्षों लग जाते हैं। यह जानवरों पर परीक्षण, मनुष्यों पर क्लिनिकल परीक्षण व नियामक स्वीकृतियां प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया है लेकिन विश्वभर में विशेषज्ञों की कई टीमें कोरोना वायरस के लिए जल्द से जल्द टीका विकसित करने की कोशिश में जुटी हैं। इस कदम को अंतरराष्ट्रीय स्तर के गठबंधन का समर्थन प्राप्त है और ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वे छह महीने के भीतर अपना टीका तैयार कर लेंगे।

ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता ने कहा, 'यह अत्यंत दबाव वाली स्थिति है और हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है।'

www.readwhere.com

कंपनी शुरू करना होगा आसान, 15 फरवरी से एकीकृत फार्म

कंपनी को ईपीएफओ व ईएसआइसी पंजीकरण संख्या तत्काल दी जाएंगी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

कारपोरेट मामलों का मंत्रालय 10 सेवाओं की पेशकश के लिए 'स्पाइसईप्लस' नाम से ई फार्म शुरू करने जा रहा है।

कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए सरकार 15 फरवरी से नई कंपनियों के गठन के लिए एकीकृत इलेक्ट्रानिक फार्म लागू करेगी। इसके तहत कंपनी को ईपीएफओ और ईएसआईसी पंजीकरण संख्या तत्काल आवंटित कर दी जाएगी। कारपोरेट मामलों का मंत्रालय 10 सेवाओं की पेशकश के लिए 'स्पाइसईप्लस' नाम से ई फार्म शुरू करने जा रहा है। अभी मंत्रालय का इलेक्ट्रानिक फार्म स्पाइस (इलेक्ट्रानिक तरीके से कंपनी के गठन का सरलीकृत प्रारूप) है। स्पाइस प्लस इसका स्थान लेगा।

मंत्रालय ने सार्वजनिक सूचना में कहा कि इस फार्म के जरिए दी जाने वाली 10 सेवाओं की पेशकश से देश में कारोबार शुरू करने के लिए प्रक्रियाओं में कमी आएगी, समय की बचत होगी और लागत घटेगी। श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग और महाराष्ट्र सरकार इस फार्म के जरिए कुछ और सेवाएं भी पेश करने जा रही हैं। 15 फरवरी से गठित होने वाली नई कंपनियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) का पंजीकरण अनिवार्य होगा। नोटिस में कहा गया है कि संबंधित एजंसियों द्वारा ईपीएफओ और ईएसआइसी पंजीकरण नंबर अलग से नहीं जारी किए जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में 15 फरवरी से गठित कंपनियों के लिए पेशेवर कर के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। नाम आरक्षण और कंपनी गठन के अलावा ईपीएफओ और ईएसआईसी पंजीकरण नंबर भी जारी किया जाएगा। इस फार्म के जरिए अनिवार्य रूप से स्थाई खाता संख्या (पैन), कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन), पेशेवर कर पंजीकरण (महाराष्ट्र) और कंपनी के बैंक खाता खोलने का काम किया जाएगा। यदि निदेशक पहचान संख्या (डिन) और जीएसटीआइएन के लिए आवेदन किया जाता है तो उसका भी आवंटन किया जाएगा।

उद्घाटन कोलकाता में रविवार को केंद्रीय बजट 2020-2021 पर संवाद सत्र का दीप जलाकर शुरुआत करतीं केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण।

सेल की पांच फीसद हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 फरवरी।

सरकार स्टील अथारिटी आफ इंडिया (सेल) की पांच फीसद हिस्सेदारी बेचकर एक हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। निवेश व लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) और इस्पात मंत्रालय के अधिकारी सेल की हिस्सेदारी की बिक्री के लिए सिंगापुर और हांगकांग में रोडशो करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हांगकांग रोडशो को रद्द किया जा सकता है।

सरकार की सेल में अभी 75 फीसद हिस्सेदारी है। सरकार ने इससे पहले दिसंबर, 2014 में सेल की पांच फीसद हिस्सेदारी की बिक्री की थी। खुली पेशकश के जरिए सेल की पांच फीसद हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई गई है। रोडशो में निवेशकों की दिलचस्पी का मूल्यांकन होगा। मौजूदा बाजार दर के हिसाब से सरकार सेल की पांच फीसद हिस्सेदारी बेचकर करीब एक हजार करोड़ रुपए जुटा सकती है।

बंबई शेयर बाजार में शुक्रवार को सेल का शेयर 0.51 फीसद गिरकर 48.65 रुपए पर बंद हुआ। सरकार यह बिक्री इसी वित्त वर्ष में पूरा कर सकती है क्योंकि वह 65 हजार करोड़ रुपए के विनिवेश के संशोधित लक्ष्य को पाने की जी-तोड़ कोशिशें कर रही है। अभी तक इस वित्त वर्ष में विनिवेश से 34 हजार करोड़ रुपए ही जुटाए जा सके हैं। सरकार गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की 10 फीसद हिस्सेदारी भी बेचने की योजना बना रही है। इससे सरकार को करीब 200 करोड़ रुपए मिल सकते हैं।

मप्र सरकार ने 120 कंपनियों से पूछा

क्या सार्वजनिक किए जा सकते हैं उनके निवेश प्रस्ताव

भोपाल, 9 फरवरी (भाषा)।

मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 120 बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य निजी फर्मों से पूछा है कि क्या उनके निवेश प्रस्तावों को सार्वजनिक किया जा सकता है। आधिकारिक दस्तावेजों से जानकारी मिली है।

सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे ने सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआइडीसी) से मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुआई वाली निवेश संवर्द्धन पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीआइपी) द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना मांगी है। इसके अलावा दुबे ने निजी कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को मंजूर करने संबंधी सीसीआइपी के निर्णयों के क्रियान्वयन का ब्योरा मांगा है।

दुबे ने कहा कि सीसीआइपी की प्रक्रियाओं और उसके द्वारा किए गए निर्णय लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध होने चाहिए। सरकार को आगे बढ़कर कंपनियों द्वारा राज्य में किए गए निवेश का ब्योरा साझा करना चाहिए और साथ ही निवेश संवर्द्धन के लिए उठाए गए और कदमों की जानकारी देनी चाहिए।

दिल्ली की कई कंपनियों की 470 करोड़ की टीडीएस चूक

नई दिल्ली, 9 फरवरी (भाषा)।

आयकर विभाग ने दिल्ली की कई बड़ी कंपनियों द्वारा 470 करोड़ रुपए की स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की चूक का मामला पकड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि हाल में इन कंपनियों पर छापेमारी के बाद यह मामला सामने आया है।

दिल्ली में विभाग की टीडीएस शाखा ने चालू वित्त वर्ष की 31 मार्च को समाप्त हो रही अंतिम तिमाही में स्रोत पर कर कटौती सुनिश्चित करने को निजी कंपनियों और सरकारी संगठनों के लिए विशेष निगरानी अभियान शुरू किया है। प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में कुल कल संग्रह में टीडीएस का हिस्सा 40 फीसद बैठता है। अधिकारियों ने बताया कि विभाग की टीडीएस शाखा ने हाल में बजट होटलों और गेस्ट हाउस परिचालक कंपनी पर छापा मारा। इसमें पता चला कि कंपनी ने सात साल की अवधि के दौरान किराए पर किए गए 280 करोड़ रुपए के भुगतान पर कथित रूप से टीडीएस नहीं काटा है।

इसी तरह एक एअरलाइन कंपनी ने भी 115 करोड़ रुपए के टीडीएस भुगतान में चूक की है। कुछ रीयल एस्टेट कंपनियों ने भी 75 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट किया है। हालांकि अधिकारियों ने इन कंपनियों की पहचान का खुलासा नहीं किया है। अधिकारियों ने बताया कि दो अन्य इकाइयों को टीडीएस की गलत कटौती या डिफॉल्ट के मामले में दिल्ली क्षेत्र की स्थानीय अदालत ने दोषी करार दिया है। पहले मामले में छह लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है जबकि दूसरे मामले में छह माह की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

आयातकों-निर्यातकों के लिए परिपत्र जारी

15 फरवरी से जीएसटी पहचान नंबर की जानकारी देना जरूरी

नई दिल्ली, 9 फरवरी (भाषा)।

आयातकों और निर्यातकों को 15 फरवरी से दस्तावेजों में अनिवार्य तौर पर माल एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआइएन) की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। राजस्व विभाग जीएसटी से राजस्व संग्रह में हो रहे नुकसान को रोकने तथा कर चोरी पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है। इसी के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने एक परिपत्र जारी किया है।

सीबीआइसी ने कहा है कि कुछ ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं, जिनमें निर्यातकों और आयातकों ने जीएसटीआइएन पंजीयन होने के बाद भी शिपिंग व एंट्री के बिल में जीएसटीआइएन की जानकारी नहीं दी। जीएसटीआइएन पैन आधारित 15 अंकों वाली विशिष्ट पहचान संख्या है और जीएसटी के तहत हर पंजीकृत निकाय को इसका आबंटन किया जाता है। आयातकों को सीमा शुल्क विभाग के पास एंट्री बिल जमा करना होता है जबकि निर्यातकों को शिपिंग बिल जमा करना होता है।

परिपत्र में कहा गया कि जीएसटी के तहत पंजीकृत निर्यातकों और आयातकों को निर्यात/आयात दस्तावेजों में 15 फरवरी, 2020 से अनिवार्य तौर पर जीएसटीआइएन की जानकारी देनी होगी। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि निर्यातकों और आयातकों द्वारा अनिवार्य तौर पर जीएसटीआइएन मुहैया कराने से आंकड़ों के विश्लेषण विशेषकर अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के मामलों में काम बढ़ेगा। इससे कर अधिकारी सीमा पर कम मूल्य दिखाकर कर चोरी करने वालों को गिरफ्तार कर सकेंगे। ईवाई के कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि इससे जीएसटी के तहत राजस्व के नुकसान को रोकने तथा निर्यातकों और आयातकों के आंकड़ों का जीएसटी आंकड़ों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित होगा।

भारत में सर्जिकल मास्क, दस्ताने के निर्यात पर लगी रोक हटी

नई दिल्ली, 9 फरवरी (भाषा)।

सरकार ने सर्जिकल मास्क और दस्तानों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। इसकी जानकारी अधिसूचना में दी गई है।

सरकार ने पिछले महीने में चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के बाद कपड़ और दस्ताने समेत व्यक्तिगत बचाव के सभी उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कदम इस लिहाज से प्रासंगिक था कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इन चीजों की मांग बढ़ने का अंदाजा था। विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना में कहा, 'सर्जिकल मास्क, एक बार इस्तेमाल कर छोड़ दिए जाने वाले मास्क तथा एनबीआर ग्लोव को छोड़ सभी दस्तानों के निर्यात की मंजूरी दे दी गई है।' हालांकि अन्य संरक्षण उपकरणों के निर्यात पर रोक लगी रहेगी।

हादसे का असर थाईलैंड के नाखोन रत्चासिमा में बंदूकधारी की गोलीबारी से घायल लोगों की अस्पताल में रविवार को देखभाल करती नर्स।

थाईलैंड मॉल में गोलीबारी करने वाला बंदूकधारी ढेर, 30 लोगों की मौत

नाखोन रत्चासिमा, 9 फरवरी (एएफपी)।

थाईलैंड के मॉल में गोलीबारी कर कम से कम 30 लोगों को मार डालने वाला बंदूकधारी सुरक्षाबलों ने मार गिराया। पुलिस व हमलावर के बीच मुठभेड़ करीब 17 घंटे तक चली, जिसमें थाईलैंड की विशिष्ट पुलिस इकाइयों के कमांडो भी थे। प्रांतीय गवर्नर ने पत्रकारों को बताया कि गोलीबारी में मारे गए लोगों की संख्या 30 पहुंच गई है जबकि कई लोग घायल हुए हैं।

थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा ने रविवार को बताया कि गोलीबारी करने वाले हमलावर ने किसी निजी परेशानी के चलते यह हमला किया। पूर्व सेनाध्यक्ष रह चुके प्रयुत चान-ओ-चा ने बताया कि मृतकों में 13 वर्षीय बच्चे सहित कई सुरक्षाकर्मी भी हैं। प्रयुत ने कहा, 'यह थाईलैंड में अप्रत्याशित है और मैं चाहता हूं कि ऐसा दोबारा कभी न हो।' उन्होंने यह बयान उस अस्पताल के बाहर दिया, जहां घायलों का इलाज जारी है। घायलों में से कम से कम दो के मस्तिष्क की सर्जरी की जा रही है। बंदूकधारी के हमले का मकसद एक घर की बिक्री से जुड़ा है।

हमलावर ने पूर्वोत्तर थाईलैंड के नाखोन रत्चासिमा शहर स्थित मॉल में शनिवार को गोलीबारी की थी। हमलावर का नाम सार्जेंट मेजर जकरापंत थोम्मा था, जो सैनिक था। हमलावर ने थाईलैंड के प्रमुख बैरेक और सैन्य वाहन से एम60 मशीनगन, राइफलें और बारूद चोरी किया था। प्रधानमंत्री ने बताया कि हमलावर ने बैरेक शास्त्रागार में सेंध लगा ली थी। प्रयुत ने कहा कि यह लापरवाही नहीं थी। हम शस्त्रागार डिपो को खाली नहीं छोड़ते, लोग हमेशा उसकी सुरक्षा में वहां तैनात रहते हैं।'

इससे पहले, बंदूकधारी ने फेसबुक पर अपनी तस्वीर पोस्ट कर 'क्या मुझे आत्मसमर्पण करना चाहिए' और 'कोई भी मौत से नहीं बच सकता' जैसी बातें लिखी थीं। फेसबुक वीडियो में (बाद में जिसे हटा दिया गया) हमलावर सेना का हेलमेट पहने हुए खुली जीप में सवार दिख रहा था और कह रहा था, 'मैं थक गया हूं, मैं अब उंगलियों को और नहीं दबा सकता।' फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा, 'हमने अपनी सेवा से बंदूकधारी का अकाउंट हटा दिया है और हम घटना संबंधी हर सामग्री को जल्द से जल्द हटाने के लिए लगातार काम करेंगे।' इस बीच भिक्षुओं और सैकड़ों लोगों ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए हाथों में मोमबत्ती लेकर प्रार्थना की।

अफगान सैनिक के हमले में दो अमेरिकी सैनिक मरे

काबुल, 9 फरवरी (एएफपी)।

अफगानिस्तान में मशीनगन से लैस अफगानिस्तानी सैनिक के हमले में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। यह घटना शनिवार की देर रात पूर्वी अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में उस समय हुई, जब अमेरिकी और अफगान कमांडो शेरजाद जिले में सैन्य अड्डे पर 'प्रमुख नेता के कार्यक्रम' का आयोजन कर रहे थे।

अफगानिस्तान में अमेरिकी बलों के प्रवक्ता सोनी लेगेट ने रविवार को बयान में कहा, 'मौजूदा खबरों के मुताबिक अफगान वर्दी पहने व्यक्ति ने मशीन गन से संयुक्त अमेरिका व अफगान बल पर गोलियां चलाईं।' प्रांतीय गवर्नर शाह महमूद मेयकिल ने ऑडियो संदेश में कहा कि इस घटना में तीन अफगान कमांडो भी घायल हुए। मेयकिल ने कहा, 'यह बलों के बीच झड़प का मामला नहीं है। हम जांच कर रहे हैं।' लेगेट ने भी कहा कि हमले का कारण या उसके पीछे की मंशा का तत्काल पता नहीं चल सका है। अमेरिकी सेना के सातवें विशेष बल समूह (वायु) ने ट्वीट में कहा कि अफगानिस्तान में संघर्ष के दौरान उसके कई सैनिक मारे गए या घायल हुए। किसी समूह ने इसकी तत्काल जिम्मेदारी नहीं ली है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह हमले की 'जांच' कर रहा है।

बांग्लादेश ने चीन में फंसे 171 नागरिकों को वापस लाने की योजना रद्द की

ढाका, 9 फरवरी (भाषा)।

कोरोना वायरस प्रभावित चीन जाने के लिए किसी विमान का प्रबंध करने में नाकाम रहने के बाद बांग्लादेश ने वहां फंसे अपने 171 नागरिकों को वापस लाने की योजना रद्द कर दी है। बांग्लादेशी विमान के चालक दल के सदस्यों ने चीन जाने से इनकार कर दिया है जिसके कारण बांग्लादेश को यह फैसला करना पड़ा।

सरकारी 'बिमान एअरलाइंस' का बोइंग 777-300 ईआर विमान एक फरवरी को 12 बच्चों और तीन नवजात शिशुओं समेत 312 बांग्लादेशी नागरिकों को चीन से लाया था।

कोरोना वायरस

चीन में इस विषाणु के कारण 811 लोगों की मौत हो चुकी है और 37,000 अन्य लोग इससे संक्रमित हैं। 'बीडीन्यूज24डॉटकॉम' ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन के हवाले से बताया, 'हम कोई विमान नहीं भेज सकते। चालक दल का कोई सदस्य भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए, हमने उन्हें (फंसे हुए बांग्लादेशी नागरिकों को) इंतजार करने को कहा है।' सरकार ने बताया कि ऐसे 171 बांग्लादेशी हैं जो देश लौटना चाहते हैं लेकिन उन्हें वापस नहीं लाया सकता।

मोमेन ने इन खबरों को खारिज किया कि चीन में फंसे कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने आवागमन पर प्रतिबंधों के कारण खाद्य एवं पेयजल की कमी की शिकायत की है।

उन्होंने कहा कि चीनी प्राधिकारी उन 23 स्थानों पर खाद्य पदार्थ व पेयजल पहुंचा रहे हैं जहां बांग्लादेशी रहते हैं और बेजिंग में बांग्लादेशी दूतावास वहां फंसे बांग्लादेशियों के नियमित संपर्क में है। रिपोर्ट के अनुसार मंत्री ने कहा कि केवल चीनी चार्टर्ड विमान ही बांग्लादेशी नागरिकों को वापस ला सकता है। उन्होंने कहा, 'चीनी प्राधिकारियों ने पहले इस पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार कर दिया। हम वहां कोई विमान भेजने में सक्षम नहीं हैं।'

चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 813

बेजिंग, 9 फरवरी (भाषा)।

चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या रविवार को बढ़कर 813 हो गई। इस बीच, चीन के अधिकारियों ने कहा कि कई हफ्तों तक संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बाद पहली बार संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है।

वर्ष 2002-2003 में दुनियाभर में 'सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम' (सार्स) से फैली महामारी में 774 लोगों की मौत हुई थी। इस प्रकार कोरोना वायरस ने मृतकों के संख्या के लिहाज से सार्स को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि हुबेई प्रांत में 91 और लोगों की मौत से मृतकों की संख्या 813 हो गई है। उन्होंने रविवार को बताया कि 2,656 नए मामले सामने आए।

ईरान ने उपग्रह प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती शुरू की

तेहरान, 9 फरवरी (एएफपी)।

ईरान के दूरसंचार मंत्री ने कहा कि उनके देश ने कुछ घंटों के अंदर निर्धारित नए वैज्ञानिक पर्यवेक्षण उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए रविवार को उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अमेरिका ईरान के उपग्रह कार्यक्रम को लेकर अतीत में चिंता जता चुका है। उसने जनवरी, 2019 में वाहक रॉकेट के लांच को 'भड़काऊ' कदम करार दिया था।ईरान के दूरसंचार मंत्री मोहम्मद जावेद आजरी ने ट्वीट किया, 'अगले कुछ घंटों में जफर उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है।'

बच्चों की नींद की अवधि का संबंध मानसिक रोग, मस्तिष्क संरचना में बदलाव से : शोध

लंदन, 9 फरवरी (भाषा)।

अध्ययन के अनुसार बच्चों में अवसाद, व्यग्रता, उनका आवेगपूर्ण व्यवहार और खराब ज्ञानात्मक प्रदर्शन का संबंध उनकी नींद की अवधि और गुणवत्ता से है। अध्ययन के अनुसार अपर्याप्त नींद बच्चों की मस्तिष्क संरचना में बदलाव से भी जुड़ी हुई है।

ब्रिटेन के वारविक विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि अच्छी नींद दिमाग की नसों के संपर्क की पुनर्संरचना में मदद करती है और इसे उन बच्चों के लिए खासतौर पर महत्त्वपूर्ण माना जाता है जिनका दिमाग तेजी से विकसित हो रहा होता है। इस अध्ययन में अनुसंधानकर्ताओं ने नौ से 11 वर्ष के 11,000 बच्चों की दिमागी संरचना की जांच की और इसकी तुलना उनके नींद लेने की अवधि से जुड़े डेटा से की। अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि जो बच्चे कम सोते हैं - उनमें अवसाद, व्यग्रता, आवेगपूर्ण व्यवहार और खराब ज्ञानात्मक प्रदर्शन देखा गया। अध्ययन में देखा गया कि कम सोने वाले बच्चों के दिमाग के कुछ हिस्सों का आकार घट जाता है। ये ऐसे हिस्से हैं जो स्मरण शक्ति, सुनने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता आदि से जुड़े हुए हैं। इसमें पाया गया कि पर्याप्त नींद लेना बच्चों के ज्ञान संबंधी तथा मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत जरूरी है। यह अध्ययन 'मॉलिक्यूलर साइकाइट्री' पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

सिंगापुर एअर शो से 70 से अधिक कंपनियों ने लिए नाम वापस

सिंगापुर, 9 फरवरी (भाषा)।

चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते बढ़ती चिंताओं के बीच एशिया के सबसे बड़े विमानन व रक्षा कार्यक्रम 'सिंगापुर एअर शो' से अमेरिकी एअरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन और 12 चीनी कंपनियों सहित 70 से अधिक कंपनियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। कोरोना वायरस से चीन में 811 लोगों की मौतें हुई हैं और यह वायरस 25 से अधिक देशों में फैल गया है।

मंगलवार से शुरू हो रहे छह दिवसीय कार्यक्रम के आयोजक ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस से पैदा हुई महामारी के खिलाफ एहतियाती उपायों के तहत उनकी योजना कम संख्या में लोगों को टिकट बेचने की है।

कार्यक्रम के आयोजक एक्सपेरिया इवेंट्स ने कहा कि कार्यक्रम अपनी तय योजना के मुताबिक जारी रहेगा और जितनी संख्या में कंपनियों ने भागीदारी वापस ली हैं, वह प्रतिभागियों की करीब आठ फीसद है। एक्सपेरिया इवेंट्स के प्रबंध निदेशक लेक चेत लाम ने संवाददाताओं से कहा कि आयोजक उन कंपनियों के फैसलों का सम्मान करते हैं जिन्होंने भागीदारी वापस लेने का फैसला किया है।

www.readwhere.com

PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

AMALGAMATED DEVELOPMENT LIMITED

CIN: L70109WB1948PLC016546,
Registered Office: 7, Munshi Premchand Sarani, Hastings, Kolkata- 700 022, Tel. No. : 033- 2223 0016; Fax No. : 033- 2223 1569,
Email: compliance@lnbgroup.com, Website: www. amalgamateddevelopment.in

This Public Announcement ("PA") is being issued by Placid Limited ("**Placid**"), forming part of the Promoters/ Promoter Group (hereinafter referred to as the "**Acquirer**"), to the public shareholders [as defined under Regulation 2(1)(v) of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 as amended (the "**Delisting Regulations**") referred to as the "**Public Shareholders**"] of M/s. Amalgamated Development Limited (hereinafter referred to as the "**Company**"/ "**ADL**") in respect of the proposed acquisition and voluntary delisting of fully paid-up equity shares of the Company from The Calcutta Stock Exchange Limited ("**CSE**") (hereinafter referred to as the "**Stock Exchange**") where the equity shares of the Company are currently listed pursuant to Regulation 10 and other applicable provisions of the Delisting Regulations and in accordance with the terms and conditions set out below (the "**Offer**" or "**Delisting Offer**").

1. **BACKGROUND OF THE DELISTING OFFER:**

1.i) Amalgamated Development Limited ["**ADL**"] is a Public Limited Company incorporated on 08.04.1948 under the Indian Companies Act, VII of 1913 having CIN of L70109WB1948PLC016546. The registered office of ADL is presently situated at 7, Munshi Premchand Sarani, Hastings, Kolkata- 700 022, Tel. No.: 033- 2223 0016, Fax No.: 033- 2223 1569, E-mail Id: compliance@lnbgroup.com and Website: www.amalgamateddevelopment.in. The equity shares of the Company are listed on CSE only.

1.ii) As on the date of the Public Announcement, the capital structure of the ADL is as follows:

Particulars	No. of shares	Face Value per share (Rs.)	Total Value (Rs.)
Authorized Share Capital			
- Equity Shares	80000	100/-	80,00,000/-
- 5% Taxable Cumulative Redeemable Preference Shares	20000	100/-	20,00,000/-
Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital	17500	100/-	17,50,000/-

1.iii) As on the date of this Public Announcement, the Promoter and Promoter Group of the Company hold 15671 equity shares of face value of Rs. 100/- each representing 89.55% of the fully paid- up equity share of the Company.

1.iv) The Acquirer is hereby making this Delisting Offer to all the public shareholders of the Company to acquire from them 1829 equity shares ("**Offer Shares**") representing 10.45% of the fully paid-up equity shares of the Company pursuant to Regulation 5 read with Chapter IV and other applicable provisions of the Delisting Regulations. If the Delisting Offer is successful as defined in paragraph 14 of this PA, the Acquirer will apply for delisting of the equity shares of the Company from CSE, in accordance with the Delisting Regulations and on the terms set out in this Public Announcement, the Letter of Offer and any other delisting offer documents. Consequent to such actions, the equity shares of the Company shall be delisted from CSE, where they are currently listed.

1.v) Pursuant to the letter dated 02.02.2019, the Promoters of ADL have conveyed their intention to make voluntary delisting offer to acquire the Offer Shares, either by himself or along with persons forming part of the Promoter Group of ADL, and to delist the equity shares of the Company from the Stock Exchange where they are presently listed and requested the Board of Directors of the Company to approve the Delisting Offer and to seek the requisite approval from the Public Shareholders in accordance with the Delisting Regulations. The receipt of the Intention Letter was notified by the Company to the Stock Exchange on 06.02.2019 ("**Notification Date**"/ "**Reference Date**").

1.vi) The Board of Directors, at its meeting held on 09.02.2019, have confirmed the appointment of M/s. VC Corporate Advisors Private Limited as the Merchant Banker ("**Merchant Banker**") for carrying out due diligence as required in terms of Regulations 8(1A)(ii) and 8(1D) of the Delisting Regulations. On receipt of due diligence report dated 20.02.2019 submitted by the Merchant Banker, the Board, in its meeting held on 21.02.2019, approved the proposed delisting in terms of Regulation 8(1)(a) of the Delisting Regulations and consented to seek the approval of the shareholders of the Company.

1.vii) The Acquirer has submitted a copy of Certificate dated 31.01.2019 from AAN & Associates LLP (LLPIN: AAF 2235) calculating the Floor Price, computed in accordance with Regulation 15(2) of the Delisting Regulations read with Regulation 8 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("**Takeover Regulations**"). The Floor Price as computed arrives at Rs. 4,882.30 (Rupees Four Thousand Eight Hundred Eighty Two and Thirty Paisa Only). The Acquirer vide their letter dated 02.02.2019 informed the Company about their decision to round off the computed Floor Price to the nearest rupee and therefore Rs. 4,883/- (Rupees Four Thousand Eight Hundred and Eighty Three Only) per equity share was decided to be the Floor Price for the proposed Delisting Offer ("**Floor Price Letter**").

1.viii) The Board of Directors, in their meeting on 21.02.2019, inter-alia passed the following resolutions:

- ❖ took on record the Due Diligence Report submitted by the Merchant Banker;
- ❖ based on the information available with the Company and after taking on record the undertakings/ confirmation from the Promoter or Promoter Group of the Company and the Due Diligence Report, the Board of Directors have certified in accordance with Regulation 8(1B) of Delisting Regulations that (a) the Acquirer/ Promoter or Promoter Group or their related entities are in compliance with sub-regulation (5) of Regulation 4 of Delisting Regulations; and (b) the delisting is in the interest of the shareholders;
- ❖ approved the Delisting Offer in terms of Regulation 8(1)(a) of the Delisting Regulations subject to the approval of shareholders of the Company by way of special resolution through Postal Ballot;
- ❖ took on record Floor Price Letter; and
- ❖ approved the notice of postal ballot in order to take the approval of shareholders by way of Postal Ballot in accordance with Regulation 8(1)(b) of Delisting Regulations and in accordance with the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable laws.

The Company notified the outcome of the aforesaid Board Meeting to the Stock Exchange on 21.02.2019 only.

1.ix) The shareholders of the Company approved the Delisting Offer by way of special resolution in accordance with the Delisting Regulations based on the results of the Postal Ballot declared on 30.03.2019 at the registered office of the Company and the same was notified to the Stock Exchange on the same date. As part of the said resolution, the votes cast by the Public Shareholders in favour of the Delisting Offer were more than two times the number of votes cast by the Public Shareholders against it.

1.x) The CSE vide their letter CSE/LD/14944/2020 dated 06.02.2020 received by the Company on 07.02.2020 have granted their in-principle approval for the Delisting Offer in accordance with Regulation 8(3) of the Delisting Regulations.

1.xi) This PA is being issued in the following newspapers as required under the Regulation 10(1) of the Delisting Regulations:

Newspapers	Languages	Editions
The Financial Express	English	All India Edition
Jansatta	Hindi	All India Edition
Sukhabar	Bengali	Kolkata Daily Edition

1.xii) Any changes, modifications or amendments to the Public Announcement, if any, will be notified by way of issuing corrigendum in all of the aforesaid newspapers.

1.xiii) The Delisting Offer is subject to the acceptance of the Discovered Price (defined below in Paragraph 13 of this Public Announcement), determined in accordance with the Delisting Regulations, by the Acquirer. The Acquirer may also, at their discretion, propose: (i) a price higher than the Discovered Price for the purpose of the Delisting Offer; or (ii) a price which is lower than the Discovered Price but not less than the book value of the Company as certified by the Merchant Banker, in terms of regulation 16(1A) of the Delisting Regulations ("**Counter Offer Price**"). Any Discovered Price that is accepted by the Acquirer for the Delisting Offer, a higher price that is offered by the Acquirer for the Delisting Offer at their discretion, or a Counter Offer Price that results in shareholding of the Promoter and Promoter Group reaching 90% of the total equity shares outstanding pursuant to acceptance of the Counter Offer Price by Public Shareholders, shall hereinafter be referred to as the "**Exit Price**".

1.xiv) The Acquirer reserves the right to withdraw the Delisting Offer in certain cases as set out in Paragraph 21 of this Public Announcement.

2. **NECESSITY AND OBJECTIVE OF DELISTING OFFER:**

The objective of the Delisting Proposal as stated by the Promoters/ Promoter Group in the requisition letter is (i) to save time and cost for compliance with various clauses of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended by the Company, (ii) to provide an exit opportunity to the Public Shareholders and (iii) the Delisting Proposal, if successful, will also result in a scenario where the Company is not subject to the conditions for continuous listing, interalia, to maintain a minimum public shareholding of 25% pursuant to the Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957 as amended from time to time.

3. **BACKGROUND OF THE ACQUIRER:**

PLACID LIMITED ("PLACID" / "ACQUIRER"):

3.i) Placid Limited is a Public Limited Company incorporated on 31.07.1946 under the Indian Companies Act, VII of 1913 having CIN of U74140WB1946PLC014233. The registered office of Placid is presently situated at 7, Munshi Premchand Sarani, Hastings, Kolkata- 700 022, Tel. No.: 033- 2223 0016, Fax No.: 033- 2223 1569, E-mail Id: placid@lnbgroup.com and Corporate Office of Placid is situated at 3rd Floor, Uptown Banjara Hills, Road No. 3, Hyderabad- 500 034. The equity shares of Placid are not listed on any Stock Exchange.

3.ii) Placid is presently engaged in the business of providing loans and advances and investment in shares and securities. Placid is registered with the Reserve Bank of India as a Non- Banking Financial Company ("**NBFC**") vide registration number 05.00539 dated March 02, 1998 as non- deposit taking Company.

3.iii) The Authorized Share Capital of Placid as at 31st March, 2019 is Rs. 31,05,00,000/- (Rupees Thirty One Crores Five Lakhs) divided into 3105000 Equity Share of Rs. 100/- each. The Issued, Subscribed and Paid-up equity share capital of Placid as at 31st March, 2019 is Rs. 5,10,23,400/- (Rupees Five Crores Ten Lakhs Twenty Three Thousand Four Hundred Only) divided into 510234 Equity Shares of Rs. 100/- each. There has been no change in Share Capital during the year under review.

3.iv) As on the date of this PA, Placid holds 7937 equity shares in the Company constituting 45.35% of the fully paid up equity share capital of the Company.

3.v) A brief summary of the standalone audited financials of Placid for the Financial Years ended 31.03.2017, 31.03.2018 and 31.03.2019 are as follows:

(Amount Rs. In Lakhs except BV)

Particulars	Year ended 31.03.2019 (Audited)	Year ended 31.03.2018 (Audited)	Year ended 31.03.2017 (Audited)
Equity share capital	510.23	510.23	510.23
Other Equity			
- Free Reserves and Surplus	56,041.69	55,296.69	52,988.61
- Other Free Reserves and Surplus	9,887.03	12,190.31	11,723.17
Networth (only includes free reserves & surplus)	**56,551.92**	**55,806.92**	**53,498.84**
Total Financial Liabilities	12,079.98	17,062.35	16,386.23
Total Non-financial Liabilities	1,140.32	1,453.87	1,151.15
Total Equity & Liabilities	**79,659.25**	**86,513.45**	**82,759.39**
Total Financial Assets	77,812.19	84,839.06	81,244.37
Total Non-financial Assets	1,847.06	1,674.39	1,515.02
Total Assets	**79,659.25**	**86,513.45**	**82,759.39**
Book Value per Share in Rs. (BV)	**11,083.53**	**10,937.51**	**10,485.16**

(Amount Rs. In Lakhs except EPS)

Particulars	Year ended 31.03.2019 (Audited)	Year ended 31.03.2018 (Audited)	Year ended 31.03.2017 (Audited)
Revenue from Operations	3,065.82	5,378.99	6,193.57
Other Income	47.27	46.54	16.73
Total Income	3,113.09	5,425.53	6,210.30
Less: Total Expenses	2,489.31	2,689.06	1,894.19
Profit /(Loss) before exceptional items & Tax	**623.78**	**2,736.47**	**4,316.11**
Less: Exceptional Items	0.00	0.00	0.00
Profit (Loss) before Tax from continuing operations	**623.78**	**2,736.47**	**4,316.11**
Less: Tax expense	-121.22	376.10	801.82
Net Profit/ (Loss) for the period from continuing operations	**745.00**	**2,360.37**	**3,514.29**
Net Profit/ (Loss) from discontinued operations	**745.00**	**2,360.37**	**3,514.29**
Profit/(Loss) for the period	**745.00**	**2,360.37**	**3,514.29**
Earnings/ (Loss) per Equity Share ["EPS"] of Face Value of Rs. 100/- each):			
For Continuing Operations:- Basic and Diluted EPS	**146.01**	**462.61**	**688.76**
For Discontinued Operations:- Basic and Diluted EPS	**146.01**	**462.61**	**688.76**

Source: Annual Reports.

3.vi) As per the Certificate dated 05.02.2020 issued by Mr. Pankaj Baid, Proprietor of Pankaj Baid & Associates (Membership No. 307424 & Firm Registration No. 329176E, UDIN NO. 20307424AAAAAU3070, Chartered Accountants, having office at Room # 812A, South Block, 32, Ezra Street, Kolkata – 700001, Mobile: +91 9007751522, Email Id : mr.pankajbaid@gmail.com has certified that the Acquirer has adequate resources to implement the Delisting Offer in full.

3.vii) No individual/ entity belonging to the Acquirer or any of the Promoters/ Promoter Group of ADL have sold any equity shares of the Company during the six months preceding the date of the Board Meeting i.e., 21.02.2019, wherein the Delisting Offer was approved. Further, the Acquirer or any other person/ entity forming part of the Promoter or Promoter Group of ADL have undertaken not to sell the equity shares of the Company until the earlier of (i) completion of the Delisting Offer in accordance with the Delisting Regulations; or (ii) failure of the Delisting Offer in accordance with the Delisting Regulations.

3.viii) Neither the Acquirer nor any of the Promoters/ Promoter Group of ADL has been prohibited by the SEBI from dealing in securities, in terms of directions issued under section 11B of the SEBI Act, 1992 as amended ("**SEBI Act**") or under any other regulation made under the SEBI Act.

3.ix) The Acquirer hereby invites all the Public Shareholders of the Company to bid in accordance with the reverse book building process on the BSE and on the terms and conditions set out herein, all of their Offer Shares.

3.x) The Acquirer has, as detailed in Paragraph 19 of this Public Announcement made available all the requisite funds necessary to fulfill the obligations of the Acquirer under the Delisting Offer.

4. **BACKGROUND OF THE COMPANY – AMALGAMATED DEVELOPMENT LIMITED ("ADL/Company")**

4.i) Amalgamated Development Limited is a Public Limited Company incorporated on 08.04.1948 under the Indian Companies Act, VII of 1913 having CIN of L70109WB1948PLC016546. The registered office of the Company is presently situated at 7, Munshi Premchand Sarani, Hastings, Kolkata- 700 022, Tel. No.: 033- 2223 0016, Fax No.: 033- 2223 1569, E-mail Id: compliance@lnbgroup.com and Website: www.amalgamateddevelopment.in. The equity shares of the Company are listed on CSE only.

4.ii) The Company is presently having income from other sources i.e., income from investments and dealing in shares and securities, and providing loans and advances.

4.iii) The Authorized Share Capital of the Company is Rs. 1,00,00,000/- (Rupees One Crore Only) consisting of 80000 (Eighty Thousand) equity shares of the face value of Rs. 100/- each and 20000 5% Taxable Cumulative Redeemable Preference Shares of the face value of Rs. 100/- each. The paid-up equity share capital of the Company is Rs. 17,50,000/- (Rupees Seventeen Lakhs Fifty Thousand Only) consisting of 17500 fully paid-up equity shares of face value of Rs.100/- each. There are no outstanding convertible instruments, warrants or stock-options as on the date of this PA. None of the equity shares held by the Public Shareholders of the Company are subject to any lock–in requirements. The equity shares of the Company are presently listed only at CSE.

4.iv) As on the date of the PA, the Directors of the Company are Mrs. Sheetal Bangur, Mr. Ram Gopal Rathi, Mr. Lakshmi Niwas Bangur, Mr. Bhaskar Banerjee, Mr. Pradip Kumar Khan and Mr. Rajiv Kapasi.

4.v) A brief summary of the consolidated audited financials of the Company for the Financial Years ended 31.03.2017, 31.03.2018 and 31.03.2019 and un-audited and certified financials for the half -year ended 30.09.2019 are as follows:

(Amount Rs. In Lakhs except BV)

Particulars	Half- Year ended 30.09.2019 (Unaudited)	Year ended 31.03.2019 (Audited)	Year ended 31.03.2018 (Audited)	Year ended 31.03.2017 (Audited)
Equity share capital	17.50	17.50	17.50	17.50
Other Equity				
- Free Reserves and Surplus	460.77	435.00	387.84	348.89
- Other Free Reserves and Surplus	1,501.36	1,575.31	2,427.59	1,865.72
Networth (only includes free reserves & surplus)	**478.27**	**452.50**	**405.34**	**366.39**
Total Non-current Liabilities	194.07	213.65	7.65	12.71
Total Current Liabilities	254.14	7.27	2.50	57.48
Total Equity & Liabilities	**2,427.84**	**2,248.73**	**2,843.08**	**2,302.30**
Total Non- Current Assets	1,747.45	1,927.53	2,589.38	2027.63
Total Current Assets	680.39	321.20	253.70	274.67
Total Assets	**2,427.84**	**2,248.73**	**2,843.08**	**2,302.30**
Book Value per Share in Rs. (BV)	**2,732.97**	**2,585.71**	**2,316.22**	**2,093.65**

(Amount Rs. In Lakhs except EPS)

Particulars	Half- Year ended 30.09.2019 (Unaudited)	Year ended 31.03.2019 (Audited)	Year ended 31.03.2018 (Audited)	Year ended 31.03.2017 (Audited)
Revenue from Operations	0.00	0.00	0.00	0.00
Other Income	41.75	85.60	54.37	64.48
Total Income	41.75	85.60	54.37	64.48
Less: Total Expenses	26.19	16.63	16.16	28.66
Profit /(Loss) before exceptional items & Tax	**15.56**	**68.97**	**38.22**	**35.82**
Less: Exceptional Items	0.04	0.00	0.00	2.41
Profit (Loss) before Tax from continuing operations	**15.60**	**68.97**	**38.22**	**38.23**
Less: Tax expense	-10.10	21.80	0.27	0.00
Net Profit/ (Loss) for the period from continuing operations	**25.70**	**47.17**	**37.95**	**38.23**
Net Profit / (Loss) from discontinued operations	**25.70**	**47.17**	**37.95**	**38.23**
Profit/(Loss) for the period	**25.70**	**47.17**	**37.95**	**38.23**
Earnings/ (Loss) per Equity Share ["EPS"]of Face Value of Rs. 100/- each):				
For Continuing Operations:- Basic and Diluted EPS	**146.86***	**269.54**	**216.84**	**218.46**
For Discontinued Operations:- Basic and Diluted EPS	**146.86***	**269.54**	**216.84**	**218.46**

Source: Annual Reports and Certified Financial Statements.

** Non- Annualised.*

5. **PRESENT CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN OF THE COMPANY:**

5.i) The Authorized Share Capital of the Company is Rs. 1,00,00,000/- (Rupees One Crore Only) consisting of 80000 (Eighty Thousand) equity shares of the face value of Rs. 100/- each and 20000 5% Taxable Cumulative Redeemable Preference Shares of the face value of Rs. 100/- each. The paid-up equity share capital of the Company is Rs. 17,50,000/- (Rupees Seventeen Lakhs Fifty Thousand Only) consisting of 17500 fully paid-up equity shares of face value of Rs.100/- each. There are no outstanding convertible instruments, warrants or stock-options as on the date of this PA. None of the equity shares held by the Public Shareholders of the Company are subject to any lock–in requirements. The equity shares of the Company are presently listed only at CSE. None of the Acquirer and other members of the Promoter Group of the Company are participating in the Delisting Offer and will not tender their equity shares in the reverse book building process as part of the Delisting Offer.

5.ii) The Acquirer presently holds 7937 equity shares, representing 45.35% of the fully paid-up equity share capital of the Company. The Acquirer together with the other members forming part of the Promoters/ Promoter Group of ADL presently hold 15671 equity shares, representing 89.55% of the fully paid-up equity share capital of the Company.

5.iii) The Shareholding Pattern of the Company as on 31.12.2019 is as follows:

Particulars	No. of Shares	% Shareholding
Acquirer (being part of Promoters/ Promoter Group)	7937	45.35
Other Promoters / Promoter Group	7734	44.20
Total Promoter Group	**15671**	**89.55**
Public	1829	10.45
Non Promoter-Non Public	0	0.00
Shares Underlying DRs	0	0.00
Shares held by Employee Trust	0	0.00
Total	**17500**	**100.00**

6. **LIKELY POST SUCCESSFUL DELISTING OFFER SHAREHOLDING PATTERN OF THE COMPANY:**

The likely post-delisting shareholding pattern of the Company, assuming that all the Offer Shares held by the Public Shareholders are acquired pursuant to successful completion of the Delisting Offer, will be as follows:

Particulars	No. of Shares	% Shareholding
Acquirer (being part of Promoters/ Promoter Group)	9766	55.80
Other Promoters / Promoter Group	7734	44.20
Total Promoter Group	**17500**	**100.00**
Public Shareholders	NIL	NIL
Total	**17500**	**100.00**

7. **STOCK EXCHANGE ON WHICH EQUITY SHARES OF ADL ARE LISTED AND SOUGHT TO BE DELISTED:**

The equity shares of the Company are presently listed only on CSE. The equity shares of the Company have not been traded on the CSE from the last many years and therefore are infrequently traded on the CSE within the meaning of explanation provided under regulation 2(1)(j) of the Takeover Regulations. The Acquirer proposes to delist the equity shares of the Company from the CSE in accordance with the Delisting Regulations.

8. **MANAGER TO THE DELISTING OFFER:**

The Acquirer has appointed M/s. VC Corporate Advisors Private Limited, Merchant Banker, having CIN: U67120WB2005PTC106051, registered office at 31, Ganesh Chandra Avenue, 2nd Floor, Suite No.-2C, Kolkata - 700 013, Tel. No.: 033- 2225 3940, Fax No.: 033- 2225 3941, Email Id: mail@vccorporate.com and Website: www.vccorporate.com as Manager to the Delisting Offer (**"Manager to the Offer"**). As on the date of this PA, the Manager to the Offer does not holds any equity shares of the Company.

9. **REGISTRAR TO THE DELISTING OFFER:**

The Acquirer has appointed M/s. Maheshwari Datamatics Private Limited, having CIN: U20221WB1982PTC034886, registered office at 23, R.N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata - 700 001, Tel No.: 033 2248 2248, Fax No.: 033 2248 4787, E-mail Id: mdpldc@yahoo.com, Website: www.mdpl.in as the Registrar to the Delisting Offer (**"Registrar to the Offer"**).

10. **STOCK BROKER OF THE ACQUIRER:**

The Acquirer has appointed JRK Stock Broking Private Limited, CIN No. U67110WB2007PTC117267, Regd. Office: Tobacco House, 1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room No.: 301, Kolkata- 700 001, Tel. No.: 033 4017 4777, Fax No.: 033 4017 4700, Email Id: info@jrkgroup.in and the Contact Person: Mr. Birendra Kumar Jain.

11. **STOCK EXCHANGE DATA REGARDING THE COMPANY:**

11.i) The equity shares of ADL are presently listed only on CSE. The equity shares of the ADL are infrequently traded on the CSE within the meaning of explanation provided under regulation 2(1)(j) of the Takeover Regulations.

11.ii) Since there has been no trading in the equity shares of the CSE during the last three years hence, no stock market data for the Financial Years 2016- 2017, 2017- 2018 and 2018- 2019 and for the six completed calendar months immediately preceding the month of the PA is available. (Source: www.cse-india.com).

12. **DETERMINATION OF THE FLOOR PRICE:**

12.i) The Acquirer proposes to acquire the equity shares from the Public Shareholders pursuant to the Reverse Book Building Process (**"RBB"**) established in terms of Schedule II of the Delisting Regulations.

12.ii) The equity shares of the Company are presently listed only on the CSE. In terms of Delisting Regulations read with Takeover Regulations the equity shares of the Company are infrequently traded. The trading turnover based on the trading volume in the shares on CSE during the period from 01.02.2018 to 31.01.2019, i.e., twelve calendar months prior to the month of the Stock Exchange Notification Date is as given below:

Stock Exchange	Total No. of equity shares traded from 01.02.2018 to 31.01.2019	Total No. of equity shares of the Target Company	Trading Turnover (as % of total equity shares)
CSE	Nil	17500	Nil

(Source: www.cse-india.com).

12.iii) Based on the information provided in point above, the equity shares of the Company are infrequently traded on the CSE within the meaning of explanation provided in regulation 2(1)(j) of the SEBI SAST Regulations.

12.iv) Accordingly, in terms of Regulation 8 of the Takeover Regulations with reference to CSE Notification Date, the floor price shall be highest of the following:

Sr. No.	Particulars	Price (In Rs.)
1.	The highest negotiated price per equity shares of the Company for any acquisition under the agreement attracting the obligation to make a public announcement of an offer.	Not Applicable
2.	The Volume- Weighted Average Price paid or payable for acquisitions by the Promoters/ Promoter Group/ Acquirer during 52 weeks immediately preceding the Reference Date	Not Applicable
3.	Highest price paid or payable for acquisitions by the Promoters/Promoter Group/ Acquirer during 26 weeks immediately precedingthe Reference Date	Not Applicable
4.	The Volume-Weighted Average Market Price of shares for a period of sixty trading days immediately preceding the Reference Date astraded on the Stock Exchange where the maximum volume of trading in the shares of the Company are recorded during such period, provided such shares are frequently traded	Not Applicable
5.	where the shares are not frequently traded, the price determined by the Promoters/ Promoter Group/ Acquirer and the Manager to the Offer taking into account valuation parameters including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies	Not Applicable
6.	In case of infrequently traded shares, the price determined as per following parameters (based on standalone audited figures for 31.03.2018)	
	Return on Net worth (%)	8.15
	Book Value per share (Rs.)	9,824.88
	Earnings per Share (Rs.)	234.05

Source: Mr. Neeraj Agarwal, Partner of M/s. AAN & Associates LLP, (LLPIN No. AAF2235, Membership No. 305632 & Firm Registration No. E300018), Chartered Accountants, having office at 4, Fairlie Place, HMP House, 4th Floor, Room No. 419, Kolkata- 700001, Tel. No.: 033 4062 6141, Email Id : aanassociatesllp@gmail.com have issued a certificate dated 31.01.2019 for calculation of Floor Price for the equity share of ADL in accordance with Delisting Regulations which comes to Rs. 4,882.30 (Rupees Four Thousand Eight Hundred Eighty Two and Thirty Paisa Only) per share.

Based on the above, the Acquirer in consultation with the Manager to the Offer, have set the Floor Price at Rs. 4,883/- (Rupees Four Thousand Eight Hundred and Eighty Three Only) per equity share.

12.v) The Public shareholders may tender their equity shares at any time during the ("**Bid Period**" as defined hereinafter) and at any price at or above the Floor price in accordance with the terms and subject to the conditions set out therein.

13. **DETERMINATION OF THE DISCOVERED PRICE AND EXIT PRICE:**

13.i) Since the CSE does not has nation-wide trading terminal, the Acquirer proposes to acquire the equity shares from the public shareholders pursuant to reverse book building process through an acquisition window facility i.e., separate acquisition window in the form of a web based bidding platform provided by the BSE Limited, in accordance with the Stock Exchange Mechanism (the "**Acquisition Window Facility**" or "**Offer to Buy**"/ "**OTB**"), conducted in accordance with the terms of the Delisting Regulations.

13.ii) All public shareholders may tender their equity shares during the Bid Period as set out in Paragraph 16 and 20 of the PA.

13.iii) The final offer price shall be determined as per the reverse book- building process prescribed under the Delisting Regulations. In accordance with such reverse book-building process, the final offer price shall be determined as the price at which shares accepted through eligible bids results in the shareholding of the Promoter Group (including Acquirer) reaching 90% of the total issued and paid- up equity shares of the Company excluding the shares which are held by a custodian and against which depository receipts have been issued, if any (the "**Discovered Price**").

13.iv) The Acquirer is under no obligation to accept the Discovered Price. The Acquirer may, at its discretion:

- ❖ accept the Discovered Price; or
- ❖ offer a price higher than the Discovered Price; or
- ❖ offer a Counter Offer Price.

13.v) The **"Exit Price"** shall be:

- ❖ the Discovered Price, if accepted by the Acquirer;
- ❖ a price higher than the Discovered Price, if offered by the Acquirer at their discretion; or
- ❖ the Counter Offer Price offered by the Acquirer at their discretion which, pursuant to acceptance by Public Shareholders, results in the shareholding of the Promoters/ Promoter Group reaching 90% of the total issued and paid- up equity shares of the Company.

13.vi) The Acquirer shall announce the Discovered Price, their decision to accept or reject the Discovered Price, the Counter Offer Price, and/ or the Exit Price, as applicable, in the same newspapers in which the present Public Announcement has appeared in accordance with the schedule of activities.

13.vii) Once the Acquirer announces the Exit Price, the Acquirer will acquire, subject to the terms and conditions of the PA and the Offer Letter, all the Shares validly tendered up to and equal to the Exit Price, for a cash consideration equal to the Exit Price for each shares tendered. The Acquirer will not accept Offer Shares offered at a price that exceeds the Exit Price.

13.viii) If the Acquirer does not accepts the Discovered Price in terms of Regulation 16 of the Delisting Regulations, or the Delisting Offer fails in terms of Regulation 17 of the Delisting Regulations:

- ❖ the Acquirer will have no right or obligation to acquire the Offer Shares tendered in the Delisting Offer;
- ❖ the Acquirer through the Manager to the Offer, will within 5 working days of closure of the Bid Period announce the failure of the Delisting Offer, through an announcement in all newspapers where this PA has been published;
- ❖ no final application for delisting shall be made before the CSE;
- ❖ the lien on the Equity Shares tendered in the Delisting Offer will be released and such equity shares shall be returned to the respective Public Shareholders from their relevant stock broker demat account within 10 (ten) working days from the closure of the Bid Period in accordance with Regulation 19(2)(a) of the Delisting Regulations; and
- ❖ the escrow account opened under regulation 11 of the Delisting Regulation shall be closed.

14. **MINIMUM ACCEPTANCE CONDITION FOR SUCCESS OF THE DELISTING OFFER:**

The acquisition of equity shares by the Acquirer and the successful delisting of the Company shall be conditional upon:

Where Counter Offer is not made:

14.i) the Acquirer either accepting the Discovered Price or offering an Exit Price higher than the Discovered Price pursuant to acceptance by Public Shareholders, results in the shareholding of the Promoter/ Promoter Group reaching 90% of the fully paid- up equity share of the Company. It may be noted that notwithstanding anything contained in this PA, the Acquirer reserves the right to reject the Discovered Price if the same is higher than the floor price;

14.ii) a minimum number of 79 (Seventy Nine) equity shares representing 0.45% of the fully paid up equity share capital of the Company being tendered at or below the Exit Price, prior to the closure of bidding period i.e., on the Bid Closing Date so as to cause the cumulative number of Equity Shares held by the Acquirer together with Promoter Group (as on date of the Public Announcement taken together with the equity shares acquired through the Acquisition Window Facility or OTB) to be equal to or in excess of 15750 (Fifteen Thousand Seven Hundred Fifty) representing 90% of the fully paid- up equity share of the Company as per Regulation 17(1)(a) of the Delisting Regulations [**"Minimum Acceptance Condition"**];

14.iii) As per the information available, there were 3 (Three) Public Shareholders holding Equity Shares in dematerialized mode as on 21.02.2019, being the date of the meeting in which the proposal for Delisting was approved by the Board of Directors. A minimum number of 1 (One) Public Shareholder (25% of number of Public Shareholders holding equity shares in dematerialized mode as on 21.02.2019, being the date on which the Board approved the Delisting Offer) shall participate in the reverse book building process, in accordance with Regulation 17(1)(b) of the Delisting Regulations, provided that if the Acquirer along with Manager to the Offer demonstrates to the CSE that they have delivered the Letter of Offer of this Delisting Offer to all the Public Shareholders either through registered post or speed post or courier or hand delivery with proof of delivery or through email as text or as an attachment to email or as a notification providing electronic link or uniform resource locator including a read receipt (referred to as the "**Letter of Offer Delivery Requirement**") then the mandatory participation of aforementioned number of the Public Shareholders is not applicable;

Pursuant to Explanation I of Regulation 17(1)(b) of the Delisting Regulations, the Letter of Offer Delivery Requirement is deemed to have been complied with it (a) if the Acquirer or the Manager to the Offer dispatches the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Company by registered post or speed post through the India Post and is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of the Letter of Offer (whether delivered or not) sent through India Post; (b) if the Acquirer or the Manager to the Offer is unable to deliver the Letter of Offer to certain Public Shareholders of the Company by modes other than speed post or registered post of India Post, efforts should have been made to dispatch the Letter of Offer to them by speed post or registered post of India Post and is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of the Letter of Offer (whether delivered or not) sent through India Post.

14.iv) no amendments to the Delisting Regulations or any applicable regulations or an order of a court or other authority or any other circumstance taking place, which in the opinion of the Acquirer would prejudice the Acquirer from proceeding with the Delisting Offer. Provided that, withdrawal of the Delisting Offer on this count shall be subject to the receipt of regulatory approvals, if any, as may be required for the same; and

14.v) The Acquirer will obtain requisite statutory approvals, if any, required for the Delisting Offer in accordance with paragraph 21 of this PA and meeting the conditions set out in Regulation 17 of the Delisting Regulations.

Where Counter Offer is made:

If a Counter Offer is made by the Acquirer in accordance with Regulation 16(1A) of the Delisting Regulations, Delisting Offer shall be deemed to be successful only if post Delisting Offer, the Promoter/ Promoter Group shareholding taken together with the equity shares accepted at the Counter Offer price reaches 90% of the fully paid- up equity share of the Company excluding the Equity Shares which are held by a custodian and against which depository receipts have been issued overseas. The "**Timelines for Counter Offer Process**" shall be intimated in the same newspapers in which this PA has been published and the other formalities will be complied in accordance with the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/35 dated 13.03.2019.

15. **ACQUISITION WINDOW FACILITY OR OFFER TO BUY (OTB):**

15.i) Pursuant to the Delisting Regulations, the Acquirer is required to facilitate tendering of the Equity Shares by the Public Shareholders of the Company and the settlement of the same, through the Stock Exchange mechanism provided by SEBI. SEBI vide its circular reference no. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/ P/2016/131 dated December 09, 2016 on 'Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange pursuant to Tender-Offers under Takeovers, Buy Back and Delisting' (the "**SEBI Circular**") sets out the procedure for tendering and settlement of Equity Shares through the Stock Exchange (the "**Stock Exchange Mechanism**").

15.ii) As per the SEBI Circular, the Acquirer has chosen Acquisition Window Facility or OTB provided by the BSE Limited ("**BSE**" or "**Designated Stock Exchange**").

15.iii) Further, it provides that the BSE shall take necessary steps and put in place the necessary infrastructure and systems for implementation of the stock-exchange mechanism and to ensure compliance with

Continued on next page.....

www.readwhere.com

उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रदर्शनी से खुलेंगे संभावनाओं के नए दरवाजे

लखनऊ, 9 फरवरी (भाषा)।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार आयोजित अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो कई मायनों में औरों के लिए एक बड़ी लकीर खींच गया।

यह डिफेंस एक्सपो रक्षा क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों तथा सार्वजनिक संस्थाओं के बीच हुए समझौतों और आयोजन स्थल के दायरे के मामले में अब तक का सबसे बड़ा एक्सपो साबित हुआ है। प्रदेश के उद्योग मंत्री सतीश महाना ने बताया कि लखनऊ डिफेंस एक्सपो कई मायनों में ऐतिहासिक कहा जा सकता है। इस बार देश में पहली बार किसी एक्सपो में 200 से ज्यादा समझौता ज्ञापन और अन्य समझौते हुए। भविष्य में डिफेंस एक्सपो के अन्य आयोजकों के लिए इस आंकड़े को छूना बहुत बड़ी चुनौती होगी।

पहली बार 'डिफेंस एक्सपो' में 200 से ज्यादा एमओयू और अन्य समझौते हुए

उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में चेन्नई में हुए डिफेंस एक्सपो में 40 समझौता ज्ञापन हुए थे। उस लिहाज से यह एक्सपोर्ट उससे मीलों आगे निकल गया है। निश्चित रूप से लखनऊ डिफेंस एक्सपो में औरों के लिए एक लंबी लकीर खींच दी है और भविष्य में अन्य मेजबान राज्यों के सामने इससे ज्यादा भव्य आयोजन करने की बहुत बड़ी चुनौती होगी। महाना ने बताया कि वर्ष 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी तब उसके अगले साल चेन्नई में प्रस्तावित डिफेंस एक्सपो के आयोजन की इच्छा उत्तर प्रदेश सरकार ने जताई थी लेकिन उस वक्त के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि उत्तर प्रदेश के पास डिफेंस एक्सपो जैसा आयोजन कराने लायक मूलभूत ढांचा नहीं है।

उन्होंने कहा कि मात्र 3 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में डिफेंस एक्सपो जैसा ऐतिहासिक आयोजन करा लेना एक सपने के सच होने जैसा है। इससे यह साबित हो गया है उत्तर प्रदेश में अपार क्षमता है और डिफेंस एक्सपो के सफल आयोजन के बाद दुनिया यह मानने लगी है कि उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन का हब बनने की हर काबिलियत मौजूद है।

इस बीच, प्रदेश के गृह विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो के दौरान यूपीडा ने रक्षा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न कंपनियों के साथ 23 एमओयू किए हैं जिनसे लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा।

जयपुर समानांतर साहित्य उत्सव में गांधी व युवाओं पर होंगे विशेष सत्र

जयपुर, 9 फरवरी (भाषा)।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर साहित्य प्रेमियों की महफिल जमने जा रही है, जहां इसी महीने तीन दिवसीय समानांतर साहित्य उत्सव (पीएलएफ) का आयोजन होगा। इस बार के पीएलएफ में महात्मा गांधी और युवाओं पर विशेष सत्र होंगे साथ ही युवाओं के लिए एक नवोन्मेष मंच होगा, जिसमें स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी कभी भी आकर रचना पाठ कर सकेंगे।

इस सम्मेलन में देश भर से हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के तीन सौ लेखकों वक्ताओं के भाग लेने की उम्मीद है। पीएलएफ का आयोजन प्रगतिशील लेखक संघ साहित्य के बाजारीकरण के विरुद्ध मुहिम के रूप में कर रहा है। इसके आयोजन का यह तीसरा साल है। आमतौर पर इसका आयोजन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जेएलएफ के साथ किया जाता है लेकिन इस बार यह लगभग एक महीने बाद 21 से 23 फरवरी को होगा। इस बार आयोजन स्थल भी रविंद्र मंच के बजाय जवाहर कला केंद्र का शिल्पग्राम होगा।

संघ के मुख्य संयोजक ईशमधु तलवार ने बताया कि इस बार पीएलएफ में पांच मंचों पर लगभग सौ सत्र तीन दिन में आयोजित किए जाएंगे। इनमें महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष के मद्देनजर तथा युवाओं को साहित्य से जोड़ने की कोशिश के तहत विशेष सत्र होंगे। इनमें साहित्य और कला संस्कृति के साथ साथ समाज तथा राजनीति से जुड़े तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही इस बार एक नवोन्मेष मंच बनाया जाएगा जिसमें विद्यार्थी वर्ग कभी भी आकर अपनी रचना पढ़ सकता है। उन्होंने बताया कि आयोजन में हिंदी के साथ साथ पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, असमिया, मणिपुरी तथा कोंकणी जैसी भारतीय भाषाओं के लेखक भाग ले रहे हैं।

'शारीरिक आधार पर महिलाओं को कमान पद से इनकार प्रतिगामी कदम'

नई दिल्ली, 9 फरवरी (भाषा)।

भारतीय सेना में सेवारत महिला अधिकारियों ने महिलाओं को उनकी शारीरिक सीमाओं के आधार पर कमान पद देने से इनकार करने के केंद्र के सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख किए गए रुख का विरोध किया है और इसे न केवल 'प्रतिगामी बल्कि प्रर्दिशत रिकॉर्ड और आंकड़ों से पूरी तरह से विपरीत करार दिया है।'

महिला अधिकारियों ने अदालत में दिए लिखित प्रतिवेदन में केंद्र के इस रुख को खारिज करने का अनुरोध किया है। महिला अधिकारियों ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे आधारों का उल्लेख किया गया है जो कि मामले के प्रदर्शित रिकार्ड के पूरी तरह से विपरीत हैं।

महिला अधिकारियों ने कहा कि वे 10 कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स में पिछले 27 से 28 वर्षों से सेवारत हैं और उन्होंने अपनी शूरता और साहस को साबित किया है। अधिकारियों ने लिखित प्रतिवेदन में कहा, 'उन्हें संगठन द्वारा उपयुक्त पाया गया और उन्होंने 10 कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स में शांति स्थलों के साथ ही प्रतिकूल स्थानों/अभियानों में सैनिकों और पुरुषों के प्लाटून और कंपनियों का नेतृत्व किया है। ऐसा कोई मौका सामने नहीं आया है जब सैनिकों/पुरुषों ने अपनी कथित 'ग्रामीण पृष्ठभूमि, प्रचलित सामाजिक मानदंडों' के कारण महिलाओं की कमान से इनकार या उसे अस्वीकार किया हो।' लिखित प्रतिवेदन को रिकार्ड में लिया गया है। इसमें कहा गया है कि महिला अधिकारियों ने प्रदर्शित किया है कि उन्हें जो भूमिका सौंपी गई है उसमें वे किसी भी तरह से कमतर नहीं हैं।

इसमें कहा गया है कि महिला अधिकारियों को उनके उचित हकों से वंचित करने के लिए भारत संघ द्वारा दिए गए कथित आधार गलत हैं। यह 25 फरवरी 2019 के भारत के संघ के नीतिगत निर्णय के विपरीत है जिसके तहत एसएससीडब्लूओ को सभी 10 इकाइयों में स्थाई कमीशन पर सहमति जताई गई थी।

महिला अधिकारियों ने दलील दी कि 1992 में महिलाओं को पहली बार भारतीय सेना में शामिल किए जाने के बाद से किसी भी विज्ञापन या नीतिगत फैसलों में महिला अधिकारियों को केवल कर्मचारी नियुक्तियों तक ही सीमित रखने का कभी कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

शीर्ष अदालत ने गत पांच फरवरी को मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और महिला अधिकारियों व रक्षा मंत्रालय को अपने लिखित प्रतिवेदन देने को कहा था।

requirements of the SEBI Circulars. Pursuant to the SEBI Circulars, the BSE has issued guidelines detailing the mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange.

15.iv) The cumulative quantity tendered shall be displayed on website of the BSE at specific intervals during Bid Period.

15.v) The Acquirer has appointed the Buyer Broker to undertake the acquisitions made pursuant to this Delisting Offer.

16. DATES OF OPENING AND CLOSING OF BID PERIOD:

16.i) All the Public Shareholders holding Equity Shares are eligible to participate in the RBB by tendering, the whole or part of the Equity Shares held by them through the Acquisition Window Facility at or above the Floor Price. The period during which the Public Shareholders may tender their equity shares to the Acquirer in the reverse book building process (the "**Bid Period**") shall commence at an opening of trading hours on February 18, 2020, Tuesday, (the "**Bid Opening Date**") and close on the end of trading hours on February 26, 2020, Wednesday (the "**Bid Closing Date**"). During the Bid Period, the order for bidding the shares will be placed by Bidders/ Sellers through their respective Bidder/Seller Member during normal trading hours of the secondary market. Any change in the Bid Period will be notified by way of a corrigendum in the newspapers where this Public Announcement is published.

16.ii) The Public Shareholders should note that the Bids are required to be uploaded in the Acquisition Window Facility or OTB on or before the Bid Closing Date for being eligible for participation in the Delisting Offer. Bids not uploaded in the Acquisition Window Facility or OTB will not be considered for delisting purposes and will be rejected.

16.iii) The Public Shareholders should submit their Bids through stock brokers registered with BSE only. Thus, Public Shareholders should not send bids to Company/ Acquirer/ Manager to the Offer/ Registrar to the Offer.

16.iv) Bids received after close of trading hours on the Bid Closing Date shall not be considered for the purpose of determining the Discovered Price payable for the equity shares by the Acquirer pursuant to the reverse book building process.

16.v) The Letter of Offer inviting the Public Shareholders (along with necessary forms and detailed instructions) to tender their equity shares by submission of "**Bids**" will be dispatched as indicated in Paragraph 20 of this PA.

17. PROCEDURE FOR TENDERING AND SETTLEMENT OF SHARES THROUGH STOCK EXCHANGE:

17.i) The Delisting Offer is open to all public shareholders of the Company. Public shareholders who have acquired equity Shares but whose name does not appear in the register of members of the Company as on specified date, or unregistered owners or those who have acquired equity shares after the specified date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this offer by submitting an application on plain paper giving details regarding their Offer as set out in the Public Announcement and the Letter of Offer, which may be obtained from the BSE's Website, that is, www.bseindia.com or from the website of the Registrar to the Offer at www.mdpl.in. The Acquirer along with the Promoter Group is not eligible to participate in the Offer.

17.ii) The Letter of Offer and Bid Form, outlining the terms of the delisting as well as the detailed disclosures as specified in the Delisting Regulations, will be mailed/sent to eligible persons.

17.iii) In the event of an accidental omission to dispatch the Letter of Offer or non-receipt of the Letter of Offer by any Public Shareholder, such Public Shareholders may obtain a copy of the Letter of Offer by writing to the Registrar to the Offer at their address given in Paragraph 9 of this Public Announcement, clearly marking the envelope "Amalgamated Development Limited - Delisting Offer". Alternatively, the Public Shareholders may obtain copies of the Letter of Offer from the website of the BSE, www.bseindia.com, or, from the website of the Registrar to the Offer at www.mdpl.in respectively.

17.iv) The Company will not accept any Equity Shares offered for delisting offer which are under any restraint order of a court for transfer/sale of such shares.

17.v) BSE Limited shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering equity shares in the Offer.

17.vi) The Offer will be implemented by the Acquirer through the Stock Exchange Mechanism, as provided under the Delisting Regulations and Circular No. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 issued by Securities and Exchange Board of India read with the guidelines issued by BSE.

17.vii) For the implementation of the Offer, the Acquirer has appointed M/s. JRK Stock Broking Private Limited as the registered broker ("**Buying Broker**") through whom the purchases and settlements on account of the Offer would be made by the Acquirer. The contact detail of the Buyer Member/ Buyer Broker is as follows:

Name: JRK Stock Broking Private Limited

Regd. Office: Tobacco House, 1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room No.: 301,Kolkata- 700 001

Tel. No.: 033- 4017 4777; **Fax No.:** 033- 4017 4700; **Email Id:** info@jrkgroup.in

Name of the Contact Person: Mr. Birendra Kumar Jain

17.viii) The facility for acquisition of shares through Stock Exchange mechanism pursuant to Offer shall be available on the Stock Exchange in the form of a separate Acquisition Window.

17.ix) All the Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Offer would have to approach their respective stock brokers ("**Selling Broker(s)**"), during the normal trading hours of the secondary market during the Tendering Period. The Buying Broker may also act as Selling Broker for Public Shareholders.

17.x) During the Tendering Period, the tender of the Equity Shares by the Public Shareholders in this Offer will be placed through their respective Selling Brokers during normal trading hours of the secondary market.

17.xi) The cumulative quantity bided shall be made available on BSE Limited's website- www.bseindia.com throughout the trading session and will be updated at specific intervals during the Bid Period.

17.xii) In the event Selling Member of any Eligible Shareholder is not registered with BSE trading member/ stock broker, then that Eligible Shareholder can approach any BSE registered stock broker and can register himself by using quick unique client code ("**UCC**") facility through that BSE registered stock broker (after submitting all details as may be required by such BSE registered stock broker in compliance with applicable law). In case the Eligible Shareholder is unable to register himself by using quick UCC facility through any other BSE registered stock broker, then that Eligible Shareholder may approach the Buyer Broker, viz. JRK Stock Broking Private Limited, to register himself by using quick UCC facility.

17.xiii) Public Shareholders, who have tendered their Offer Shares by submitting Bids pursuant to the terms of the Public Announcement and the Letter of Offer, may withdraw or revise their Bids upwards not later than 1 (one) day before the Bid Closing Date. Downward revision of Bids shall not be permitted. Any such request for revision or withdrawal of the Bids should be made by the Public Shareholder through their respective Seller Member, through whom the original Bid was placed, not later than 1 (one) day before the Bid Closing Date. Any such request for revision or withdrawal of Bids received after normal trading hours of the secondary market 1 (one) day before the Bid Closing Date will not be accepted. Any such request for withdrawal or upward revision should not be made to the Company/ Acquirer/ Manager to the Offer/ Registrar to the Offer.

17.xiv) It shall be the responsibility of the Public Shareholders tendering in the Delisting Offer to obtain all requisite approvals (including corporate, statutory and regulatory approvals) prior to tendering their equity shares in the Acquisition Window Facility. The Acquirer shall assume that the eligible Public Shareholders have submitted their Bids only after obtaining applicable approvals, if any.

17.xv) The Offer Shares to be acquired under the Delisting Offer are to be acquired free from all liens, charges, and encumbrances and together with all rights attached thereto. Offer Shares that are subject to any lien, charge or encumbrances are liable to be rejected.

17.xvi) Public Shareholders holding Offer Shares under multiple folios are eligible to participate in the Delisting Offer.

17.xvii) The Public Shareholders should further note that they should have a trading account with a Seller Member as the Bids can be entered only through their respective Seller Member. The Seller Member would issue contract note and pay the consideration to the respective Public Shareholder whose Equity Shares are accepted under the Delisting Offer.

17.xviii) Procedure to be followed by Shareholders holding Equity Shares in the dematerialized form:

- ❖ Public Shareholders who desire to tender/ bid their equity shares in the electronic form under the Delisting Offer would have to do so through their respective Seller Member by indicating to their Seller Member the details of equity shares they intend to tender under the Delisting Offer. The Public Shareholders should not send Bids to the Company/ Acquirer/ Manager to the Offer/ Registrar to the Offer. Public Shareholders should tender their equity shares before close of market hours on the last day of the Tendering Period.
- ❖ The Seller Members would be required to transfer the number of equity shares by using the settlement number and the procedure prescribed by the Indian Clearing Corporation Limited ("**Clearing Corporation**") for the transfer of the equity shares to the Special Account of the Clearing Corporation before placing the bids and the same shall be validated at the time of order entry. The details of the Special Account of Clearing Corporation shall be informed in the offer opening circular that will be issued by BSE Limited/ Clearing Corporation.
- ❖ Upon placing the Bid, the Seller Member shall provide a Transaction Registration Slip ('**TRS**') generated by the exchange bidding system to the Bidder/ Pubic Shareholder. TRS will contain the details of order submitted like Bid ID No., Application No., DP ID, Client ID, No. of Equity Shares tendered and price at which the Bid was placed etc.
- ❖ On receipt of TRS from the respective Seller Broker, the Public Shareholder has successfully placed the bid in the Delisting Offer.
- ❖ Please note that submission of Bid Form and TRS is not mandatorily required in case of Offer Shares held in dematerialized form.
- ❖ For custodian participant orders for demat Shares, early pay-in is mandatory prior to confirmation of Bid by custodian. The custodian shall either confirm or reject the bids not later than the closing of trading hours on the last day of the Bid Period. Thereafter, all unconfirmed orders shall be deemed to be rejected. For all confirmed custodian participant bids, order modification shall revoke the custodian confirmation and the revised bids shall be sent to the custodian again for confirmation.
- ❖ The Clearing Corporation will hold the Equity Shares tendered under the Delisting Offer in trust until the Acquirer completes its obligations under the Delisting Offer in accordance with the Delisting Regulations.

17.xix) Procedure to be followed by Shareholders holding Equity Shares in the Physical form:

- ❖ As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI PR 51/2018 dated December 3, 2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019.
- ❖ Accordingly, the Public Shareholders who are holding equity shares in physical form and are desirous of tendering their equity shares in the Offer can do so only after the equity shares are dematerialized. Such Public Shareholders are advised to approach any depository participant to have their equity shares dematerialized.

17.xx) Basis of Acceptance:

Based on the offer files received from the BSE, the Registrar to the Offer in consultation with the Manager to the Offer shall provide details of basis of acceptance to Clearing Corporation within specified timelines.

17.xxi) Settlement of Shares:

Upon finalization of the basis of acceptance as per Delisting Regulations:

- ❖ The settlement of trades shall be carried out in the manner similar to settlement of trades in the secondary market.
- ❖ On closure of the Offer, reconciliation for acceptances shall be conducted by the Manager & Registrar to the Delisting Offer and the final list shall be provided to BSE to facilitate settlement on the basis of the shares transferred/ marked as early pay-in to the account of the Clearing Corporation.
- ❖ For consideration towards the Equity Shares accepted under the Delisting Offer, the money deposited in the Special Account shall be used to pay the consideration to the Buyer Broker on or before the pay-in date for settlement. The Buyer Broker will transfer the funds to the Clearing Corporation, which will be released to the respective Seller Member(s)/ Custodian Participants as per the secondary market payout in their settlement bank account. The Seller Member(s)/Custodian Participants would pay the consideration to their respective clients. The payment of consideration to all the public shareholders validly tendered in the Delisting Offer will be made in Indian National Rupees.
- ❖ The equity shares acquired in the demat form would either be transferred directly to the respective account of the Acquirer provided it is indicated by the Buyer Broker or it will be transferred by the Buyer Broker to the respective account of the Acquirer on receipt of the equity shares pursuant to the clearing and settlement mechanism of the BSE.
- ❖ The Seller member would issue a Contract Note and pay the consideration to the respective Public Shareholder whose shares have been accepted under the Delisting Offer. The Buyer Broker would also issue a contract note to the Acquirer for the shares accepted under the Delisting Offer.
- ❖ The Public Shareholders who intend to participate in the Delisting Offer should consult their respective Seller Members for payment to them of any cost, charges and expenses (including brokerage) that may be levied by the Seller Member upon the Public Shareholders/Seller for tendering Equity Shares in the Delisting Offer (secondary market transaction). The consideration received by the Public Shareholders/ Seller from their respective Seller Members, in respect of accepted equity shares, could be net of such costs, charges and expenses (including brokerage) and the Acquirer/ the Company/ the Buyer Broker accept no responsibility to bear or pay such additional cost, charges and expenses (including brokerage) incurred solely by the Public Shareholders.
- ❖ Unaccepted/ Rejected demat Shares, if any, tendered by the Shareholders would be returned to the respective Seller Members by Clearing Corporation as part of the exchange payout process. In case of Custodian Participant orders, unaccepted demat Shares, if any, will be returned to the respective Custodian Participant. The Seller Members/ Custodian Participants would return these unaccepted shares to their respective clients on whose behalf the bids have been placed.
- ❖ If Bank account details of the Public Shareholders are not available or if the fund transfer instruction is rejected by Reserve Bank of India or Bank, due to any reasons, then the amount payable to Public Shareholders will be transferred to the Selling Broker for onward transfer to the Public Shareholders.
- ❖ In case of certain client types viz. NRI, Foreign Clients etc. (where there are specific RBI and other regulatory requirements pertaining to funds pay-out) who do not opt to settle through custodians, the funds pay-out would be given to their respective Selling Broker's settlement accounts for releasing the same to their respective Shareholder's account onwards.
- ❖ Bidders/ Seller Public Shareholders will have to ensure that they keep the DP account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares, due to rejection or non -acceptance of the shares under the Offer.
- ❖ Any equity shares that are subject matter of litigation or are held in abeyance due to pending court cases/ attachment orders/ restriction from other statutory authorities wherein the Public Shareholder may be precluded from transferring the Equity Shares during pendency of the said litigation are liable to be rejected if directions/ orders regarding these Equity Shares are not received together with the equity shares tended under the Offer.

18. PERIOD FOR WHICH THE DELISTING OFFER SHALL BE VALID:

The Public Shareholders may submit their Bids under the Stock Exchange Mechanism during the Bid/ Tendering Period. Additionally, once the equity shares have been delisted from the Stock Exchange, all the remaining Public Shareholders ("**Residual Shareholders**"), whose Shares have not yet been acquired by the Acquirer may offer their equity shares for sale to the Acquirer at the Exit Price for a period of one year following the date of the delisting of the equity shares from the Stock Exchange ("**Exit Window**"). A separate offer letter in this regard will be sent to the Residual Shareholders which will contain terms and conditions for participation post delisting. Such Residual Shareholders may tender their equity shares by submitting the required documents to the Registrar to the Offer during the Exit Window.

19. DETAILS OF THE ESCROW ACCOUNT:

19.i. The estimated consideration payable under the Delisting Regulations, being the Floor Price of Rs. 4,883/- (Rupees Four Thousand Eight Hundred and Eighty Three Only) per equity share multiplied by the number of Shares outstanding with the Public Shareholders i.e., 1829 Shares, is Rs. 89,31,007/- (Rupees Eighty Nine Lakhs Thirty One Thousand and Seven Only) ("**Escrow Amount**").

19.ii. In accordance with Regulations 11(1) and 11(3) of the Delisting Regulations, the Acquirer have appointed HDFC Bank Limited ("**Escrow Bank**"), a schedule commercial bank and a banker to an issue registered with SEBI. The Acquirer, Escrow Bank and the Manager to the Offer have entered into an escrow agreement dated 27.05.2019 pursuant to which the Acquirer has opened an Escrow Account and has deposited therein an amount more than 100% of the Escrow Amount marking lien in favor of the Manager to the Offer by way of deposit of cash Rs. 89,60,000/- (Rupees Eighty Nine Lakhs Sixty Thousand Only). On determination of the Exit Price and making of the Public Announcement under Regulation 18 of the Delisting Regulations, the Acquirer shall ensure compliance with Regulation 11(2) of the Delisting Regulations.

19.iii. On determination of the Exit Price and making of the Public Announcement under Regulation 18 of the Delisting Regulations, the Acquirer shall ensure compliance with Regulation 11(2) of the Delisting Regulations.

19.iv. If the Acquirer accepts the Discovered Price and offer an Exit Price, the Acquirer will open a special account with the Escrow Bank and credit thereto, the entire amount due and payable as consideration in respect of the Shares validly tendered in the Delisting Offer at the Exit Price. In such case, the Acquirer shall also ensure that the lien marked remains valid on the additional amount until the expiry of the Exit Window.

19.v. Further, the Escrow Bank will open the Special Account ("**Special Account**") on the instructions of the Acquirer and the Manager to the Offer, which shall be used for payment to the Public Shareholders who have validly tendered Offer Shares in the Delisting Offer. The Manager to the Offer shall instruct the Escrow Bank to transfer the total consideration amount to the Special Account and if the Delisting Offer fails; the Escrow and Special Account so opened shall be closed.

20. PROPOSED SCHEDULE FOR THE DELISTING OFFER:

Activity	Date	Day
Resolution for approval of the Delisting Proposal passed by the Board of Directors of ADL	February 21, 2019	Thursday
Specified Date for determining the names of shareholders to whom the Offer Letter shall be sent#	January 31, 2020	Friday
Date of publication of the Public Announcement	February 10, 2020	Monday
Last date of completion of Dispatch of Offer Letters/ Bid Forms to the Public Shareholders as on Specified Date	February 12, 2020	Wednesday
Bid Opening Date (bid starts at trading hours)	February 18, 2020	Tuesday
Last date of revision (upwards) or withdrawal of Bids	February 25, 2020	Tuesday
Bid Closing Date (bid closes at end of trading hours)	February 26, 2020	Wednesday
Last date for Announcement of Discovered Price/Exit Price and acceptance/ non-acceptance of the same	March 04, 2020	Wednesday
Last date of payment of consideration*	March 12, 2020	Thursday
Last date for return of Equity Shares to the shareholders in case of failure of Delisting Offer/Bids have not been accepted	March 12, 2020	Thursday

#Specified Date is only for the purpose of determining the name of the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer will be sent. However, all owners (registered or unregistered) of the equity shares of the Company are eligible to participate in the Delisting Offer any time before and on the Bid Closing Date.

*Subject to the acceptance of the Discovered Price or the Exit Price.

All the dates are subject to change and are dependent on obtaining all the requisite statutory and regulatory approvals as may be applicable. In the event there is any change in the proposed timetable, it will be announced by way of a corrigendum to the PA in the same newspapers in which this PA appeared.

21. STATUTORY APPROVALS:

21.i) Delisting Offer is subject to approvals, if any, required under the provisions of the Delisting Regulations, Listing agreement entered with CSE and any other applicable rules and regulations in force for the time being.

21.ii) As of date, there is no other statutory or regulatory approval pending to implement the Delisting Offer. If any statutory or regulatory approval becomes applicable subsequently, the Delisting Offer will be subject to such statutory or regulatory approvals. In the event that the receipt of the statutory/ regulatory approvals are delayed, changes to the proposed timetable, if any, shall be intimated to CSE, and hence made available for the benefit of Shareholders.

21.iii) If the shareholders who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs and FIIs) had required any approvals (including from the RBI, or any other regulatory body) in respect of the equity shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Equity Shares held by them in this Delisting Offer, along with the other documents required to be tendered to accept this Delisting Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Equity Shares tendered in the Delisting Offer.

21.iv) It shall be the responsibility of the Public Shareholders tendering Offer Shares in the Delisting Offer to obtain all requisite approvals (including corporate, statutory or regulatory approvals), if any, prior to tendering the Offer Shares held by them in the Delisting Offer, and the Acquirer shall take no responsibility for the same. The Public Shareholders should attach a copy of any such approval to the Bid Form, wherever applicable.

21.v) The Acquirer reserves the right not to proceed with or withdraw the Delisting Offer in the event the conditions mentioned in the paragraph 21 of this PA are not fulfilled, and if any of the requisite statutory approvals are not obtained or conditions which the Acquirer considers in their sole discretion to be onerous are imposed in respect of such approvals.

22. NOTE ON TAXATION:

22.i) Under current Indian tax laws and regulations, capital gains arising from the sale of equity shares in an Indian company are generally taxable in India. Any gain (in excess of Rs. 1 Lakh) realized on the sale of listed equity shares on Stock Exchange held for more than 12 months will be subject to capital gains tax in India @ 10% if securities transaction tax ("**STT**") has been paid on the shares. STT will be levied on and collected by domestic Stock Exchange on which the equity shares are sold. Further, any gain realised on the sale of listed equity shares held for a period of 12 months or less which is sold will be subject to Short Term Capital Gain Tax @ 15% provided the transaction is chargeable to STT.

22.ii) SHAREHOLDERS ARE ADVISED TO CONSULT THEIR TAX ADVISORS FOR TAX TREATMENT ARISING OUT OF THE PROPOSED DELISTING OFFER AND APPROPRIATE COURSE OF ACTION THAT THEY SHOULD TAKE. THE ACQUIRER DOES NOT ACCEPT NOR HOLDS ANY RESPONSIBILITY FOR ANY TAX LIABILITY ARISING TO ANY PUBLIC SHAREHOLDER AS A REASON OF THIS DELISTING.

23. CERTIFICATION BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY:

"The Board has certified that:

23.i) The Company has not raised any funds by issue of securities during the last five years immediately preceding the date of Public Announcement;

23.ii) All material information which is required to be disclosed under the provisions of the continuous listing requirements under the listing agreement has been disclosed to the CSE;

23.iii) The Delisting Proposal, if successful, will also result in a scenario where the Company is not subject to the conditions for continuous listing, interalia, to maintain a minimum public shareholding of 25% pursuant to the Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957 as amended from time to time;

23.iv) The Acquirer or Promoter or Promoter Group or any of their related entities have not carried out any transaction during the aforesaid period to facilitate the success of the delisting offer which is not in compliance with the provisions of sub-regulation (5) of Regulation 4 of Delisting Regulations;

23.v) The delisting is in the interest of the shareholders."

24. COMPLIANCE OFFICER:

Mr. Sandeep Dubey, Company Secretary, Address: 7, Munshi Premchand Sarani, Hastings, Kolkata - 700022; Tel. No.: 033-2223 0016; Fax No.: 033-2223 1569; E-mail Id: compliance@lnbgroup.com.

25. DISCLAIMER PARAGRAPH OF BSE:

25.i) It is to be distinctly understood that the permission given by BSE to use their network and software of the "**Online Reverse Book Building facility for delisting of securities**" should not in any way be deemed or construed that the compliance with various statutory and other requirements by the Company, Manager to the Offer, etc., are cleared or approved by BSE; nor does BSE in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the compliance with the statutory and other requirements nor does BSE have any financial responsibility or liability nor does BSE take responsibility in any way for the financial or other soundness of the Company, its promoters or its management.

25.ii) It is also to be distinctly understood that the approval given by BSE should not in any way be deemed or construed to mean that the PA and the Offer Letter has been cleared or approved by BSE, nor does BSE in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of the announcements, nor does BSE warrant that the securities will be delisted.

25.iii) That every person who desires to avail of the exit opportunity may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against BSE or against the Investor Protection Fund set up by BSE whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such offer and tender of securities through reverse book-building process whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or any other reason whatsoever.

26. GENERAL DISCLAIMER

Every person who desires to avail of the Delisting Offer may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against the Acquirer, the Manager to the Offer or other members forming part of the Promoter/ Promoter Group/ the Company/ the Registrar to the Offer whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such Delisting Offer and bid of securities through the reverse book-building process whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or any other reason whatsoever.

For further details please refer to the Offer Letter which will be sent to the Public Shareholders who are shareholders of the Company as on the Specified Date.

MANAGER TO THE DELISTING OFFER:	REGISTRAR TO THE DELISTING OFFER:
VC Corporate Advisors Private Limited CIN: U67120WB2005PTC106051 SEBI REGN No.: INM000011096 Validity of Registration: Permanent (Contact Person: Ms. Urvi Belani) 31 Ganesh Chandra Avenue, 2nd Floor, Suite No. -2C, Kolkata-700 013 Tel. No.: 033- 2225 3940 Fax No.: 033 2225 3941 Email Id: mail@vccorporate.com Website: www.vccorporate.com	**Maheshwari Datamatics Private Limited,** CIN: U20221WB1982PTC034886 SEBI REGN No.: INR000000353 Validity of Registration: Permanent (Contact Person: Mr. S. Rajagopal) 23, R.N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata - 700 001 Tel. No.: 033 2248 2248 Fax No.: 033 2248 4787 Email Id: mdpldc@yahoo.com Website: www.mdpl.in

Signed by the Acquirer:

For Placid Limited
Sd/-
Yogesh Bangur
(Joint Managing Director)
DIN: 02018075

For Placid Limited
Sd/-
Prince Kumar
(Company Secretary)
Membership No.: 35613

Place: Kolkata

Date: 08.02.2020

www.readwhere.com

खबर कोना

सोल में जापान के युजुरु हेनयू सोल में पुरुष एकल स्केटिंग स्पर्धा में रविवार को अपना पदक दिखाते हुए।

रोनाल्डो ने यूवेंतस के लिए रेकार्ड बनाया, टीम 1-2 से हारी

मिलान, 9 फरवरी (एएफपी)।

सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो शनिवार को यूवेंतस की ओर से सीरी ए फुटबॉल लीग के लगातार 10 मैच में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। हालांकि उनकी टीम को हेलास वेरोना से 1-2 से हार का मुंह देखना पड़ा।

इस हफ्ते 35 वर्ष के हुए रोनाल्डो ने 65वें मिनट में गोल किया जो 10 मैचों में उनका 15वां गोल था। इससे लीग में उनके 20 गोल हो गए हैं। पांच बार के बैलन डिओर विजेता रोनाल्डो की निगाहें अब लगातार 11 मैचों में गोल करके गैब्रियल बतिस्तुता और फैबियो क्वागलिरारेला के रेकार्ड की बराबरी करने पर लगी हैं। हेलास वेरोना के लिए फैबियो बोरिनी ने 76वें मिनट में और जियामपाउलो पाजिनी ने 86वें मिनट में गोल किया। यूवेंतस के 54 अंक हैं और वह इंटर मिलान से तीन अंक ऊपर है जिसके रविवार को एसी मिलान के खिलाफ मुकाबले में जीत से उसके बराबर पहुंचने की उम्मीद है।

गिल की शतकीय पारी से भारत 'ए' मजबूत स्थिति में

लिंकन (न्यूजीलैंड), 9 फरवरी (भाषा)।

शुभमन गिल की नाबाद 107 रन की पारी से भारत ने न्यूजीलैंड 'ए' के खिलाफ चार दिवसीय मुकाबले में रविवार को खेल खत्म होने तक एक विकेट पर 234 रन बना लिए। न्यूजीलैंड 'ए' ने इससे पहले नौ विकेट पर 386 रन बनाकर पारी घोषित की थी। सलामी बल्लेबाज गिल ने कप्तान हनुमा विहारी (59) के साथ पहले विकेट के लिए 111 रन की साझेदारी की। उन्होंने इसके बाद भारतीय टैस्ट टीम के नियमित सदस्य चेतेश्वर पुजारा (नाबाद 52) के साथ अब तक 123 रन की अटूट साझेदारी कर ली है।

पिछले मैच में नाबाद दोहरा शतक लगाने वाले गिल ने 153 गेंद की नाबाद पारी में 13 चौके और एक छक्का लगाया। शनिवार को बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल नहीं हो सका था। जिसके बाद न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन 131.5 ओवर में नौ विकेट पर 386 रन बना कर पारी घोषित की। डेरल मिशेल ने 222 गेंद में 10 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 103 रन बनाए। ग्लेन फिलिप ने 65 जबकि विकेटकीपर डेन क्लेवर ने 53 रन बनाए। भारत के लिए संदीप वॉरियर (50 रन पर दो विकेट), मोहम्मद सिराज (75 रन पर दो विकेट), आवेश खान (82 रन पर दो विकेट) और अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (98 रन पर दो विकेट) ने आपस में आठ विकेट साझा किए। एक दिन का खेल बाकी है और न्यूजीलैंड की टीम अब भी 152 रन से आगे है।

भारत को तीन विकेट से हराकर विश्व चैंपियन बना बांग्लादेश

पोटचेफस्ट्रूम, 9 फरवरी (भाषा)।

गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद अकबर अली की कप्तानी पारी से बांग्लादेश ने वर्षा से प्रभावित कम स्कोर वाले आइसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में गत चैंपियन भारत को डकवर्थ लुईस पद्धति के तहत तीन विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीता।

भारत के 178 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने जब 41 ओवर में सात विकेट पर 163 रन बना लिए थे तब बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा।

मैच दोबारा शुरू होने पर बांग्लादेश को 46 ओवर में 170 रन का लक्ष्य मिला जो उसने 42.1 ओवर में सात विकेट पर 170 रन बनाकर हासिल कर लिया। अकबर ने 77 गेंद में चार चौकों और एक छक्के से नाबाद 43 रन की पारी खेली। सलामी बल्लेबाज परवेज हुसैन इमोन ने पैर में जकड़न से परेशान होने के बावजूद 47 रन बनाए।

भारत को कम स्कोर वाले मैच में दिशाहीन गेंदबाजी का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। टीम ने 33 अतिरिक्त रन दिए जिसने बड़ा अंतर पैदा किया। चार बार चैंपियन भारत की ओर से लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने 30 रन देकर चार विकेट चटकाए लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। सुशांत मिश्रा ने भी 25 रन देकर दो विकट चटकाए।

भारत सलामी बल्लेबाज जायसवाल (121 गेंद में 88 रन, आठ चौके, एक छक्का) के अर्धशतक के बावजूद 47.2 ओवर में 177 रन पर सिमट गया।

जायसवाल ने तिलक वर्मा (38) के साथ दूसरे विकेट के लिए 94 और ध्रुव जुरेल (22) के साथ चौथे विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी की लेकिन इन तीनों के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज दोहरे अंक में नहीं पहुंच पाया। भारत ने अंतिम सात विकेट सिर्फ 21 रन जोड़कर गंवाए।

बांग्लादेश की ओर से अविषेक दास ने 40 रन देकर तीन जबकि शरीफुल इस्लाम (31 रन देकर दो विकेट) और तनजीम हसन साकिब (28 रन पर दो विकेट) ने दो-दो चटकाए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरे बांग्लादेश को परवेज और तनजीद हसन (17) ने 8.5 ओवर में 50 रन जोड़कर शानदार शुरुआत दिलाई। इन दोनों ने कार्तिक त्यागी और मिश्रा की तेज गेंदबाजी जोड़ी की दिशाहीन गेंदबाजी का पूरा फायदा उठाया। भारत कप्तान प्रियम गर्ग ने नौवें ओवर में गेंद रवि बिश्नोई को थमाई जिनका स्वागत तनजीद ने छक्के के साथ किया। इस लेग स्पिनर ने हालांकि इसी ओवर में तनजीद को कार्तिक के हाथों कैच कराके भारत को पहली सफलता दिलाई।

अंडर 19 क्रिकेट

बिश्नोई ने इसके बाद महमूदुल हसन जाय (08) को भी गुगली पर बोल्ड किया। सलामी बल्लेबाज परवेज भी पैर में जकड़ने के कारण 25 रन के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हो गए। बिश्नोई ने तौहिद हृदय (00) को पगबाधा करके बांग्लादेश का स्कोर तीन विकेट पर 62 रन किया। विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने इसके बाद बिश्नोई की गेंद पर शहादत हुसैन (01) को शानदार तरीके से स्टंप किया। इस विकेट के साथ बिश्नोई 17 विकेट के साथ मौजूदा टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाज बने।

गर्ग ने इसके बाद मिश्रा को गेंदबाजी में वापसी कराई। शमीम हुसैन (07) उनकी पहली ही गेंद को हवा में लहरा गए और जायसवाल ने शानदार कैच लपककर उनकी पारी का अंत किया। कप्तान अकबर अली ने एक छोर संभाले रखा। उन्होंने बिश्नोई पर लगातार दो चौके मारे।

अविषेक ने मिश्रा पर चौके के साथ 23वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। अगली गेंद पर वर्मा ने हालांकि स्लिप में उनका कैच टपकाया लेकिन बल्लेबाज ने इससे अगली गेंद पर त्यागी को कैच थमा दिया।

परवेज इसके बाद दोबारा बल्लेबाजी के लिए उतरे। परवेज ने कप्तान के साथ अच्छी साझेदारी की। दोनों ने स्ट्राइकर रोटेट करने को तरजीह लेकिन खराब गेंद को सबक भी सिखाया।

परवेज हालांकि पैर में जकड़न से परेशान दिखे। कामचलाऊ स्पिनर जायसवाल ने उनकी इसकी कमजोर की फायदा उठाकर ड्राइव खेलने को मजबूर किया और आकाश ने उनका कैच लपका लिया। उन्होंने 79 गेंद का सामना करते हुए सात चौके मारे। रकीबुल हसन ने इसके बाद कप्तान का अच्छा साथ दिया। बांग्लादेश को हालांकि जब 54 गेंद में जीत के लिए 15 रन की दरकार थी तब बारिश के कारण मैच रोकना पड़ा।

मैच दोबारा शुरू होने पर बांग्लादेश को 30 गेंद में सात रन बनाने का लक्ष्य मिला जो उसने आसानी से हासिल कर लिया। रकीबुल नौ रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने कप्तान के साथ 27 रन की अटूट साझेदारी की।

इससे पहले बांग्लादेश ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद भारत की शुरुआत बेहद धीमी रही। पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत को 10 विकेट से जीत दिलाने वाली जायसवाल और दिव्यांश सक्सेना (02) की जोड़ी सातवें ओवर में ही टूट गई जब टीम का स्कोर सिर्फ नौ रन था।

शरीफुल और तनजीम ने भारतीय सलामी जोड़ी पर दबाव बनाया जिसका फायदा उठाते हुए तेज गेंदबाज अविषेक ने सक्सेना को बैकवर्ड प्वाइंट पर महमूदुल के हाथों कैच करा दिया। जायसवाल और वर्मा ने इसके बाद पारी को संवारा। जासवाल ने आठवें ओवर में तनजीम पर पारी का पहला चौका मारा और फिर अविषेक पर भी बाउंड्री जड़ी।

जायसवाल ने 17वें ओवर में शमीम हुसैन पर चौके के साथ टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाया। वर्मा ने 25वें ओवर में अविषेक पर चौके के साथ भारत के 50 गेंद के बाउंड्री के सूखे को खत्म किया।

जायसवाल ने तौहिद हृदय की गेंद पर एक रन के साथ 89 गेंद में मौजूदा विश्व कप का चौथा अर्धशतक पूरा किया।

जायसवाल ने 29वें ओवर में तनजीम पर छक्के के साथ भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया लेकिन इसी ओवर में वर्मा डीप बैकवर्ड प्वाइंट पर शरीफुल को कैच दे बैठे। उन्होंने 65 गेंद का सामना करते हुए तीन चौके मारे।

कप्तान प्रियम गर्ग नौ गेंद में सात रन बनाने के बाद रकीबुल की गेंद पर तनजीम को बेहद आसान कैच दे बैठे जिससे भारत का स्कोर तीन विकेट पर 114 रन हो गया।

जायसवाल ने इसके बाद कुछ आकर्षक शाट खेले लेकिन शरीफुल ने 40वें ओवर में उन्हें और सिद्धेश वीर (00) को लगातार गेंदों पर पवेलियन भेजा।

ध्रुव जुरेल भी अथर्व अनकोलेकर के साथ गलतफहमी का शिकार होकर रन आउट हुए। बिश्नोई (02) भी रन आउट हुए जबकि अविषेक ने अनकोलेकर (03) और कार्तिक त्यागी (00) को पवेलियन भेजा। तनजीम ने मिश्रा (03) को पवेलियन भेजकर भारत की पारी का अंत किया।

नसीम की हैट्रिक, पाकिस्तान जीत के करीब

रावलपिंडी, 9 फरवरी (एएफपी)।

युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह रविवार को टैस्ट हैट्रिक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए जिससे पाकिस्तानी टीम पहले टैस्ट में बांग्लादेश पर जीत के करीब है।

बांग्लादेश की टीम तीसरे दिन स्टंप से कुछ देर पहले दो विकेट पर 124 रन बनाकर चुनौती देती दिख रही थी लेकिन नसीम ने लगातार गेंदों पर तीन विकेट झटककर उसकी उम्मीदों को करारा झटका दिया।

नसीम 16 साल 359 दिन के हैं और इस तरह वे टैस्ट हैट्रिक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। उन्होंने बांग्लादेश के आलोक कपाली को पीछे छोड़ा जिन्होंने 2003 में यह उपलब्धि 19 साल की उम्र में हासिल की थी।

नसीम ने अपने सातवें ओवर की चौथी गेंद पर नजमुल हुसैन शांटो (38) को पगबाधा आउट किया, फिर अगली दो गेंद पर ताईजुल इस्लाम को पगबाधा और महमूदुल्लाह को कैच आउट कराया। उन्होंने 26 रन देकर चार विकेट हासिल किये जिसके बाद वे कंधे की चोट के कारण मैदान से चले गए।

स्टंप तक कप्तान मोमिनुल हक 37 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। उन्होंने और शांटो ने तीसरे विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी निभाई थी। इससे पहले उन्होंने सैफ हुसैन (16) और तमीम इकबाल (34) के विकेट गंवा दिए थे। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश का स्कोर छह विकेट पर 126 रन था जिससे उसे पारी की हार से बचने के लिए 86 रन की जरूरत है और दो दिन का खेल बाकी है।

नसीम पिछले साल पाकिस्तान के आस्ट्रेलिया दौरे के दौरान सुर्खियों में आए थे। वे एक टैस्ट पारी में पांच विकेट झटकने वाले सबसे युवा तेज गेंदबाज और ओवरआल दूसरे गेंदबाज बने।

पाकिस्तान ने सुबह तीन विकेट पर 342 रन से आगे खेलना शुरू किया और टीम पहली पारी में 445 रन पर सिमट गयी जिसमें बाबर आजम ने 143 और हारिस सोहेल ने 75 रन बनाए।

विश्व चैंपियनशिप के लिए पाक पहुंची अनधिकृत भारतीय टीम

नई दिल्ली, 9 फरवरी (भाषा)।

भारतीय कबड्डी टीम विश्व चैंपियनशिप में चुनौती पेश करने के लिए पाकिस्तान तो पहुंची लेकिन खेल शुरू होने के बजाए एक नए विवाद का जन्म हो गया। जो टीम वहां पहुंची है उसे खेल मंत्री और राष्ट्रीय महासंघ ने अनधिकृत करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी तरफ से किसी भी एथलीट को पड़ोसी देश में भाग लेने की मंजूरी नहीं दी गई है।

चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारत से दल शनिवार को वाघा बार्डर के जरिए लाहौर पहुंचा। इसका आयोजन पहली बार पाकिस्तान में किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भारतीयों के लाहौर में पहुंचने की फोटो और फुटेज आ रही है। टूर्नामेंट सोमवार से लाहौर के पंजाब फुटबॉल स्टेडियम में शुरू होगा। कुछ मैच फैसलाबाद और गुजरात में खेले जाएंगे।

> *जो टीम* पाकिस्तान पहुंची है उसे खेल मंत्री और राष्ट्रीय महासंघ ने अनधिकृत करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि किसी भी एथलीट को पड़ोसी देश में भाग लेने की मंजूरी नहीं दी गई है।

खेल मंत्रालय के सूत्र ने कहा कि सरकार ने किसी भी एथलीट को टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी है। उसने कहा कि खेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने किसी भी टीम को अनुमति प्रदान नहीं की है जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व के लिए अनिवार्य होती है। भारतीय एमेच्योर कबड्डी महासंघ (एकेएफआइ) के प्रशासक न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एसपी गर्ग ने भी कहा कि राष्ट्रीय संस्था ने किसी भी टीम को मंजूरी नहीं दी है।

उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान जाने वाली किसी कबड्डी टीम के बारे में कोई सूचना नहीं है। एकेएफआइ द्वारा किसी टीम को पाकिस्तान जाने और वहां कबड्डी मैच खेलने की कोई मंजूरी नहीं दी गई। सूत्र ने कहा कि हमें तभी पता चला जब इस बारे में सूचना मांगी गई। एकेएफआइ इस तरह की गतिविधि का समर्थन नहीं करता। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

विदेशी प्रतियोगिताओं में भागीदारी की प्रक्रिया में राष्ट्रीय महासंघ खेल मंत्रालय को सूचना देता है जो राजनीतिक मंजूरी के लिए विदेश मंत्रालय और सुरक्षा मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को लिखता है। भले ही सरकार इस दल का खर्चा उठा रही हो या नहीं। पाकिस्तान पंजाब के खेल मंत्री राय तैमूर खान भट्टी ने लाहौर के होटल में भारतीय दल का स्वागत किया। पाकिस्तान कबड्डी महासंघ के अधिकारियों ने भारतीय खिलाड़ियों के वाघा बार्डर से पाकिस्तान पहुंचने के बाद फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया जिसके बाद उन्हें सुरक्षा घेरे में लाहौर में होटल पहुंचाया गया।

बेल्जियम ने भारत को 3-2 से हराया

भुवनेश्वर, 9 फरवरी (भाषा)।

भारतीय पुरुष हाकी टीम ने विश्व चैंपियन बेल्जियम के खिलाफ रविवार को यहां एफआइएच प्रो लीग मुकाबले में दमदार खेल दिखाया लेकिन रक्षापंक्ति में हुई एक चूक के कारण उसे 2-3 से हार का सामना करना पड़ा।

भारतीय टीम ने इससे पहले विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज नीदरलैंड को एफआइएच प्रो लीग के अपने शुरुआती दोनों मुकाबलों में हराया था। टीम ने शनिवार को यहां के कलिंगा स्टेडियम में खेले गये पहले मुकाबले में 2-1 की जीत दर्ज की थी। इस जीत के बाद भारतीय टीम विश्व रैंकिंग में चौथे पायदान पर पहुंच गई थी। अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने मैच के तीसरे मिनट में ही पेनल्टी कार्नर को गोल में बदल कर बेल्जियम का खाता खोला लेकिन मैक्सिम प्लेन्नेवैक्स (17वें और 26वें

मिनट) के दो गोल ने मुकाबले में अंतर पैदा किया।

भारत के लिए विवेक सागर प्रसाद (15वें) और अमित रोहिदास (17वें मिनट) ने गोल किए।

इस हार के बाद भारतीय टीम एफआइएच प्रो लीग की तालिका में चार मैच में आठ अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। बेल्जियम छह मैचों में 14 अंक के साथ शीर्ष पर है। कलिंगा स्टेडियम एक बार फिर बेल्जियम के लिए भाग्यशाली साबित हुआ। यह वही मैदान है जहां टीम ने 2018 में अपना पहला विश्व कप उठाया था। 'रेड लायन्स' की टीम ने इस मुकाबले के तीसरे मिनट में ही पेनल्टी कार्नर को गोल में बदल कर बढ़त हासिल कर ली। टीम को इससे पहले भी दो पेनल्टी मिले थे लेकिन सेबेस्टियन डोकियर और थामस ब्रील्स के शाट का गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने शानदार बचाव किया।

भारत ने पहले क्वार्टर के खत्म होने के आठ सेकेंड पहले बराबरी का गोल दागा। सुरेंद्र कुमार के शानदार शॉट को विवेक ने अच्छे से टैकल कर करारा प्रहार किया जो गोल में बदल गया।

बेल्जियम के लिए दूसरे क्वार्टर के दूसरे मिनट में ही प्लेन्नेवैक्स ने सिमोन गौगनार्ड के पास को गोल में बदल दिया।

इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को दो विकेट से हराकर शृंखला बराबर की

जोहानिसबर्ग, 9 फरवरी (एएफपी)।

जो डेनली की 66 रन की पारी के दम पर इंग्लैंड ने तीसरे और आखिरी एकदिवसीय मैच में रविवार को यहां दक्षिण अफ्रीका को दो विकेट से हराकर शृंखला 1-1 से बराबर की।

दक्षिण अफ्रीका ने शृंखला का पहला मुकाबला जीता था जबकि दूसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए डेविड मिलर और कप्तान क्विंटन डिकाक की 69-69 रन की पारी से सात विकेट पर 256 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। इंग्लैंड ने 40 गेंद बाकी रहते आठ विकेट गंवा कर इस मुकाबले को जीत लिया।

सलामी बल्लेबाजों जानी बेयरस्टा और जेसन राय ने पहले विकेट के लिए 6.2 ओवर में 61 रन की साझेदारी कर इंग्लैंड को आक्रामक शुरुआत दिलाई।

फेड कप मार्च में दुबई में होगा : आइटीएफ

नई दिल्ली, 9 फरवरी (भाषा)।

भारतीय फेड कप टीम इस साल की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दुबई जाएगी। आइटीएफ ने तीन से सात मार्च तक होने वाले मैचों के लिए इस शहर को नया मेजबान बनाया है। आइटीएफ ने कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के कारण चीन से मैचों को हटाकर दुबई को नया स्थल चुना है। आइटीएफ के अनुसार, 'फेड कप मैच एटीपी दुबई टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद इसी कोर्ट पर कराए जाएंगे जिसमें छह देश अप्रैल में होने वाले फेड कप प्ले-ऑफ में जगह बनाएंगे।

सहायतार्थ मैच

दिग्गजों के मुकाबले में लारा के स्ट्रोक्स के दीवाने हुए प्रशंसक

कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव से दर्शकों को लुभाया वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज ने

बुशफायर मैच से 77 लाख आस्ट्रेलियाई डॉलर जुटाए

मेलबर्न, 9 फरवरी (एएफपी)।

महान क्रिकेटरों ने मिलकर रविवार को आयोजित चैरिटी मैच के जरिए आस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के पीड़ितों के लिए धन जुटाने में मदद की। इस मुकाबले में ब्रायन लारा ने खूबसूरत स्ट्रोक्स लगाते हुए 30 रन की नाबाद पारी खेली। वेस्ट इंडीज के इस महान खिलाड़ी ने मेलबर्न जंक्शन ओवल में कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव से दर्शकों को लुभाया और दो छक्के जमाए। इसके बाद उन्होंने स्टार सुसज्जित मुकाबले में दूसरे बल्लेबाज को मौका दिया। इस मुकाबले से 77 लाख आस्ट्रेलियाई डॉलर जुटाए गए।

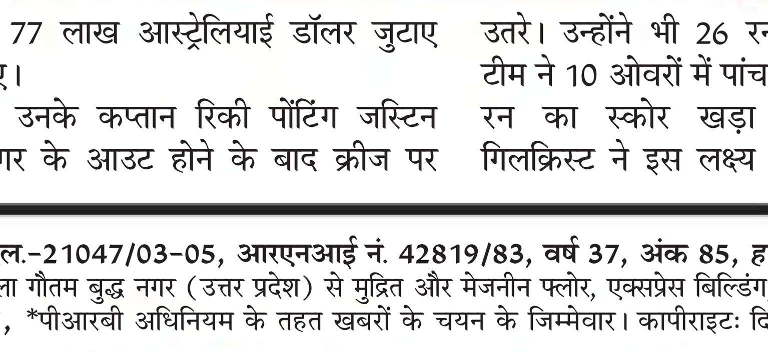

उनके कप्तान रिकी पोंटिंग जस्टिन लैंगर के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे। उन्होंने भी 26 रन बनाए जिससे टीम ने 10 ओवरों में पांच विकेट पर 104 रन का स्कोर खड़ा किया। एडम गिलक्रिस्ट ने इस लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली गेंद पर छक्का जड़ा और उनके आउट होने के बाद शेन वाटसन ने नौ गेंद में 30 रन बनाए जिसमें उन्होंने वसीम अकरम की गेंदों पर काफी रन जोड़े।

गिलक्रिस्ट एकादश की टीम के शानदार प्रयास के बावजूद रिकी पोंटिंग एकादश ने एक रन से जीत हासिल की। पोंटिंग ने कहा कि सभी खिलाड़ी खेले और वे कह रहे थे कि हम और खेलना चाहते हैं। जिन खिलाड़ियों के साथ 25 साल तक ड्रेसिंग रूम साझा किया, फिर उनके साथ खेलना अच्छा रहा।

तेंदुलकर ने पैरी की चुनौती स्वीकार की

मेलबर्न, 9 फरवरी (भाषा)।

भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने रविवार को आस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए खेले गए मैच की दोनों पारियों के बीच एक ओवर बल्लेबाजी की।

तेंदुलकर को आस्ट्रेलिया की महिला टीम की सुपरस्टार आल राउंडर एलिसे पैरी ने यह चुनौती दी थी जिसे उन्होंने स्वीकार किया। सचिन को एक बार फिर हाथ में बल्ला थामे देखना प्रशंसकों के लिए सुखद अनुभव रहा। बल्लेबाजी करते हुए ये पांच मिनट शायद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगाए गए उनके सौ शतकों से ज्यादा मायने रखें क्योंकि इसकी सारी रकम चैरिटी के लिए जाएगी।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 85, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com